खण्ड-176, अंक-1
बुधवार, 17 श्रावण, शक संवत् 1878
(8 अगस्त, 1956 ई0)

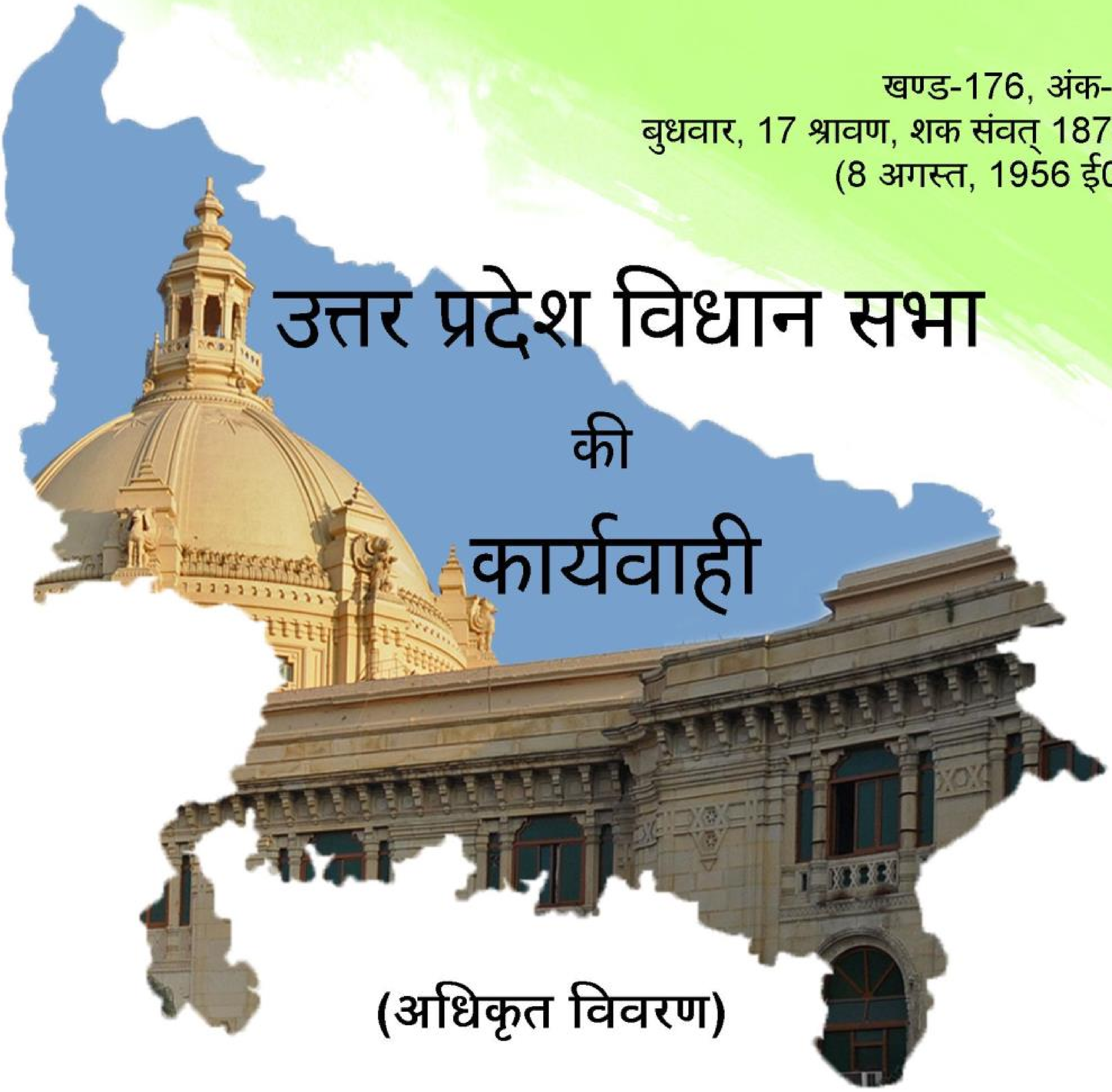

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 176 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोबिन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२८७)

अजीज इमाम, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री

जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (वाराणसी)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजवासीलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री

शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

बस्ती अस्पताल में बाहरी मरीजों को पेटेंट दवाइयां न मिलने की शिकायत

**१—श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती अस्पताल में पेटेंट दवाइयां आउट डोर मरीजों को नहीं दी जातीं ? यदि हां, तो क्यों ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)—बस्ती अस्पताल में आउटडोर मरीजों को पेटेंट दवाइयां आवश्यकतानुसार कुछ हद तक दी जाती हैं।

श्री शिवनारायण—क्या यह सही है कि सिविल सर्जन ने कोई आज्ञा निकाली है कि पेटेंट दवाइयां देने के लिये टैक्टफुली डील किया जाय ?

श्री बनारसीदास—इस प्रकार की कोई आज्ञा नहीं हो सकती है। मैं नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य का टैक्टफुली से क्या मतलब है। यह सही है कि इन पेटेंट दवाइयों की काफी कीमतें होती हैं। इसलिये वह डाक्टर को तय करना पड़ता है कि किन को पेटेंट दवाइयां देना आवश्यक है और किनको साधारण दवाइयां।

श्री शिवनारायण—कुछ हद तक दवाइयां देने का जो आश्वासन सरकार ने दिया है उस कुछ हद तक आश्वासन के क्या मतलब हैं, क्या माननीय मंत्री इसे एक्सप्लेन करेंगे ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अस्पतालों में सरकार के पास इतने साधन नहीं है कि पेटेंट दवाइयां काफी मात्रा में रक्खी जायं तो सरकार और डाक्टरों को यह खयाल रहता है कि ज्यादातर फार्मेसिटिकल, ड्रग्स जो अस्पतालों में मौजूद हैं उन्हीं की बुनियाद पर इलाज किया जाय। पेटेंट दवाइयों की कीमतें भी ज्यादा होती हैं फार्मेसिटिकल ड्रग्स जो अस्पताल में होती हैं उनसे भी बहुत अधिक मात्रा में बहुत से इलाजों में फायदा होता हैं। वे सस्ती भी होती हैं और वे ही अधिक मात्रा में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। अगर किसी खास इलाज के लिये किसी पेटेंट दवाई की आवश्यकता होती है तो जितनी मात्रा में वह दवा वहां रहती है उस सबको देखते हुये ऐसे जरूरी केसेज में पेटेंट दवाइयां भी अस्पतालों में इस्तेमाल की जाती हैं। इसीलिये सिविल सर्जन ने जो आदेश वहां दिया वह आदेश अपने नीचे के अधिकारी के लिये दिया कि पेटेंट दवाइयों का जब इस्तेमाल हो तो वह टैक्ट से होना चाहिये यानी जिन केसेज में पेटेंट दवाइयों के बिना काम नहीं चल सकता हो उन केसेज में पेटेंट मेडिसिन्स इस्तेमाल की जायं और जिन केसेज में फार्मेसिटिकल ड्रग्स से मरीज को फायदा पहुंचाया जा सकता है तो वहां फार्मेसिटिकल ड्रग्स इस्तेमाल की जायं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार के पास आउट डोर पेशेन्ट्स को पेटेंट दवाइयां न देने की कोई शिकायत आई है और उससे यह भी जानकारी हुई है कि कुछ लोगों को उन दवाओं के न पाने से उनके स्वास्थ्य को हानि भी हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार के पास ऐसी कोई इत्तिला नहीं है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत से मरीज जो आउटडोर में इलाज कराना चाहते हैं वे पेटेंट मेडिसिन्स डाक्टरों के द्वारा लेने की कोशिश करते हैं और उनसे वे दवाइयां लिखवाना चाहते हैं जो कि बाजार में मिल सकती हैं और जिन्हें वे खरीद सकते हैं। चूंकि पेटेंट मेडिसिन्स की कीमत ज्यादा होती है हम उन्हें प्रत्येक मरीज के लिये देने में असमर्थ हैं।

श्री राजनारायण---सरकार ने बताया कि सिविल सर्जन ने टेक्ट से पेटेंट दवाई इस्तेमाल करने के लिये आदेश दिये हैं तो क्या सरकार बतलायेगी कि वे क्या टैक्टस हैं जिनके मातहत वह दवाई देगी ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है।

महिलाओं तथा अवयस्क लड़कियों का व्यापार रोकने के लिए देहरादून तथा वाराणसी में रक्षा केन्द्र स्थापित करने के आदेश

**२---श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या श्रम मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि राज्य में, महिलाओं और अवयस्क लड़कियों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों से इनकी रक्षा करने के लिये प्रदेश के देहरादून और वाराणसी नगरों में सरकार रक्षा संगठन की स्थापना करने पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---जी हां। देहरादून और वाराणसी नगरों में रक्षा संगठन की स्थापना के विषय पर आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी कृपा करके इस रक्षा संगठन की रूपरेखा पर प्रकाश डालेंगे ?

नोट---अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न २ श्री नारायण दत्त तिवारी ने पूछा।

आचार्य जुगलकिशोर--यह रक्षा संगठन की आर्गेनाइजेशन जिसका जिक्र है इसलिये कायम की जा रही है कि जहां जहां पर ऐसी स्थिति है कि छोटी छोटी लड़कियों के साथ या तो व्यभिचार होता है या उनका बुरा इस्तेमाल होता है उनको रेस्क्यू कर के ऐसे स्थानों पर उन के द्वारा भेजा जाय जहां उनकी रक्षा हो सकती है, यही उसकी रुपरेखा है ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी को बिदित है कि सेपरेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक ऐक्ट के अनेक प्राविजन्स बहुत सी जगह लागू नहीं किये गये हैं और जहां लागू किये गये हैं वहां वह इनएफेक्टिव हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--वह कुछ जगहों पर लागू नहीं हैं, लेकिन जहां पर लागू हैं वहां वह एफेक्टिव नहीं है यह मैं नहीं मानता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार का विचार है कि राज्य में महिलाओं एवं लड़कियों की रक्षा के लिये नायक गर्ल्स प्रोटेक्शन ऐक्ट को भी सूबे के अन्य स्थानों में लागू किया जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर--कुछ जिलों में तो इस वक्त भी लागू है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं पूछ रहा हूं कि अन्य जिलों में भी लागू करने का विचार है ?

आचार्य जुगलकिशोर--ऐक्ट, नायक जाति जैसी अन्य जातियों पर भी, लागू करने की नीति पर विचार हो रहा है ।

तारांकित प्रश्न

मुरसान ब्लाक खोलने के सम्बन्ध में जानकारी

*१--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)--क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इसी १ अप्रैल, १९५६ से मुरसान ब्लाक के खोलने के लिये प्राथमिकता दी जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

हींग का स्तर निर्धारित करने के लिये प्रार्थना

*२--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का एक डेपुटेशन २३-९-५४ को स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मिला था और कितने ही आवेदन-पत्र हींग के स्तर के उत्तर प्रदेश में निर्धारित करने के संबंध में सरकार के पास भेजे गये थे ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । चूंकि हींग के व्यापारियों का सुझाव हींग के निर्धारित स्तर के अनुसार नहीं था, इसलिये सरकार ने उसको अस्वीकार किया और उनको सूचित कर दिया । क्योंकि भारत सरकार प्रिवेंशन आफ फूड एडल्ट्रेशन ऐक्ट, १९५४ के अन्तर्गत हींग के स्तर निश्चय करने पर विचार कर रही है, इसलिये प्रांतीय सरकार इस विषय पर कुछ नहीं कर सकती ।

*३-५--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--[१३ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न ६-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

जालौन जिले में उरई सर्वोदय आश्रम को आल इंडिया खादी बोर्ड द्वारा दिये गये अनुदान के सम्बन्ध में पूछताछ

*६--श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जालौन उरई में सर्वोदय आश्रम के कौन-कौन उद्योगों के चलाने में १९५५-५६ में राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई ?

श्री बनारसीदास--उरई के इस आश्रम को १९५५-५६ में किसी उद्योग के लिये आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई।

श्री बसन्तलाल--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सर्वोदय आश्रम, उरई को जो पहले ग्रान्ट दी जा चुकी है उसके गबन और दुरुपयोग की शिकायतें आयी हैं, इसलिये १९५५-५६ में जो ग्रांट दी जाने वाली थी वह रोक ली गयी ? अगर हां, तो इस पर मंत्री जी प्रकाश डालेंगे ?

श्री बनारसीदास--यहां कोई प्रार्थना-पत्र १९५५-५६ में सरकार के पास अनुदान मांगने के लिये प्राप्त नहीं हुआ।

श्री बसन्तलाल--अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले जो ग्रांट दी हुई है उसके दुरुपयोग की शिकायत के बारे में पूछा है।

श्री अध्यक्ष--आपने ग्रांट पूछी, उन्होंने ग्रांट को बता दिया। अब आप दूसरा सवाल करें।

श्री बसन्तलाल--माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस आश्रम में कौन-कौन उद्योग चल रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--जालौन के अन्दर खादी है। वहां पर पेपर मेकिंग का काम होता है, तेल निकालने आदि के उद्योग चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--यह सर्वोदय आश्रम उरई के बारे में प्रश्न पूछा गया है। जालौन के बारे में सवाल नहीं है।

श्री बनारसीदास--यह तो इस समय प्रश्न खादी से संबंधित है।

श्री बसन्तलाल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सर्वोदय आश्रम को पहले जो धनराशि दी गयी है क्या सरकार ने उसकी जांच कराई है कि उसका ठीक-ठीक सदुपयोग हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य जिस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, जिस विषय में वह हमसे पूछना चाहते हैं वह उसी व्यक्ति से संबंधित है या उसी संस्था से संबंध रखने वाली चीज है जिस संस्था को आल इंडिया खादी बोर्ड ने स्वतः बिना हमसे सलाह लिये हुये एक ग्रांट कुछ कार्य करने के लिये प्रदान की थी। उस संस्था के विषय में बाद को प्रदेशीय सरकार के पास कुछ शिकायतें आयीं। प्रदेशीय सरकार ने आल इंडिया खादी बोर्ड का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया और उनकी तरफ से कुछ जांच हुई। बाद को यह निर्णय किया गया कि उन्हें जो ग्रांट पूरी नहीं मिली है वह न दी जाय और आइन्दा भी उन्हें कोई ग्रांट न दी जाय। अगर उनका मतलब उस केस से है तो इस विषय में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेशीय सरकार ने उन्हें कोई ग्रांट नहीं दी थी, न आल इंडिया खादी बोर्ड ने प्रदेशीय सरकार से पूछकर उन्हें ग्रांट दी थी।

जालौन जिले में मद्य निषेध बोर्ड, कालपी को प्रदत्त ग्रांट

*७—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में मद्य-निषेध योजना के अन्तर्गत सन् १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता व ग्रांट सरकार द्वारा प्रदान की गई ?

मादककर मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)—जिला जालौन में मद्य निषेध बोर्ड, कालपी को मद्य निषेध योजना के अन्तर्गत सन् १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में क्रमशः ६०० रु० और ३०० रु० ग्रांट दी गयी।

*८—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मद्य-निषेध योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दी गई धनराशि जिला जालौन में किसके द्वारा तथा किस प्रकार व्यय की गई है ?

श्री गिरधारीलाल—जिला जालौन में जिलाधीश द्वारा ग्रांट दी गई। यह धनराशि जिला मद्य निषेध बोर्ड द्वारा विशेषतः मद्य निषेध सम्मेलनों, मेलों, सामाजिक उत्सवों, बाजारों में प्रचार की व्यवस्था, प्रचार सामग्री लाने ले जाने और मैजिक लैन्टर्न के प्रदर्शन की आवश्यक वस्तुओं के क्रय आदि में खर्च हुई।

श्री बसन्तलाल—मद्य निषेध बोर्ड के पदाधिकारी एवं सदस्यों के नाम माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—इसकी तो मुझे इस वक्त जानकारी नहीं है। जहां तक उसके प्रधान मंत्री की बात है उनका नाम श्री चन्द्रभानु विद्यार्थी है। इतना मुझे मालूम है।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १९५४–५५ में ६ सौ और १९५५–५६ में केवल तीन सौ रुपये इसके प्रचार के लिए दिये गये इसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारी लाल—जितनी ग्रांट है टोकेन की शक्ल में दी जाती है। इसके अलावा मामूली तौर पर दो-तीन सौ रुपया ही हर वर्ष इस प्रकार के बोर्डों को दिया जाता है। यह तो ६ सौ रुपया जो दिया गया था इसमें तीन सौ रुपया एक विशेष सम्मेलन वहां पर हुआ था उसके लिए यह रुपया दिया गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या जालौन उन जिलों में शामिल है जहां पर इस प्रदेश की शराब बन्दी योजना लागू है ?

श्री गिरधारीलाल—जालौन में कोई प्राहीबीशन या मद्य निषेध नहीं है।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस संस्था को यह रुपया दिया गया है सरकार की ओर से उसकी ओर से जो मद्य निषेध का कार्य किया गया है उससे क्या फायदा हुआ है, इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास है ?

श्री गिरधारीलाल—अब इस वक्त आंकड़े की रिपोर्ट तो मैं नहीं दे सकूंगा लेकिन रिपोर्टें उसकी आती हैं और इससे काफी फायदा होता है। यह जितने भी बोर्ड हैं उनका काम खास तौर पर हर तरीके का इस प्रकार का प्रचार करना है जिससे कि नशीली वस्तुओं का सेवन दिन पर दिन कम होता रहे और खत्म हो जाय।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मद्य-निषेध के लिए जो सम्मेलन आदि के आयोजन होते हैं उसमें किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, प्रदर्शन के रूप में कौन–कौन सी वस्तुएं दिखाई जाती हैं जिनका कि जनता पर प्रभाव पड़ता हो ?

श्री गिरधारी लाल--उन तमाम पोस्टर्स का या उन बातों का प्रदर्शन होता है जिस से कि जनता या हमारे प्रमुख नागरिक जो हैं उनकी बुद्धि और उनके हृदय पर इस बात का प्रभाव पड़े कि वह नशीली वस्तुओं से अपने आप को अलग करें ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जालौन जिले के मद्य निषेध बोर्ड ने सरकार से कुछ और आर्थिक सहायता की मांग की है ?

श्री गिरधारीलाल--यह तो जितने बोर्ड हैं सभी ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता की मांग किया करते हैं । जालौन ने भी की है । लेकिन सरकार के पास जहां तक इस प्रकार की शक्ति है वहीं तक वह देती है और जैसा मैंने शुरू में कहा जितनी भी यह ग्रान्ट दी जाती है बोर्ड को प्रतीक या टोकेन के रूप में दी जाती है ।

उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए मांग

*९--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के बाढ़ क्षेत्र में कौन-कौन उद्योग चालू करने के लिये आदेश दिया गया है ?

श्री बनारसीदास--उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में जो उद्योग चल रहे हैं उनके अतिरिक्त किसी उद्योग को चालू करने के लिये कोई विशेष आदेश नहीं दिया गया है ।

*१०--श्री देवदत्त मिश्र--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिले में छोटे-छोटे उद्योग धंधे चालू करने के विषय में सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बनारसीदास--राज्य के छोटे, कुटीर, मध्यम और ग्रामीण उद्योगों का सर्वे करने के लिये एक योजना स्वीकार की गयी है । इसके अन्तर्गत उन्नाव जिले में भी इन उद्योगों का सर्वे किया जायेगा ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मन्त्री महोदय पुरवा तहसील के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में जहां मूंज ज्यादा पैदा होती है उस क्षेत्र में उस धन्धे को प्रोत्साहन देने पर विचार करेंगे ?

श्री बनारसीदास--यह तो अभी उत्तर दिया गया है कि सर्वे कराने की व्यवस्था की जा रही है और जैसा माननीय सदस्य ने बतलाया यदि वहां मूंज पैदा होती है तो वहां पर अवश्य इस प्रकार के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार प्रयत्न करेगी ।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मंत्री जिले का सर्वे कराते समय जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अम्बर चरखे को चालू करने का ध्यान रखेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अम्बर चर्खे के विषय में योजना तैयार की जा रही है । किन-किन क्षेत्रों में अम्बर चरखे का प्रसार होगा और वहां अम्बर चरखे के विषय में शिक्षा इत्यादि दी जायगी वह तभी बताया जा सकता है कि जब वह योजना पूरी तरह से तैयार हो जावेगी और तभी उस योजना के ऊपर हम विचार करके निर्णय ले सकेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्नाव जिले में जो छोटे-छोटे उद्योग धन्धे हैं उनका जो सर्वे होगा उसे कौन अधिकारी करेगा और उसमें कितना खर्चा होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---खर्चे का तो अभी प्रश्न उठता नहीं है । अधिकारी जैसा कि मैं पहले भी सदन को सूचित कर चुका हूं प्रत्येक जिले में इंडस्ट्रीज विभाग के तहत में रखे जाने वाले हैं । इंडस्ट्रीज आफिसर्स के नाम से वह पुकारे जायेंगे और उनकी नियुक्ति अब शीघ्र ही होने वाली है क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिन व्यक्तियों को नियुक्त करवाना है उनको इंटरव्यू इत्यादि कर लिया है और शीघ्र ही सिफारिशें आने वाली हैं । उन सिफारिशों के आने के बाद प्रत्येक जिले में इंडस्ट्रीज आफिसर्स तथा कहीं-कहीं इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर्स इत्यादि नियुक्त किये जायेंगे । कुछ क्लास I में रखे जायेंगे और कुछ क्लास II में रखे जायेंगे और फिर उनके द्वारा जिले के विभिन्न उद्योग-धन्धों का सर्वे कराया जायगा और सर्वे के बाद उन सिफारिशों के ऊपर अमल किया जायगा जो इन अधिकारियों के द्वारा हमारे पास आयेंगी ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अभी तक जो अम्बर चर्खे का काम सूबे में हो रहा है वह किस योजना के आधार पर हो रहा है और किस को करने के आदेश दिये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी जो अम्बर चर्खे का काम शुरू हुआ है वह गांधी आश्रम मेरठ कर रहा है और आल इंडिया खादी बोर्ड के तत्वावधान में गांधी आश्रम के सुपुर्द यह काम किया गया है । अभी थोड़े दिन हुये हमारे प्रादेशिक खादी बोर्ड की बैठक हुई थी । इस में इस बात पर भी विचार हुआ था जो केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष १५-२० हजार के बीच में हमारे प्रदेश को अम्बर चर्खे देने को कहा है । इस विषय में अधिकारी योजना तैयार कर रहे हैं और साथ ही अम्बर चर्खे यहां पर बनाये जाने की योजना भी बनाई जा रही है और काफी संख्या में यह बनाये जायंगे । उसके लिये इंतजाम हो रहा है और गांधी आश्रम मेरठ तथा खादी बोर्ड के जो सदस्य हैं वह भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करने वाले हैं ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जो अम्बर चर्खे लखनऊ में आये हैं उनके रखने के लिये स्थान नहीं मिल रहा है और वह यहां से आठ मील दूर रखे जा रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, कुछ तो गांधी आश्रम में जगह की कमी है और अपना दफ्तर भी वह यहीं लाना चाहते हैं और अम्बर चर्खे रखने के लिये भी स्थान चाहते हैं । उन्होंने सरकार को लिखा है और सरकार ने इमारत के लिये सोच रखा है । जब वह खाली हो जायगी तो कदाचित गांधी आश्रम के पास किराये पर चली जायगी ।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या नये उद्योगों का सर्वे कराते समय शिल्प उद्योगों के कार्यकर्त्ताओं का भी सहयोग प्राप्त किया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, हर एक जो उद्योग-धंधों से संबंध रखता है या प्रेम रखता है, सबका सहयोग सर्वे कराते समय अवश्य लिया जायगा ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बिड़ला जी के तत्वावधान में सरकार ने नियुक्त की है उसने उन्नाव के अन्तर्गत कोई धंधा चलाने की सिफारिश की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कमेटी की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है । कल आखिरी बैठक है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आयगी । इसके सुपुर्द तो बड़े-बड़े उद्योग-धंधों का विषय था, छोटे-छोटे उद्योग-धंधे इसके सुपुर्द नहीं थे ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलों में सर्वे का काम कब से आरम्भ होगा और कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सर्वे का काम बहुत ज्यादा है । अधिकारी नियुक्त हो जायंगे तभी से आरम्भ हो जायगा । सर्वे का काम तो साल भर में या छः महीने में खत्म हो जाय ऐसी बात नहीं है । सर्वे का काम चलता रहता है और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी जानकारी देर में होती है, अनुभव के बाद होती है । कोई समय नियुक्त नहीं किया गया कि इतने समय में सर्वे का काम खत्म हो जाय ।

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में कम उत्पादन की शिकायत

*११--**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जुलाई, सन् १९५५ से ३१ दिसम्बर, सन् १९५५ तक तथा १ जनवरी, सन् १९५६ से ३० जून, १९५६ तक कितनी सीमेंट चुर्क फैक्टरी में माहवार तैयार हुई ?

श्री बनारसीदास--१ जुलाई, १९५५ से ३१ दिसम्बर, १९५५ तक ८०,०९४ टन तथा १ जनवरी, १९५६ से ३० जून, १९५६ तक १,०७,६२२.५ टन सीमेन्ट तैयार हुई । माहवार ब्यौरा संलग्न सूची में है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६३ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस अवधि के बीच में माननीय मंत्री जी ने बताया कि इतना सीमेंट बना तो उस अवधि के बीच में कितना सीमेंट बनने का लक्ष्य था ?

श्री बनारसीदास--वैसे इसकी रेटेड कैपेसिटी ७०० टन डेली की है । लेकिन पहले छः महीने में इसकी कैपेसिटी ६९ प्रतिशत रही और पिछली जनवरी से ३० जून, १९५६ तक का ऐवरेज ९३ प्रतिशत आकर पड़ता है ।

श्री रामस्वरूप--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो क्षमता से कम उत्पादन हुआ है उसके लिये जिम्मेदार कम्पनी से हरजाना वसूल करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस विषय में कम्पनी को लिखा है अभी सीमेंट बोर्ड की बैठक हुई थी और उसमें काफी छानबीन हमने की और इस बात के जानने की चेष्टा की कि क्या कारण है कि यह फैक्टरी अपनी रेटेड कैपेसिटी के अनुपात में सीमेंट की पैदावार नहीं रही है । उस बोर्ड में जो इंजीनियर्स और विशेषज्ञ आये थे उन्होंने विभिन्न रायें दीं । अभी मैंने यह आदेश किया है कि जिस कम्पनी ने इस फैक्टरी को लगाया है उससे तो पूछा ही जाय और अलावा इसके और भी विशेषज्ञों से पूछा जाय कि यह फैक्टरी अपनी रेटेड कैपेसिटी के अनुपात में क्यों नहीं सीमेंट पैदा कर रही है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सीमेंट का उत्पादन कम हुआ है उसका कारण क्या बताया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस विषय में मैं तो विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन उन्होंने कहा था कि जो क्लिन है वह दोषपूर्ण ढंग से बना है और वह उस कैपेसिटी के लायक नहीं बना जितनी कैपेसिटी उसकी बतायी जाती है । लेकिन यह क्लिन जब तैयार हुआ तो ६ महीने तक कम्पनी ने उसको चलवाया । बाद को इंजीनियर्स ने यह सर्टिफिकेट दे दिया कि यह ठीक तरह से चल रहा है और रेटेड कैपेसिटी तक यह सीमेंट पैदा कर सकेगा । अब हमको बताया जाता है कि नहीं, इसी में कुछ दोष है । तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जिन्हें विशेषज्ञ ही ज्यादा समझ सकते हैं । इसके अलावा उस कम्पनी के विशेषज्ञों और जो विशेषज्ञ आज हमारे यहां काम कर रहे हैं उनके अलावा हमने दूसरों से भी राय लेने के लिये और उनके अनुभव से फायदा उठाने के लिये लिख रखा है । मेरा खयाल है कि इस महीने के

अन्त तक जिस कम्पनी ने यह फैक्टरी लगायी है उसके विशेषज्ञ आयेंगे और उन विशेषज्ञों से जिनकी सहायता हम लेना चाहते हैं, पूछ कर हम बतायेंगे कि किस कारण से रेटेड कैपेसिटी तक चुर्क सीमेंट फैक्टरी में सीमेंट तैयार नहीं हो पा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी द्वारा इस रहस्योद्घाटन के पश्चात और उसके महत्व को देखते हुये सरकार यह निश्चय करेगी कि एक एक्सपर्ट्स की कमेटी या कमीशन इसकी जांच करे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसमें कमेटी और कमीशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कमेटियां तो काम को जरा बढ़ा देती हैं जल्दी से काम नहीं होता है। जो विशेषज्ञ उनके आने वाले हैं और हम जिन विशेषज्ञों से सलाह लेना चाहते हैं वे जब हमें सलाह दे देंगे तो उनकी राय पर हम अमल करेंगे।

श्री राजनारायण--क्या सरकार चुर्क सीमेंट फैक्टरी की जो निश्चित कैपेसिटी ७०० टन प्रति दिन बतायी जाती है वह अब तक नहीं पूरी हो पायी है इसके कारणों की जांच करते समय वहां के मजदूरों के प्रतिनिधियों से भी पूछेगी कि क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है निश्चित कोटा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वे तो सिर्फ यह बता सकते हैं कि कब स्ट्राइक करनी चाहिये और कब नहीं करना चाहिये। वे यह नहीं बता सकते कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी में क्लिन की खराबी है या नहीं। उसे तो विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। तो प्रतिनिधि अगर श्री राजनारायण जी जैसे भी हों उनसे भी इस बारे में कोई सहायता मिल नहीं सकती है और न वे कथित प्रतिनिधि भी इस मामले में कोई ज्यादा फायदेमन्द सिद्ध हो सकते हैं।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार को जानकारी है कि सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों में सरकारी नीति और सरकारी काम करने के ढंग से असन्तोष है इसलिये उत्पादन कम होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मजदूरों में तो उतना असंतोष नहीं है लेकिन कथित मजदूर नेताओं में जरूर ज्यादा असंतोष है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय नियोजन मंत्री जी उन कथित मजदूर नेताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की बात सोच रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सरकार ने बहुत छूट दे रखी है। डिमोक्रेसी के नाम पर वह अभी उस छूट में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या जो स्थिति इस समय चुर्क सीमेंट फैक्टरी की है उसमें ९३ प्रतिशत से अधिक उत्पादन सम्भव नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैंने उत्तर में बता दिया कि ७ सौ टन उसकी रेटेड कैपेसिटी है और जितनी कैपेसिटी समझ कर यह फैक्टरी खरीदी गयी उससे ज्यादा सीमेंट तो उससे पैदा नहीं हो सकती। अगर उसमें कुछ दिक्कतें आ गयी हैं या उसमें कुछ और खराबी आ गई है तो विशेषज्ञों से कहा जा सकता है जो इस विषय की जानकारी रखते हैं तथा वे उसमें सुधार कर सकते हैं। हम उस कम्पनी से भी जिसने इस फैक्टरी को एरेक्ट किया है इसलिये आग्रह कर रहे हैं कि वह तमाम जानकारी प्राप्त करने के बाद फैक्टरी में जो दोष रह गये हैं उन्हें ठीक कर दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रेटेड कैपेसिटी के अनुसार प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और दूसरे गवर्नमेंट ऐडीशनल मशीनरीज भी लगा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, बहुत सी चीजें सरकार करती है, तजुर्बे से सीखती है, अनुभव से उसको पूरा करने की कोशिश करती है। आज सरकार पब्लिक सेक्टर में बहुत सी चीजें लगाना चाहती है, उसमें गलतियां भी करती है, भूलें करेगी भी और उसके बावजूद भी बहुत से उद्योग धंधे पब्लिक सेक्टर में लगाने की चेष्टा भी करेगी। इसी तरह से पब्लिक सेक्टर के इस उद्योग को बढ़ाने और एक्सपैंड करने की चेष्टा की जा रही है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा करके इस बात का कारण बतायेगी कि जब बारबार सरकार से निवेदन किया जाता है फिर भी वहां मजदूरों का अनरेस्ट है जो वहां ७ सौ टन सीमेंट पैदा नहीं होने दे रहा है तो फिर सरकार वहां की परिस्थिति के बारे में जांच क्यों नहीं करवाती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसका कारण यह है कि सरकार अपने को उन मजदूरों का उन कथित मजदूर नेताओं से बड़ा प्रतिनिधि मानती है जो महज उद्योग-धंधे को बिगाड़ देना चाहते हैं और चलने नहीं देना चाहते।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी के कर्मचारियों को स्थायी करने के सम्बन्ध में जानकारी

*१२--श्री रामस्वरूप--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी में ६ महीने से अधिक पुराने सभी कर्मचारियों को जो लगातार कार्य करते आ रहे हैं स्थायी कर दिया गया है ?

श्री बनारसीदास--जी नहीं।

*१३--श्री रामस्वरूप--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि फैक्टरी के कर्मचारियों को फैक्टरी ऐक्ट के अनुसार ९ घंटे से अधिक प्रतिदिन तथा सप्ताह में ४८ घंटे से अधिक कार्य करने वालों को ओवर टाइम डबल रेट से दिया गया है ?

श्री बनारसीदास--जी हां।

श्री राजनारायण--क्या सरकार यह कारण बतायेगी कि जो मजदूर वहां पर लगातार कार्य कर रहे हैं ६ महीने से पुराने हैं उनको स्थायी नहीं किया गया है और इसी स्थायी न करने के कारण ही उत्पादन में कमी है ?

श्री बनारसीदास--ऐसा नहीं है। वहां जितने आदमी काम करते हैं वह कई श्रेणियों में विभाजित हैं। कुछ लोग उनमें से रेगुलर हैं, कुछ लोग प्रोबेशनर्स हैं, कुछ स्थायी हैं और कुछ कैजुअल वर्कर्स हैं। जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनकी परमानेंसी का सवाल पैदा नहीं होता। जो रेगुलर हैं वे ६ महीने में अपने आप स्थायी हो जाते हैं। जो प्रोबेशनर्स हैं वे भी निश्चित समय के बाद रेगुलर हो जाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो ओवरटाइम डबल रेट से दिये जा रहे हैं वह किस रेट से दिये जा रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--इसका उत्तर दिया जा चुका है। इसको किस तरह से किया जाता है इसके लिये तो सूचना की जरूरत है बाकी के सम्बन्ध में उत्तर दिया जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ओवरटाइम डबल रेट से कब से दिया जा रहा है ?

श्री बनारसीदास--यह तो जब से प्रोडेक्शन शुरू किया गया है उसके बाद से ही जब से फैक्ट्री ऐक्ट लागू किया गया है और उसके लिये स्टैंडिंग आर्डर बने हैं तभी से है।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस वक्त यह फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन थी उस वक्त अगर मजदूर ९ घंटे से ज्यादा काम करता था तो उसको ओवर टाइम नहीं दिया जाता था ?

श्री बनारसीदास--इसका कोई प्रश्न नहीं पैदा होता । जिस समय एरेक्शन हो रहा था उस समय फैक्टरी ऐक्ट लागू नहीं था और उस समय एरेक्शन का बोनस भी मजदूरों को विशेष रूप से दिया गया था ।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या यह सही है कि ६ माह से ऊपर काम करने वाले वह अफसर जो ज्यादा तनख्वाह पाते हैं वह स्थायी कर दिये गये हैं लेकिन कम तनख्वाह पाने वाले आदमियों को, स्थायी एक को भी नहीं किया गया है ?

श्री बनारसीदास--इसमें कम तनख्वाह पाने वालों या ज्यादा तनख्वाह पाने वालों का कोई प्रश्न नहीं होता, नेचर आफ ड्यूटीज का सवाल है । जिनकी ड्यूटी परमानेन्ट है वह सभी स्थायी कर दिये गये हैं और जो कैजुअल वर्कर्स हैं वह वहां मुस्तकिल नहीं हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इस बात को देखते हुए कि यह प्रश्न किसी तथा कथित मजदूरों के नेताओं ने नहीं किया है और इस विधान सभा के एक आदरणीय सदस्य ने किया है सरकार इस बात को स्वीकार करेगी कि मजदूरों को अस्थायी रखने से, रखे जाने से चुर्क फैक्टरी के मजदूरों में काफी असंतोष है ?

श्री बनारसीदास--वहां असंतोष नहीं है । वहां के मजदूरों को और जगहों से काफी सुविधायें मिलती हैं और उन के वेलफेयर की काफी कोशिश की जाती है । जिन को स्थायी करने का सवाल है स्टैंडिंग आर्डर्स के मुताबिक गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है और उनको नियमानुसार स्थायी कर दिया जाता है ।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धी भवनों के हेतु प्रदत्त अनुदान का व्यय

*१४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५४-५५ व १९५५-५६ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बजट में विविध भवनों के निर्माण के हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और उसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई ?

श्री बनारसीदास--(१) १९५४-५५ के बजट में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग संबंधी भवनों के निर्माण के हेतु ३३,७८,२०० रुपयों की धनराशि स्वीकृत की गई और उसमें से १३,८५,२२७ रु० की धनराशि खर्च हुई ।

(२) १९५५-५६ के बजट में उक्त भवनों के निर्माण के हेतु ५५,९०,२०० रु० की धनराशि स्वीकृत हुई और उसमें से अनुमानतः २९,१६,९०० रु० की धनराशि खर्च हुई ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि जिन के सबब से सन् १९५४-५५ और १९५५-५६ के बजट में जो रुपया निर्धारित किया गया था उसके आधे से भी कम रुपया खर्च हो सका ?

श्री बनारसीदास--इसका मुख्य कारण यही होता है कि भवन आदि के लिये जमीन एक्वायर करने में और उसके मिलने में काफी देर हो जाती है । दूसरा कारण यह है कि बजट पास करने के बाद पी० डब्ल्यू० डी० से डिटेल्ड इस्टीमेट के आने में देर होती है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन मिलने में देरी हो जाती है । इन्हीं सब कारणों से देर होती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि सन् १९५४-५५ और १९५५-५६ का जो रुपया खर्च नहीं किया जा सका और जो रुपया लैप्स हो गया वह फिर दूसरे साल निर्धारित करना पड़ा ?

श्री बनारसीदास--बजट के अनुसार तो वह लैप्स हो गया लेकिन बजट में उस रुपये को फिर निर्धारित कर दिया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने कोई ऐसे आदेश निकाले हैं कि जिनसे भविष्य में इस प्रकार की--आधे से भी कम रुपया खर्च न हो सकने की पुनरावृत्ति न हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गप्त--इस प्रकार के आदेश तो समय-समय पर सरकार से निकलते ही रहते हैं और पी० डब्लू० डी० से यह आग्रह किया जाता रहता है कि जितनी धनराशि इमारतों को बनाने इत्यादि के लिये बजट में रखी जाय उसे वह समय के अन्दर ही खर्च कर दें, लेकिन जैसा कि अभी उत्तर में बताया गया है कि कहीं जमीन मिलने में दिक्कत हुई, कभी कुछ साधनों को उपलब्ध करने में दिक्कत हुई, कभी सीमेंट नहीं मिला, कभी ईंट नहीं मिल सकी, तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं और यह भी होता है कि कभी-कभी कोई स्कीम अस्पताल के निर्माण की बिना पहले इस्टीमेंट के तैयार किये ही सम्मिलित कर ली जाती है, और फाइनेंस कमेटी की तहत में भेज दी जाती है इसलिये कि वह जल्दी बन सके । कभी-कभी उस के जो पूरे डिटेल्ड इस्टीमेट आते हैं उनके आने में देर हो जाती है और इसलिये पूरी रकम जो बजट के अन्दर दी हुई होती है इस्तेमाल नहीं हो पाती । लेकिन इस वर्ष इस बात की काफी ताकीद की गई है कि जो रकम रखी गई है अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट उस रकम को दे सके तो पी० डब्लू० डी० अवश्य उसे समय के अन्दर इस्तेमाल कर ले और जिन इमारतों के बारे में निर्णय किया गया है वह बन जानी चाहिए ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सन् १९५४-५५ और १९५५-५६ में इस पूर्व स्वीकृत धन से कितने भवन बनाये जा सके और कितने इस बजट के पास होने के बाद बने ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन के निर्माण में विलम्ब का कारण

*१५--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में घोषित नीति के अनुसार बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन का निर्माण क्यों नहीं किया जा सका ?

श्री बनारसीदास--बोर्ड की रूपरेखा तथा उसके कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय न हो सकने के कारण बोर्ड का निर्माण १९५५-५६ में नहीं हो सका ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जब बोर्ड की रूपरेखा और कार्य के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ था तो फिर बोर्ड के निर्माण का फैसला कैसे किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बोर्ड के निर्माण का फैसला इसलिये किया गया कि आल इंडिया पैटर्न हम यहां अपने प्रदेश में भी रखना चाहते हैं और आल इंडिया पैटर्न यह है कि टेक्निकल एजूकेशन के लिये अलग से बोर्ड बने । बम्बई इत्यादि प्रदेशों में वह बोर्ड बन गया है । तो अपने प्रदेश में, चूंकि जो इस बोर्ड के तहत में शिक्षा इत्यादि दी जायगी तथा जो कार्य किये जायंगे, उनका सम्बन्ध कई विभागों से है, पावर आदि विभागों से है, अभी तक उसी विषय में निर्णय नहीं हो पाया है कि कितना हिस्सा इस बोर्ड के कार्य का रुड़की विश्वविद्यालय के तहत में रहे और कितना हिस्सा इस बोर्ड के तहत में रहे । वह मसला अभी विचाराधीन है । जैसे ही अन्तिम इसका फैसला हो जायगा तो बोर्ड की स्थापना के सिलसिले में कार्यवाही की जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रदेशीय सरकार की संस्तुति के अनुसार बोर्ड की रूपरेखा और कार्य क्या होंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जैसा कि मैंने अभी बतलाया यह टैक्नीकल एजूकेशन का बोर्ड बनेगा। इंडस्ट्रीज विभाग ऐसा चाहता है कि जो टेक्नीकल एजूकेशन हो उसमें मैक्नीकल इंजीनियरिंग और ऐलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इत्यादि विषय हों। वह सभी इस टेक्नीकल बोर्ड के तहत में आ जायंगे। इसका क्या स्टैंडर्ड हो, जैसा कि बोर्ड आफ इंटरमिडियेट कार्य करता है उसी तरह से वह सब कार्य इस बोर्ड के तहत में आ जायेंगे। अभी पावर विभाग कुछ दूसरा मत रखता है। अभी इस विषय में अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है। ज्यों ही अन्तिम निश्चय हो जायगा प्रदेशीय सरकार इसके निर्माण करने के सम्बन्ध में आगे कदम उठायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पावर विभाग जो दूसरा मत रखता है उसका मत क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अभी कोई क़तई फैसला इस विषय का नहीं हुआ है। चूंकि रुड़की युनिवर्सिटी हमारे प्रदेश में स्थापित है तो टेक्नीकल एजूकेशन का जहां तक विषय है वह उसके तहत में होना चाहिये। तो जब इस विषय में निर्णय हो जायगा तभी हम बता सकेंगे कि असल रूपरेखा इस बोर्ड की क्या होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इस बात को देखते हुये कि इस टेक्नीकल बोर्ड को बनाने की घोषणा १।। वर्ष पहले हो चुकी है ? सरकार यह आश्वासन देने की कृपा करेगी कि यह बोर्ड इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक जरूर बन जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हमारी चेष्टा तो यही है कि इस वित्तीय वर्ष में बन जाय लेकिन यदि और दिक्क़त उत्पन्न न हुई तो शायद माननीय सदस्य जो चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी हो जाय।

पदमपुरी, जिला नैनीताल में एलोपैथिक अस्पताल खोलने की मांग

*१६--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार के पास पदमपुरी, जिला नैनीताल में एक नए एलोपैथिक अस्पताल खोले जाने की मांग आई है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसीदास--जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि इस स्थान पर एलोपैथिक अस्पताल खोलने के लिये माननीय सदस्य नैनीताल ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था और उनसे मिले भी थे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी कि वहां पर अस्पताल खोल दिया जाय ?

श्री बनारसीदास--इसके सम्बन्ध में वहां से कोई बाकायदा प्रस्ताव नहीं मिला लेकिन वहां के कुछ लोग अवश्य मिले थे।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय नारायणदत्त तिवारी की इस प्रार्थना को सूचना समझते हुए फिर माननीय नियोजन मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि पदमपुरी में अस्पताल खोल दिया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--श्री नारायणदत्त जी जो कुछ कहते हैं उनकी बात पर हमेशा मैं तो ध्यानपूर्वक विचार करने के लिये उद्यत रहता हूं और जब गेंदासिंह जी की सिफारिश हो जाती है तो विचार करने के लिये मुझे बाध्य होना पड़ता है। लेकिन जहां वह अस्पताल चाहते थे उसके नजदीक में ही एक अस्पताल खुल गया है, इसलिये ५ मील में अस्पताल खोलने की नीति उनकी मांग में बाधक सिद्ध हो जाती है। बहरहाल, उस अस्पताल को हटा कर जहां वह चाहते हैं वहां बदल दिया जाय तो उसके ऊपर विचार करने के लिये मैं तैयार हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिस अस्पताल के वह नजदीक होने का जिक्र कर रहे हैं वह दूसरी जगह स्थानान्तरण होने का निश्चय हो चुका है ?

श्री बनारसीदास---यह प्रश्न उससे बिल्कुल पृथक है। सुझाव तो यह था कि धारी के अस्पताल को खुलनापुरी में ट्रांसफर कर दिया जाय। पहाड़पानी में एक अलग से अस्पताल कायम कर दिया गया है जो पदमपुरी के नजदीक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि पहाड़पानी पदमपुरी से ठीक १० मील की दूरी पर है ?

श्री बनारसीदास---शायद ऐसा होगा।

*१७-१९---**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुजफ्फरनगर)---[२२ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२०-२२---**श्री उमाशंकर**---[५ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२३-२४---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---[हटा दिये गये।]

कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिए कार्य

*२५---**श्री इस्तफा हुसैन** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार ने कुष्ठ रोग का इलाज बी० सी० जी० द्वारा कराने को सोचा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास---कुष्ठ रोग के खिलाफ बचाव के तौर पर बी० सी० जी० के टीके का प्रयोग बहुत बड़ी संख्या में करने का विचार है किन्तु यह कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

*२६---**श्री इस्तफा हुसैन**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह इस साल कहां-कहां कुष्ठ निवारण केन्द्र खोलने जा रही है और अब तक कहां-कहां खोले जा चुके हैं ?

श्री बनारसीदास---इस वर्ष कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिये चार नये केन्द्र बहराइच, मुरादाबाद, खीरी और गोरखपुर में खोले जायेंगे। अब तक निम्नलिखित केन्द्र खुल चुके हैं:—

१---ट्रीटमेण्ट ऐण्ड स्टडी सेन्टर, देहरादून।
२---सबसीडियरी सेण्टर, वाराणसी।
३---ऐण्टी लेपरोसी यूनिट, गोरखपुर।
४---मोबाइल लेपरोसी यूनिट, बहराइच।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार ने क्षय रोग के अतिरिक्त कुष्ठ रोग पर बी० सी० जी० का कोई तजुर्बा किया है ? अगर हां, तो कितने आदमियों पर ?

श्री बनारसीदास---कोई निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह एक्सपेरीमेंट स्टेज में है। कुछ जगह स्टडी और परीक्षण के केन्द्र खोले गये हैं और वहां सफल हुआ तो इसका प्रयोग किया जायगा।

श्री इस्तफा हुसैन---कब तक इसका फैसला हो जायगा कि कुष्ठ रोग के लिये बी० सी० जी० का इस्तेमाल हो ?

श्री बनारसीदास---यह कहना तो बड़ा कठिन है। अगर परीक्षण का नतीजा सफल हुआ और आशाजनक हुआ तो अवश्य उसे काम में लावेंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन---क्या सरकार बतावेगी कि जब एक ही जिले में पहले से केन्द्र खोले जा चुके हैं और दूसरे खोले जाने वाले हैं तो क्या उन केन्द्रों में कोई अन्तर होगा ?

श्री बनारसीदास---दो तरह के केन्द्र होते हैं. एक तो जहां स्टडी और अनुसंधान किया जाता है और दूसरे जहां केवल इलाज होता है । चूंकि खास तौर से नयी दवा निकल आयी है जिससे इलाज में काफ़ी सुभीता होता है ।

श्री तेजप्रतापसिंह---नये केन्द्रों के लिये स्थान का निश्चय करते समय किन-किन बातों का खयाल रखा जाता है ?

श्री बनारसीदास---रोगी ज्यादातर नेपाल के बार्डर से आते हैं । बहुत से ऐसे तीर्थ स्थान आदि हैं जहां पर कोढ़ियों की संख्या अधिक होती है । इन सब बातों को देखते हुये स्थान नियत किया जाता है । कुछ ऐसा भी है कि रोग तो लगभग हर जिले में थोड़ा या बहुत है, और जहां संस्थायें पहले से इस काम को करती थीं, सरकार उनकी मदद करती है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सरकार के सामने यह विचार कैसे आया ? या किन्हीं विशेषज्ञों ने यह राय दी अथवा देश या विदेश के किन्हीं भागों में बी० सी० जी० का प्रयोग हुआ है और वहां सफलता मिली है ?

श्री बनारसीदास---इस बात की निश्चित सूचना नहीं है लेकिन लोगों का खयाल है कि बी० सी० जी० से भी लाभ हो सकता है, इसलिये तजुर्बा करने का फैसला किया गया ।

श्री इस्तफा हुसैन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि गोरखपुर में जो २ केन्द्र खोले जा रहे हैं उनके अलावा केन्द्रीय सरकार की भी कोई यूनिट खोली जा रही है ?

श्री बनारसीदास---केन्द्रीय सरकार की तरफ से और कोई केन्द्र नहीं खोला जा रहा है ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार ने गोरखपुर जिले में सर्वे करा कर देखा है कि वहां पर कितने फीसदी लेपरोसी का रोग है ?

श्री बनारसीदास---इसकी निश्चित तादाद तो नहीं कही जा सकती । किन्तु वहां केन्द्र खुला था जिसके मातहत और केन्द्र थे । गैरसरकारी तौर पर वहां सर्वे का प्रयत्न किया गया तो मालूम हुआ कि वहां कोढ़ियों की संख्या काफी है ।

आगरा नगरपालिका की अतिरिक्त सेनेटरी इन्स्पेक्टर रखने के लिए प्रार्थना

*२७---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या १९५४ में आगरा की नगरपालिका ने सरकार से यह प्रार्थना की थी कि नगर-पालिका ऐक्ट की धारा २४६ और २४७ के तथा म्युनिसिपल उपनियमों के अनुसार मुकदमें चलाने के लिये एक अतिरिक्त सेनेटरी इन्स्पेक्टर रखने की इजाजत दी जाय ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)---सन् १९५४ में नगर-पालिका की ओर से कोई इस प्रकार की प्रार्थना सरकार के पास नहीं आई ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या १९५५ में इस तरह की कोई प्रार्थना आयी थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां, १९५५ में एक प्रार्थना आयी थी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि उनकी इस प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--आगरा म्युनिसिपैल्टी के प्रशासक ने जो प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था, सरकार ने उसको अस्वीकृत कर दिया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार उस प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के कारणों पर प्रकाश डालेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सरकार का यह कहना था कि पहले म्युनिसिपल बोर्ड बाईलाज का पालन कराये तब इस प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार को मालूम है कि इन बाईलाज को लागू करने के लिये ही इस अतिरिक्त सेनीटरी इंसपेक्टर की जरूरत थी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--सरकार ने उसकी आवश्यकता नहीं समझी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि इस नगर-पालिका में २४६-२४७ के अनुसार मुकदमें कौन चलाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इसके लिये स्टाफ मुकर्रर है।

*२८--**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)--[५ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

फैजाबाद जिले के बन्दीपुर ग्राम में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर विचार

*२९--**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले के विधान सभा के एक सदस्य के सुझाव पर सरकार गांव बन्दीपुर, तहसील अकबरपुर में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां।

*३०--**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--क्या इस बजट वर्ष में उक्त औषधालय खोल दिया जावेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या सरकार बतायेगी कि इस बजट वर्ष में औषधालय को खोलने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इस बजट वर्ष में वहां पर कोई औषधालय नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि उससे और उपयुक्त स्थान जहां अधिक आवश्यकता है, उन स्थानों पर सरकार खोलने पर विचार कर रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या यह सही है कि यह प्रश्न सरकार के समक्ष पिछले तीन वर्षों से विचाराधीन है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--ऐसे कई प्रस्ताव सरकार के सामने २ और ३ वर्षों से विचाराधीन है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उस क्षेत्र में इससे अच्छा कौन सा स्थान है जहां पर यह औषधालय खोले जाने पर विचार हो रहा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--उसके लिये तो अभी पूछताछ हो रही है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत विभिन्न उद्योगों को सहायता

*३१--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये प्राइवेट सेक्टर में किस-किस व्यक्ति को, कितना-कितना धन, किन-किन शर्तों पर, किस-किस उद्योग के लिये अभी तक दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वांछित विवरण संलग्न† तालिकाओं में दिया गया है।

दुद्धी, जिला मिर्जापुर सामुदायिक विकास योजना में कार्यों पर व्यय

*३२---श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुद्धी, जिला मिर्जापुर सामुदायिक विकास योजना में आज तक कुल कितने क्या-क्या काम हुये ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)---माननीय सदस्य की मेज पर विवरण प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६४-६५ पर।)

*३३---श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार यह बतायेगी कि अब तक कुल कितना रुपया वहां खर्च हो गया और कितना खर्च होना शेष है और उसमें कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेट्रोल में कितना व्यय हुआ तथा कामों पर कितना व्यय हुआ ?

श्री फूलसिंह---(अ) ३१ मार्च, १९५६ तक खर्च किया गया कुल रुपया ---- १०,६८,५८९ रु० १० आने।

(ब) जितना खर्च होना शेष है ---४,३१,४११ रु०।

(स) कर्मचारियों के वेतन व भत्ते पर किया गया व्यय-----१,६८,७२३ रु०।

(द) पेट्रोल पर किया गया व्यय-----११,६३३ रु० १० आने।

(य) कामों पर किया गया व्यय----५,३४,७०० रु०।

*३४---श्री व्रजभूषण मिश्र---विभिन्न कार्यों का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें अब कितना शेष है ?

श्री फूलसिंह---माननीय सदस्य की मेज पर विवरण प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६६ पर)

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी प्रश्न ३४ के उत्तर में जो तालिका छोटी सी दी गयी है, उसे पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---क्या आप ने उस को पढ़ा नहीं ?

श्री व्रजभूषण मिश्र---तालिका में जो दिया हुआ है उसे सदन को भी सुना दिया जाता कि उसमें क्या है ?

श्री अध्यक्ष---यह दो सफे का है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि खर्चा तो हुआ ६६ प्रतिशत और काम हुआ २७ प्रतिशत, हिसाब लगाने से ऐसा मालूम होता है, तो ऐसा क्यों हुआ और क्या जो शेष थोड़ी सी अवधि रह गयी है उसमें यह काम पूरा हो सकेगा ?

श्री फूलसिंह---यह हिसाब माननीय सदस्य का सही नहीं है। कुछ मद में काफी काम हुआ है। सारे मदों के लिये आप ने २७ परसेंट का हिसाब लगाया है, जैसे सिंचाई मद के लिये अलग से सारा काम हुआ, तो २७ परसेंट काम हुआ, यह बात गलत है।

श्री व्रजभूषण मिश्र---अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये चाहता था कि उसे पढ़ कर सदन को सुना दिया जाता तो मालूम हो जाता कि मेरी बात सही है या गलत है ? मेरा प्रश्न यह है कि जो दुद्धी-विन्दा सड़क पर मिट्टी डाली गयी थी सड़क बनाने के लिये, वह मिट्टी बह गयी है और उसमें गड्ढे हो गये हैं जिसकी वजह से उस पर साइकिल द्वारा और पैदल चलना भी मुश्किल है ?

---

†तालिकायें छापी नहीं गयीं।

श्री फूलसिंह--आप कहते हैं कि मिट्टी बह गयी है तो साइकिल चलाने में मुश्किल जरूर होती होगी।

श्री तेजप्रतापसिंह--क्या माननीय नियोजन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बुद्धी क्षेत्र में लाख उद्योग विकास के लिये भी कोई रुपया खर्च किया गया है? यदि हां, तो कितना?

श्री फूलसिंह--वह योजना अलग से है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्नतिशील पशुओं की सप्लाई का लक्ष्य जो ५५ निर्धारित था उसमें से केवल दो ही सप्लाई हुए, ऐसा क्यों?

श्री फूलसिंह--डेवलपमेंट का काम उसी क्षेत्र में किया जाता है जहां खेती और पशुओं का काम भी हो।

*३५-३६--**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)--[५ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले की पडरौना तहसील के कसेरों को सहायता देने की मांग

*३७--**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)--क्या सरकार बतायेगी कि तहसील पडरौना, जिला देवरिया में फूल के बर्तन बनाने वाले कसेरों को सरकार क्या सहायता देती है?

श्री बनारसीदास--इस स्थान के कसेरों द्वारा अभी तक कोई सहायता नहीं मांगी गई, अतः सहायता देने का प्रश्न नहीं उत्पन्न हुआ। फिर भी यहां के उत्पादकों को सहकारी समिति बनाने की सलाह दी जा रही है ताकि उन्हें सामूहिक रूप से आर्थिक सहायता तथा कच्चे माल की प्राप्ति में सुगमता हो।

श्री रामसभग वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या सरकार पडरौना के कसेरों को फूल के बर्तनों की बढ़ोत्तरी के लिये कोई सहायता देगी?

श्री बनारसीदास--यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि कोई सहायता नहीं मांगी गई है, इसलिये सहायता देने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री जगन्नाथमल्ल--क्या सरकार को ज्ञात है कि वहां के कसेरों ने कोआपरेटिव बना ली है लेकिन अभी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है?

श्री बनारसीदास--जी हां, उनको सलाह दी गयी थी कि वह एक कोआपरेटिव संगठित कर लें लेकिन मुझे अभी इस बात की सूचना नहीं है कि वह अभी रजिस्टर हुई या नहीं, पर सरकार ने कोशिश अवश्य की थी कि वहां कोआपरेटिव उनकी बन जाय।

श्री जगन्नाथमल्ल--क्या सरकार को ज्ञात है कि उन्होंने जो कोआपरेटिव बनाया है उसकी तरफ से एक रोलिंग मिल बैठी है जिसमें वर्तनों की ढलाई होती है?

श्री बनारसीदास--जी हां, कोआपरेटिव की ओर से सन् १९५५ से जरूर एक रोलिंग मिल कायम की गयी है।

अतारांकित प्रश्न

देवरिया जिले में गुड़ बनाने के लिए कोल्हू वितरण

१--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में सन् १९५४-५५ और १९५५-५६ में कुल कितना कोल्हू बांटा गया और हर तहसील में कितना ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इन दोनों वर्षों में देवरिया जिले में कुल १५३ कोल्हू बांटे गये। देवरिया, सलेमपुर, हाटा और पडरौना में क्रमशः ३९,१०,१३ और ९१ कोल्हू बांटे गये।

२--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार को ज्ञात है कि बंटे हुए कोल्हुओं से कितना गुड़ तैयार हुआ और उसमें से कितना सरकार द्वारा खरीदा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त दोनों वर्षों में इस जिले में बांटे हुये कोल्हुओं द्वारा कुल ८५,२९३ मन गुड़ बना। इसमें से सरकार द्वारा कुछ भी नहीं खरीदा गया।

३--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार तहसील पडरौना में अधिक गुड़ को बनते हुये देख कर पडरौना में एक गुड़ गोदाम खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल, डाक्टर एच० सी० मुकर्जी के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, आज सभी माननीय सदस्यों ने अखबारों में बंगाल के गवर्नर, डाक्टर मुकर्जी के निधन के समाचार को पढ़ा होगा। हममें से कुछ लोगों को इस दुःखद घटना की सूचना कल शाम को ही मिल गयी थी। इस बात को देखते हुए कि डाक्टर मुकर्जी की उम्र इस समय ८० वर्ष की थी, शायद उनके निधन को असामयिक न कहा जाय। परन्तु यह सत्य है कि जिस किसी को यह समाचार मिला उसको इससे बहुत ही शोक हुआ। वह हमारे देश के बहुत ही ख्याति-प्राप्त शिक्षा विशेषज्ञ थे और उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अध्यापक के काम में ही बीता। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि अच्छे अध्यापक की कसौटी यह है कि "छात्रेषु लब्धप्रतिष्ठः"। अर्थ उसका यह है कि जिन लोगों ने उससे पढ़ा है वह छात्र उसको आदर की दृष्टि से और स्नेह की दृष्टि से देखें। डाक्टर मुकर्जी की इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी ख्याति थी। इत्तिफाक की बात है कि आज ही मुझको उनके एक छात्र से मिलने का अवसर मिला। किन्हीं सरकारी कामों से इस समय उत्तर प्रदेश में पश्चिमी बंगाल और दो एक अन्य प्रदेशों के स्वायत्त शासन विभाग के सचिव आये हुये हैं। पश्चिमी बंगाल से जो सचिव आये हैं वह डाक्टर मुकर्जी के छात्र रह चुके हैं। आज मुझसे मिलने आये थे और उन्होंने डाक्टर मुकर्जी की जो भूरि-भूरि प्रशंसा की वह उस बात का समर्थन करती है जिसको कि मैंने अभी निवेदन किया और जिसकी प्रसिद्धि सारे देश में है कि वह अपने छात्रों के बहुत ही प्रिय अध्यापक थे। उनके त्याग का अन्दाज इसी से हो सकता है कि शिक्षक की हैसियत से उन्होंने जो कुछ कमाया वह प्रायः सारा का सारा रुपया--कई लाख रुपया, उन्होंने विश्वविद्यालय को दे दिया शिक्षा के काम में लगाने के लिये। अधिकतर समय जरूर उनका शिक्षा में बीता परन्तु सार्वजनिक कामों में भी उनकी दिलचस्पी थी। इसका बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि जब देश के संविधान को स्थिर करने के लिये कांस्टीट्युएंट असेम्बली बैठी थी

तो डाक्टर मुकर्जी उसके उपाध्यक्ष थे। आज पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से उनको जो वेतन मिलता था उसका भी अधिकांश वह शिक्षा के सम्बन्ध में दान ही कर देते थे और अपने लिये केवल ५ सौ रुपये महीना रखते थे।

वे ईसाई थे परन्तु जिस किसी को उनसे मिलने का अवसर मिला होगा उसने इस बात का अनुभव किया होगा कि उनमें धार्मिक विद्वेष लेशमात्र भी कहीं छू नहीं गया था। बहुत से लोगों को—बंगाल में भले ही लोग जानते हों—आज तक शायद इस बात का पता नहीं होगा कि डाक्टर मुकर्जी ईसाई थे। बहुत ही सादा जीवन उनका था और वह बहुत ही सच्चरित्र आदमी थे। उनके उठ जाने से बंगाल को तो नुक्सान हुआ ही, सारे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनकी पत्नी अभी जीवित हैं। मैं समझता हूं कि हम सब इस बात को पसन्द करेंगे कि हमारी ओर से इस सदन की शोक भावना और सहानुभूति आप उनके परिवार के पास तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दुख के साथ बंगाल के राज्यपाल महोदय की मृत्यु का समाचार हम लोगों ने सुना। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन शब्दों में उनके जीवन का वर्णन किया है और जो भावनाएं उन्होंने प्रगट की हैं हम उनसे पूर्णतया सहमत हैं। मैं तो ऐसा समझता हूं और हमारा दुर्भाग्य है कि उनके जीवन-काल में उनके सम्बन्ध में अधिक जानने का अवसर नहीं मिला ऐसा मैं महसूस करता हूं कि यदि ऐसा अवसर पहले मिला होता तो सचमुच आज मैंने सोचा कि वह दर्शन करने लायक व्यक्ति थे। उनका त्याग जो है वह बड़ा मूल्यवान है। धन कमाना, मनुष्य अपनी किसी इच्छा के वश में हो कर करता है। लेकिन धन कमाने में यह निश्चित ही है और स्वाभाविक है कि कुछ उसको अलोकप्रियता का भी सामना करना पड़ता है। धन कमाकर और परमार्थ में खर्च कर देना यह एक इतनी बड़ी बात है जिस त्याग का मूल्य हम नहीं लगा सकते। जीवन भर जो कुछ भी उन्होंने धन कमाया हम नहीं कह सकते कि उसका कितना अंश उन्होंने अपने बाल-बच्चों या निजी परिवार के भरण-पोषण के लिये छोड़ा। जब मैंने पढ़ा कि १४ लाख रुपया उन्होंने अपनी कमाई का कलकत्ता विश्वविद्यालय को द दिया और राज्यपाल होने के जमाने में केवल पांच सौ रुपये अपने आप रखते थे और पांच हजार रुपये मासिक जो उनको मिलते थे वह सारा का सारा धन परमार्थ, परोपकार में बिना भेदभाव के कि किसको दें किसको न दें, किसी धार्मिक ख्याल से नहीं बल्कि, जो एक उदारचेता पुरुष का कार्य होता है उसी प्रकार उन्होंने व्यय किया यह अनुकरणीय है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है।

अध्यक्ष महोदय, बंगाल की भूमि ने हमारे देश में अनेकों महापुरुष पैदा किये और उनको उनके जीवन में जानने का अवसर हम लोगों को मिला। उनकी कुछ पूजा भी हमने की। लेकिन ये बातें जो उनके गुण की हैं, हमारी जानकारी में बहुत देर में आयीं। तो उस पुरुष के प्रति बड़ी आस्था होती है। स्वाभाविक है कि उसके जीने की भी हम कामना करते। ८० वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हुआ। यह अवस्था ऐसी है जिस अवस्था में अपने घर में अगर बड़े-बूढ़े का देहावसान होता है तो अपने ऊपर जो छाया रहती है उसकी कमी को महसूस करते हुए हम जरूर सोचते हैं कि खुशी के साथ उसका दाह संस्कार करें। तो जहां हमें इस बात का बहुत शोक है कि अभी ऐसे व्यक्तियों की हमारे देश में बड़ी आवश्यकता थी। उनकी छाया में हम अपने को बहुत गौरवान्वित समझते थे। उनकी सलाह से लाभ होता और उनके कामों का दूसरे लोग अनुकरण करते। हम उनके परिवार से और खास तौर पर मैं समझता हूं कि केवल उनका परिवार दुखित नहीं होगा, पांच हजार रुपये जो अभी कल तक उनके वेतन से लोग पा रहे होंगे, ऐसे लोग भी होंगे जिनको पांच हजार रुपया न पाने से बड़ी कठिनाई में पड़ जाना होगा, उनके बहुत काम ऐसे होंगे जो रुक जायंगे। उनके प्रति भी हमारी सहानुभूति है और मैं समझता हूं कि उनके अधूरे काम को जो बंगाल के उत्तरदायी लोग हों या देश के जो उदारचेता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

लोग हों उन्हें चाहिये कि उनकी सच्ची सहानुभूति और सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि जो कार्य उनके अधूरे रह गये हैं उन कार्यों को पूरा करें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं और आप से आग्रह करता हूं कि उनके परिवार के लोगों को हमारी तरफ से, हमारे दल की तरफ से, हमारे दोस्तों की तरफ से समवेदना का संवाद आप भेजने का कष्ट करें।

*श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---श्रीमन्, हम सभी को महान् दुख हुआ जब कि हमें यह समाचार मिला कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल महोदय डाक्टर मुकर्जी का देहावसान एकाएक कल शाम को हृदय की गति के रुक जाने से हुआ। वैसे तो जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा वह एक वयःप्राप्त व्यक्ति थे, किन्तु जिन शुभ कार्यों में वह लगे हुये थे और जिस त्यागमय जीवन का उन्होंने रास्ता अख्तियार किया था उस दृष्टिकोण से प्रत्येक आदमी और हम यह समझते हैं कि उनकी मृत्यु असामयिक थी। श्रीमन्, वह बहुत बड़े व्यक्ति थे और उनके पास प्रत्येक साधन होते हुये भी उन्होंने अपना जीवन त्याग का और सरलता का अख्तियार किया। वह एक विशेष धर्म के अनुयायी थे लेकिन उनके अन्दर धार्मिक सहिष्णुता बहुत बड़े अंश में थी और एक राज्य के प्रमुख होने के नाते वह सत्ता में न खो गए, बल्कि गरीबों के प्रति उनकी बड़ी सहानुभूति थी और हृदय से वह चाहते थे कि गरीबों का उद्धार हो। इन सब बातों को देखते हुए श्रीमन्, हम यह अवश्य समझते हैं कि इसमें पश्चिमी बंगाल की ही नहीं अपितु सारे देश की बड़ी भारी क्षति हुई है। हम जैसा कि सुनते हैं उनके परिवार में शायद उनकी श्रीमती के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं और उनकी श्रीमती भी शायद वयोवृद्ध हों और उनकी मृत्यु जब इस तरह से एकाएक हुयी और उनका कोई एकाएक सहारा न होने के कारण उनको भी महान् दुख हुआ होगा, उनके दुख के साथ हम भी अपना दुख शामिल करते हैं और इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हम सबकी ओर से हमारे दल की ओर से भी श्रीमती मुकर्जी को हमारी हार्दिक समवेदना प्रकट की जाय।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, बंगाल के गवर्नर डाक्टर मुकर्जी ऐसे त्यागी, देशप्रेमी, विद्यानुरागी, अपरिग्रही और मानवतावादी पुरुष के निधन से निश्चय ही हम सभी को दुख है। हम अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति प्रगट करते हुए अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उनके दुखी परिवार के लिये अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं और हम यह आशा करते हैं कि उन्होंने अपने जीवनकाल में जिन जनहितकारी कार्यों को अपना रखा था जितने सहानुभूति प्रकट करने वाले लोग हैं उनका कर्त्तव्य होना चाहिये कि उन कर्मों को पूरा करें और उनके जीवन में अपनाये हुए जनहितकारी कार्यों को पूरा करके अपनी सच्ची सहानुभूति उनके परिवार के प्रति दें और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें।

श्री अध्यक्ष---डाक्टर मुकर्जी, राज्यपाल पश्चिमी बंगाल की अचानक मृत्यु के ऊपर देश भर को बड़ा ही दुख होगा। इस विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री जी तथा अन्य नेता पार्टियों ने जो भावनायें उनकी इस मृत्यु के सम्बन्ध में प्रकट की हैं उनसे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। मेरा डाक्टर मुकर्जी से केवल एक ही समय का परिचय मात्र है और उनको देखने के बाद मेरे हृदय के ऊपर जो असर पड़ा वह यही था कि यह व्यक्ति राज्यपाल होते हुए कितना निरभिमानी सादा मिजाज और सच्चा व्यक्ति प्रतीत होता है। जो विषय चर्चा के लिये हमारे सामने था उसमें कोई भी दिल में रिजर्वेशन जिसको कहते हैं न रखकर अपना स्पष्ट मत व्यक्त करने की शैली मैंने उनमें देखी और उसमें भी कोई जिद नहीं। जहां तक मैंने उनके जीवन का अध्ययन किया---और थोड़ा ही कर पाया हूं ---मैं यह जानता हूं कि वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा के लिये अपना जीवन समर्पित कर चुके थे, क्योंकि वह यह समझते थे कि हमारा देश अशिक्षा के कारण ही पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के सम्बन्ध में उनके विचार बड़े उदार थे। जैसे धार्मिक विचार उदार थे, वैसे ही शिक्षा के सम्बन्ध में भी थे।

मेरे पास अचानक एक रोज रामायण और वह भी नैपाली भाषा में एक नैपाली साहित्यिक ने तैयार की थी, वह उन्होंने भेजी और मुझे उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने यह कहा कि नैपाल में इसका प्रचार होना आवश्यक है, "क्योंकि तुलसीकृत रामायण जिस संस्कृति का प्रचार करती है उसके प्रति श्रद्धा नैपालियों की तो है लेकिन तुलसीकृत रामायण में क्या दिया हुआ है यह हिन्दी भाषा का ज्ञान पूरा न होने के कारण वह नहीं समझ सकते। इस व्यक्ति ने यह सादी नैपाली भाषा में कवितावद्ध यह पुस्तक लिखी है, मैं समझता हूं कि इसका आप भी स्वयं अवलोकन करके नैपाली भाषा की रामायण का प्रचार करने का प्रयत्न करेंगे और स्वयं पढ़ कर देखेंगे कि नैपाली भाषा कितनी सरल है। आप भी खुद उसमें से बहुत कुछ अंश समझ सकेंगे।" मैंने जब उनका पत्र देखा तो मैं समझा कि कोई एक हिन्दू धार्मिक व्यक्ति लिख रहा है और शायद वे हिन्दू होंगे। बाद में जब मैंने जानकारी हासिल की तो पता लगा कि डाक्टर मुकर्जी स्वयं क्रिश्चियन होते हुए भी तुलसीकृत रामायण के सम्बन्ध में यह भावना रखते हैं, इससे स्पष्ट है कि उनका कितना उदार चित्त होना चाहिये।

यह बात सब को विदित है कि जहां पर संरक्षण के सवाल पर क्रिश्चियन्स के लिये संविधान के बनाते समय विचार हुआ तो उनका ही यह कार्य था कि अपने लोगों को उन्होंने यह समझाया कि अपने धर्मावलम्बियों के लिये संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, उनके इस मत व्यक्त करने का परिणाम और भी अल्प-संख्यक धर्मावलम्बियों के लिए भी एक उदाहरण स्वरूप हो गया और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों के बारे में कोई संरक्षण हमारे संविधान में नहीं आ सके। इस तरह के उदारचेता और शिक्षा-प्रेमी, शिक्षा के ऊपर जिन्होंने अपने जीवन को न्योछावर कर दिया था और अपना सब कुछ, सर्वस्व दान के रूप में दे दिया था, ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना हमारे देशवासियों के लिये और इस सदन के लिये स्वाभाविक है।

मैं उनके परिवार के प्रति सहानुभूति और उनके शोक में सम्मिलित होकर जो भावनायें इस सदन में उपस्थित की गयी हैं उनको उनकी पत्नी के पास भेज दूंगा और उनके परिवार के पास यहां का प्रस्ताव भेज दूंगा।

मैं अब आशा करता हूं कि अब हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिये दो मिनट के लिये खड़े होकर प्रार्थना करें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

नियोजन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुख के साथ मैं माननीय नियोजन मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने के लिये आपकी इजाजत चाहता हूं। मेज पार्लियामेन्ट्री नियमों के अनुसार हमें देखना है इसलिये मैं यह प्रश्न तुरन्त उठाता हूं और केवल संकेत मात्र कहे देता हूं। मैं जाब्ते के साथ आपको बाद में दे दूंगा। राजनारायण जी का उन्होंने इस सदन के सामने अपमान किया है, उनकी नीयत पर हमला किया है और मेरी ऐसी धारणा है कि कुछ उन्होंने गलत भी कहा है। इन सब चीजों को मैं आपकी सेवा में विस्तार से लिखकर उपस्थित करूंगा। इस समय मुझे इस प्रश्न को उठाने की इजाजत दे दी जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--सदन के सामने प्रत्यक्ष कोई बात गुजरती है तो किसी भी माननीय सदस्य को विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार हो जाता है और मैं समझता हूं कि इसी दृष्टिकोण से आपने प्रश्नोत्तर के समय में जो जवाब दिया गया था उस सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया है। क्या यह ठीक है मैं आप से यह जानना चाहता हूं।

श्री गेंदासिंह--जी हां।

श्री अध्यक्ष--इसके लिये आप मुझे सूचना देते हैं कि आप मुझे लिखकर देंगे ?

श्री गेंदासिंह--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो मैं इसको बाद में ले लूंगा अब इस समय इसके ऊपर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी छात्र को प्रविष्टि न करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक काम रोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी ने दिया है जो इस संबंध में है कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी के उपकुलपति ने एक विद्यार्थी को दाखिल होने से रोक दिया है। इससे जो प्रश्न उत्पन्न होता है, उसके ऊपर विचार करने के लिये यह काम रोको प्रस्ताव आया है। मैं समझता हूं कि यह विश्वविद्यालय एक औटोनोमस यानी स्वतंत्र संस्था है और उसके किसी कार्य के ऊपर विवाद के लिये कोई काम रोको प्रस्ताव इस तरह से नहीं उठाया जा सकता है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

पडरौना राजकृष्ण शुगर वर्क्स और जगदीश शुगर मिल्स कठकुइयां के सम्बन्ध में श्रम मंत्री का वक्तव्य

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेशानुसार पडरौना राजकृष्ण शुगर वर्क्स और जगदीश शुगर मिल्स कठकुइयां के संबन्ध में अपना वक्तव्य माननीय सदस्यों के सामने देता हूं।

पडरौना राजकृष्ण शुगर वर्क्स पडरौना और जगदीश शुगर मिल्स कठकुइयां पर इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स और गन्ना कर (sugar cane cess) कुछ बकाया था और इसलिये इन मिलों को नवम्बर, १९५५ में इन करों की वसूली के लिए नीलाम किया गया। नीलाम में बैग सदरलैन्ड एन्ड कम्पनी (Begg sutherland & Co.) कानपुर ने इनको खरीद लिया। इस नीलाम की कार्यवाही के विरुद्ध गोरखपुर के कमिश्नर के सामने कुछ आपत्तियां की गईं और चूंकि इन आपत्तियों के तय करने में कुछ समय लगता और मिलों का चलाना जरूरी था। भारत सरकार ने २५ नवम्बर, १९५५ को सदरलैन्ड हाउस कानपुर के श्री तुलसीदास मूंदड़ा को इन मिलों का अधिकृत नियंत्रक (Authorised controller) बना दिया। नीलाम के विरुद्ध आपत्तियों के तय होने के पश्चात ४ जुलाई, १९५६ को क्रोश क्रेता (Auction purchaser) को मिलों का कब्जा दे दिया गया। साथ ही भारत सरकार ने अपनी वह विज्ञप्ति रद्द कर दी जिसके अन्तर्गत श्री तुलसीदास मूंदड़ा को अधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किया गया था।

क्रोश क्रेता को ४ जुलाई, १९५६ को मिलों का कब्जा देने के पश्चात् अधिकृत नियंत्रक ने दोनों मिलों के कर्मचारियों को नोटिस दिये कि उन्हें अब कोई काम नहीं दिया जा सकता और ४ जुलाई के पश्चात् वे अपनी नौकरी समाप्त समझें। ५ जुलाई, १९५६ को कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड के मैनेजिंग एजेन्टों की ओर से कुछ ऐसे कर्मचारियों को जिनको मैनेजिंग एजेन्ट पर्यवेक्षी कर्मचारी (supervisory staff) समझते थे एक और नोटिस दिया गया जिसमें उन्हें यह बतलाया गया कि दोनों मिलों का स्वामित्व क्रोश क्रेता के पास चले जाने के कारण वह अब पडरौना राजकृष्ण शुगर वर्क्स पडरौना तथा जगदीश शुगर मिल्स कठकुइयां के नौकर नहीं रहे और यदि वे नये मालिकों के अधीन काम करना चाहें तो उनकी नौकरी की शर्तों को मान लें और एक सप्ताह के भीतर अपनी लिखित स्वीकृति दे दें। ५ जूलाई को मिल बन्द रही। इन्डियन शुगर मिल्स वर्क्स फेडरेशन ने मालिकों की इस कार्यवाही तथा इसके फलस्वरूप कर्मचारियों की नौकरी खन्डित होने के विरुद्ध सरकार को एक विरोध पत्र दिया। श्रमिक संघों ने भी इन तथाकथित पर्यवेक्षी कर्मचारियों (supervisory staff) का मामला मालिकों के सामने रक्खा। २१ और २२ जुलाई, १९५६ को मालिकों ने इन तथाकथित पर्यवेक्षी कर्मचारियों (supervisory staff) को व्यक्तिगत नोटिस दिये जिसमें उनको २८ जुलाई, १९५६ तक कम्पनी की नौकरी की शर्तों को मानने का एक और अवसर दिया और सूचित किया कि यदि उस तारीख तक उनको स्वीकृति नहीं मिलेगी तो उनकी नौकरी समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार पडरौना मिल के १९ कर्मचारियों की और कठकुइयां मिल के ७ कर्मचारियों की नौकरी २८ जुलाई, १९५६ से समाप्त हो गई। बाद को पडरौना मिल के १९ कर्मचारियों में से एक ने कम्पनी की शर्तों को मान लिया और उसको कार्य पर वापिस ले लिया गया।

इस विषय में दो समस्यायें उठती हैं। एक तो दोनों मिलों के श्रमिकों की नौकरी का अटूट रहना और दूसरा पडरौना मिल के अठारह और कठकुइयां मिल के सात कर्मचारियों का नौकरी से अलग होना। यह तो एक कानूनी प्रश्न है कि मिलों के नये मालिक श्रमिकों को उनकी अटूट नौकरी का फायदा देने को बाध्य हैं या नहीं और इसको समय पर कोई औद्योगिक न्यायालय तय करेगा। इस विषय पर श्रमिक संघों ने गोरखपुर की संराधन समिति (Conciliation Board) के सामने एक औद्योगिक विवाद उठाया है। दूसरा विवाद भी कि दोनों मिलों के वह कर्मचारी जिनकी नौकरी समाप्त कर दी गई है, पर्यवेक्षी कर्मचारी (supervisory staff) हैं अथवा Industrial Disputes Act के अन्तर्गत श्रमिक (workmen) हैं, गोरखपुर की संराधन समिति के सामने रख दिया गया है। इस विषय में किसी और कार्यवाही की आवश्यकता है या नहीं, यह तो शासन संराधन समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही तय हो सकेगा। इसके अतिरिक्त श्रमिक संघों तथा मिल मालिकों के बीच कुछ बातचीत भी चल रही है। अभी सूचना मिली है कि मिल मालिकों और निकाले गये कर्मचारियों के बीच में समझौता हो गया है, जिसके फलस्वरूप निकाले गये कर्मचारी पुनः काम पर वापिस ले लिये जायेंगे।

*श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जहां तक इस स्टेटमेंट का सवाल है वह तो ठीक ही है, उसमें कहीं गलती नहीं है, । एक चीज जो माननीय मंत्री जी ने कही कि मजदूरों ने लिखकर नहीं दिया तो मजदूरों ने उनको लिख कर दिया और उनसे यह प्रार्थना की कि आप हमें काम पर रखिये और हमने गवर्नमेंट को मूव कर दिया है। जो खत मजदूरों ने गवर्नमेंट को लिखा है उसकी कापी इस वक्त भी मेरे पास मौजूद है। यह सही इन्फार्मेशन मंत्री जी को नहीं है और अगर हो तो बतायेंगे ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथमल्ल]

दूसरा प्रश्न है कि इस वक्त जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है उसकी पेंडेंसी है और उसके मुताबिक उन्होंने आर्डर निकाल रखा है।

श्री अध्यक्ष--आप क्या पूछना चाहते हैं? अगर कोई चीज स्पष्ट कराना चाहते हों तो करा लें।

श्री जगन्नाथमल्ल--वही पूछ रहा हूं। पेंडेंसी होने के कारण.....

श्री अध्यक्ष--यही तो टीका है। आप ट्रिब्यूनल के बारे में पूछना चाहते हैं?

श्री जगन्नाथमल्ल--जी हां। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर बिना पूछे निकाला तो सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष--आप इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं?

श्री जगन्नाथमल्ल--जी हां, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो इन पेंडेंसी है तो अगर उसने आर्डर तोड़ा है तो सरकार उस पर कोई मुक़दमा चलाने जा रही है या नहीं?

आचार्य जुगलकिशोर--यह तो विवादजनक बात है कि कहां तक पेंडेंसी कायम थी और कहां तक उन्होंने तोड़ी और यदि वहां पेंडेंसी के होते हुये कानून के विरुद्ध कार्यवाही की है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से उचित कार्यवाही जो होगी वह की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार बतायेगी कि इस समय इस मिल के अथराइज्ड कंट्रोलर कौन हैं और इस समय इसके मालिक कौन हैं?

आचार्य जुगलकिशोर--अथराइज्ड कंट्रोलर नहीं रहे। इसके मालिक, प्रोप्राइटर, वेग सदरलैंड हैं।

** उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५५

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५५, पर विचार किया जाय।

मुझे इस विधेयक की आवश्यकता क्या है उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके खंडों से और उद्देश्य और कारण जो अन्त में दिया गया है उससे स्पष्ट हो जायगा कि क्या आवश्यकता है। तब भी मैं कुछ उन खंडों की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसको मैं समझता हूं पढ़कर वे गम्भीरतापूर्वक विचार कर सकेंगे। इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि इसकी मांग बहुत समय से हमारे प्रदेश में रही है कि एक लेबर वेलफेयर फंड कायम किया जाय और उसका इंतजाम और संचालन एक गैरसरकारी कमेटी द्वारा हो और उसे पूरा अधिकार उस फंड के चलाने का हो। एक तो सरकार ने उनकी मांग के आधार पर निर्णय किया है कि इस तरह का बिल लाया जाय।

दूसरा कारण यह भी रहा कि बहुत सी रकम श्रमिकों के वेजेज के बकाया के रूप में फैक्टरीज में पड़ी है जिसको इस धन में लेने के लिये बड़ी जरूरत थी कि कोई अधिनियम बने। आज कोई भी अख्तियार सरकार को नहीं है जिससे कि उस धन को उनसे, मजबूर करके, ऐसी निधि में ले सके। इसलिये भी इस बात की आवश्यकता पड़ी कि एक निधि कायम की जाय और उस निधि में वह रुपया भी मिलाया जाय जो कि मिलों में या कारखानों में बकाया के रूप में पड़ा रहता है और जिस को कि उस मिल के या कारखाने के नियोजक कभी श्रमिकों के कल्याण में लगाते हैं और कभी नहीं लगाते हैं। कुछ ऐसा धन भी होता है कि जो जुर्माने के

** १२ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

रूप में वसूल किया जाता है और मिलों में जमा रहता है। पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट के जरिये वह रुपया श्रमिकों के कल्याण कार्य में लगना चाहिये। इस अधिनियम के बनने के बाद बजाय इस के कि वह रुपया नियोजक अपनी मरजी के अनुसार उसको श्रमिकों के कल्याण में खर्च करें, वह रुपया इसी निधि में जमा होगा। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि वह ज्यादा संख्या में अनुदान दे सके। उस फंड को गवर्नमेंट ज्यादा जल्दी से स्वीकार करेगी जिस के बारे में मालूम होगा कि उस का इंतजाम एक ऐसी संचालक कमेटी के द्वारा होगा जो कि कानून से बनी हुयी होगी और जो नियमबद्ध होगी।

इस फंड का उपयोग कुछ निर्धारित मदों में किया जायगा जिसका जिक्र इस विधेयक में किया गया है। वह विशेषतया श्रमिकों के कल्याण कार्य में, उन को पढ़ाने के कार्य में उन के रेस्ट रूम के काम के लिये, और जो भी उन की आवश्यकतायें कल्याण सम्बन्धी होती हों उन को पूरा करने के लिये इस फंड का उपयोग होगा। इस फंड के इंतजाम के लिये एक कमेटी बनायी जायगी जिस कमेटी के चेयरमैन को सरकार नियुक्त करेगी और उस कमेटी में गवर्नमेंट के पांच प्रतिनिधि होंगे, वह कोई भी हो सकते हैं और वह नामजद व्यक्ति होंगे, और इन के अलावा तीन व्यक्ति श्रमिकों की तरफ से और उतनी ही संख्या के नियोजकों की तरफ से होंगे। उसका सेक्रेटरी श्रम विभाग का सचिव या अन्य कोई अधिकारी जिसको कि गवर्नमेंट उस के स्थान पर नियुक्त करेगी, होगा। इसके अलावा एक सलाहकार समिति भी बनाने की इसमें योजना है। इसमें बतलाया गया है कि उस कमेटी का कार्य यह होगा कि वह सरकार को भी और इस बोर्ड की संचालक समिति को, जो इस फंड की होगी, उस को समय-समय पर काम करने के तरीकों पर सलाह दे सकेगी। इस कमेटी का चेयरमैन भी गवर्नमेंट से नामजद होगा और इस कमेटी का जो सेक्रेटरी होगा वह लेबर वेलफेयर कमिश्नर होगा जिसकी नियुक्ति गवर्नमेंट करेगी। वह इसके सेक्रेटरी का काम करेगा।

इसके अलावा इस अधिनियम में इसके बनाने का प्रस्ताव भी है। उस ऐक्ट का जो पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट है, उस में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गयी है, क्योंकि उस का जो मौजूदा ऐक्ट है उसमें जो भी फाइन्स आज फैक्ट्रियों में वसूल किये जाते हैं वह नियोजकों के हाथों में रहते हैं और उसका उपयोग वह अपने ही जरिये श्रमिकों के कल्याण के लिये करते हैं। अब उस में संशोधन हो जाने के बाद वह फंड इस फंड में आ जायगा। बिना इस संशोधन के वह रुपया इस में नहीं आ सकता है। इसके अतिरिक्त इस में रूल्स आदि की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बारे में भी खंड २४ में इसमें बताया गया है कि कौन कौन बातों के लिये कैसे कैसे रूल्स बनाये जायेंगे। मैं समझता हूं कि इसकी मांग बहुत समय से रही है और उस मांग की पूर्ति के लिये यह बिल बनाया गया है। मैं यह आशा करता हूं कि आगे जाकर बहुत कुछ कार्य गवर्नमेंट जो श्रमिकों के कल्याण के लिये कर रही है उसके जरिये से वह ऊपर आने लगेंगे।

एक बात और है, जिससे फंड की आवश्यकता पड़ी, डोनेशन वगैरा देने के लिये कोई ऐसी संस्था नहीं थी जिसमें जो श्रमिकों की तरफ से दिया जाय वह रखा जा सके। अब श्रमिकों की तरफ से कोई डोनेशन देना चाहे तो वह दे सकता है। इस तरह से नियोजकों के यहां कुछ धन वेलफेयर का इकट्ठा हो जाता है वह धन भी इसमें आ सकेगा। इसके अलावा और कुछ धन वेलफेयर का उनके यहां होता है तो उसके लिये भी कर्जा देने का अख्तयार उनको होगा। इसलिये इस प्रकार श्रम कल्याण के लिये एक निधि कायम करने की आवश्यकता थी। इसलिये फंड जो नियोजकों के यहां बाकी रखने की बात है उसका भी इस्तेमाल होगा। जहां तक हमको इत्तिला है करीब १० लाख रुपया पिछले तीन साल का उनके पास जमा है। अभी तक जो आंकड़े मिले हैं उनसे यह मालूम हुआ है और हरएक वर्ष कुछ न कुछ रुपया इतना होगा कि जो इस शकल में आयेगा कि उस फंड में जाय। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, इस फंड में उस रुपये के अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी और दूसरे जरिये से इस फंड को रुपया मिलेगा यह एक ऐसा फंड बनाया जायगा जिसके जरिये से श्रमिकों का कल्याण होगा और और भी रुपया

[आचार्य जुगलकिशोर]

इसमें आता जायगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य-गण इसके ऊपर विचार करके अनुमति देकर इसके सिद्धांत को स्वीकार करेंगे। इसमें कुछ शाब्दिक त्रुटियां रह गयी हैं जिनको उस वक्त संशोधनों के जरिये से ठीक कर दिया जायगा। इसके अलावा और कुछ संशोधन माननीय सदस्य भेजना चाहें तो मैं उस समय उनके ऊपर अपने विचार और गवर्नमेंट की नीति प्रकट कर दूंगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को लाकर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा होता कि यह प्रस्ताव यदि और कुछ पहले आता क्योंकि इस मुल्क के किसान और मजदूर ही ज्यादा कष्ट में थे और आज भी हैं। जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गयी तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम कानून बनायें और उस कानून को बनाकर हम ऐसा करें जिससे मजदूर किसानों तथा अन्य गरीब लोगों की गरीबी दूर हो। हमारी गवर्नमेंट ने इस काम को अपने हाथ में लिया है .....

श्री अध्यक्ष---आप पहले अपना प्रस्ताव तो उपस्थित कर दें।

श्री सीताराम शुक्ल---मेरा प्रस्ताव श्रीमन्, यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५५ एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में प्रस्तुत किये जायेंगे।

यह काम शुरू हुआ। इसमें कोई शुबहा नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने उन मजदूरों की काफी सहायता की और किसानों की काफी सहायता हुयी और उस सहायता से उनकी काफी तरक्की हुयी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, बावजूद उस सहायता के, बावजूद उनकी मदद करने के, अभी भी उनकी हालत खराब है। आप जानते हैं कि कोई आदमी मकान छोड़कर बाहर जाकर काम करना पसन्द नहीं करता और अपने घर पर सूखी रोटी खाना भी पसन्द करता है लेकिन हमारे मजदूर भाई दूर दूर से आकर शहरों में काम करते हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत आराम है और तरक्की हो रही है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इतना परिश्रम करने के पश्चात् भी मजदूर का कष्ट दूर नहीं होता है। वह अपने वतन से छूट गया, शादी हुयी, बच्चे पैदा हुये लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होती, बुड्ढा बाप घर पर गांव में मर गया लेकिन मुलाकात नहीं हुयी। और शहरों में गन्दे मकान रहने के लिये उन्हें मिलते हैं जहां शहर के अमीर आदमियों का कुत्ता भी रहना पसन्द नहीं करता। लोग कहते हैं कि हवा पानी और धूप प्रकृति की है, वे सबके लिये बराबर हैं। लेकिन गरीब मजदूर को धूल मिली हुयी गन्दी हवा और गन्दा पानी मिलता है। जाड़े में जब लोग बाहर निकल कर सूरज की धूप लेते हैं तो वह कारखाने के अन्दर जा कर काम करता है। जब वह सोता है तो ख्वाब देखता है कि कर्ज देने वाला बाहर आया हुआ है और बाप बीमार है। न मजदूर को जागने में, न सोने में आराम है। घर आता है तो बच्चा उंगली पकड़ कर तुतला कर कहता है कि दादा, खाने के लिये मेरे लिये क्या लाये हो। लेकिन मजदूर बेचारा परेशान है। हमारे माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक रखा, बड़ी खुशी की बात है। जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना चाहिये। लेकिन सिर्फ खाना, कपड़ा, मकान, दवाई और शिक्षा देने से ही तो उनका कष्ट दूर नहीं होगा। इस तरफ सरकार ने नहीं ध्यान दिया है। मैं बारबार कह चुका हूं, सुख व दुख बहुत कुछ मुनहसर होता है मानने पर। अगर आप बड़े आराम में हैं और आप महसूस करते हैं कि आप बड़े दुख में हैं तो आपको जरूर तकलीफ होगी। हाउस जानता होगा कि बम्बई में एक करोड़पति ने खुदकशी करली जिसके पास बंगला, मोटर, बगीचा सब कुछ था। तो आराम तो मानने पर है लेकिन उस करोड़पति ने आराम अपने दिल में नहीं माना। हमारे मुल्क के राजनीतिक साहेबान बजाय उनकी तकलीफों को दूर करने के उनकी तकलीफों से लाभ उठाना चाहें, किसी का तो घर जल रहा है और कोई ताप रहा है।

श्री अध्यक्ष--यह विधेयक निधि कायम करने के लिये है, उसके सिद्धांतों पर आप बोलें। मजदूरों की सब परिस्थितियों का सवाल नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल--यह निधि इसीलिये तो बनायी जा रही है कि मजदूरों की परेशानी दूर हो। मैं कहता हूं कि परेशानी दूर नहीं होगी जब तक आप उनकी मानसिक परेशानी दूर करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। बिलकुल रेलेवेंट बात कह रहा हूं। इसलिये कोई कहता है कि यह सरकार पूंजीपतियों की है, इसकी हमदर्दी पूंजीपतियों से है, मजदूरों से नहीं है, इसलिये मजदूरों की सारी परेशानी का कारण यह सरकार है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मजदूर गरीब है उसके पास कपड़ा नहीं है मगर उसके पास संख्या है। वह जिसको चाहें बिगाड़ दें और जिसको चाहें बना दें। कहु केहि रंकहिं करहूं नरेशू, कहु केहि नृपति निकारहुं देशू। इसलिये राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि हमें वोट मिले।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप भाषण का उपयोग विधेयक की दृष्टि से करें। कृपा करके सार्वजनिक सभा की तरह आप भाषण न दें। मैं उसके लिये इजाजत नहीं दूंगा। (श्री सीता राम शुक्ल के कुछ कहने का प्रयत्न करने पर) मुझसे बहस करने की बात नहीं है। सब लोग भाषण देते हैं लेकिन वे इस तरह के भाषण नहीं होते। जो आप भाषण दे रहे हैं वह सार्वजनिक सभा का आम प्रश्नों को लेकर भाषण है।

श्री सीताराम शुक्ल--अध्यक्ष महोदय, आप बड़ी कृपा करते हैं जो मुझे टोक देते हैं। मैं इतनी बारीकी में तो जा नहीं पाता, गांव का मैं रहने वाला हूं। मगर जो चीज विधेयक में है, मैं उसी पर यह कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--आपका प्रस्ताव यह था कि संयुक्त प्रवर समिति के पास यह विधेयक जाना चाहिये। आप यह बतायें कि उसकी आवश्यकता क्यों है, लेकिन आप इधर उधर की बात कह रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल--हो सकता है लहजा कुछ अच्छा न हो, हो सकता है टोन अच्छा न हो। मैं कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं हूं देहात का रहने वाला हूं। लेकिन उन हालत को बता कर मैं यही बताना चाहता हूं कि उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की क्यों जरूरत है क्यों उसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय। बात यह है कि उनके पास वोटों का खजाना है और होशियार लोग उनको हासिल करना चाहते हैं। जरा सी शिकायत की बात हुयी कि बढ़ा कर बता दी। लेकिन मजदूरों की हालत आजकल यह है कि मजदूरी चौगुनी हो गयी है। सन् ३६ से अगर आजकल की मजदूरी देखी जाय तो चाहे प्राइवेट काम करने वाले हों अथवा सरकारी काम करने वाले हों, उनकी मजदूरी चौगुनी हो गयी है। रहन सहन भी ऊंचा हो गया है। परसों एक जुलूस यहां निकला, जो मजदूर यहां आये थे उनके पास साइकिलें थीं, उन पर टिफिन कैरियर भी टंगा हुआ था, कोट पतलून पहने थे।....

श्री अध्यक्ष--यह प्रचार प्रतिबन्धक विधेयक नहीं है। कृपा करके आप समझने की कोशिश करें, नहीं तो लाचार होकर मुझे रोकना पड़ेगा। आप यह सोच कर आये मालूम होते हैं कि आप कोई चीज दूसरे विषय पर बोलते समय कहेंगे। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप कृपा करके संशोधन पर आ जायं।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं इसीलिये अर्ज कर रहा था कि प्रवर समिति में इसके जाने की आवश्यकता क्यों है। उनकी मजदूरी चौगुनी बढ़ गई है, गवर्नमेंट हेल्प भी करती है फिर भी असंतोष बढ़ता ही जाता है। फिर भी मिनिस्टरों का पुतला बना बनाकर फूंकते हैं।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आगे भाषण जारी रखने की इजाजत नहीं दूंगा ।

(इसके बाद श्री अध्यक्ष ने श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी का नाम पुकारा)

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में.....

श्री अध्यक्ष--आप भी कृपा करके बैठ जायं, मैंने अवस्थी जी को भाषण के लिये बुलाया है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक श्रम मंत्री जी ने पेश किया उसके समर्थन करने के लिये और जो प्रस्ताव सीताराम शुक्ल ने पेश किया है जिसके द्वारा वे इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

वास्तव में इस प्रकार के विधेयकों की हमारे प्रान्त में बहुत आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि हमारे श्रमिक जो कल कारखानों में काम करते हैं उनके लिये कई तरीके के नियम और उपनियम बने हुये हैं। यदि कोई मजदूर तीन दिन तक बिला छुट्टी काम पर नहीं आता तो उसकी तनख्वाह जप्त हो जाती है या किन्हीं कारणों से निकाल दिया जाय तो उसको बोनस नहीं मिलता। इस प्रकार जो यह रुपया मजदूरों का जप्त किया जाता है उसका लाभ मिल मालिकों को होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है "पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट" उसके अन्दर भी यह लिखा हुआ है कि यदि कोई मजदूर ऐसा काम करे जिससे उस पर जुरमाना करने की आवश्यकता हो तो दो पैसा रुपया से ज्यादा जुरमाना उस पर न होगा और उस धन को उन्हीं श्रमिकों के हितकारी कार्यों में खर्च किया जाय। परन्तु यह भी मालिकों के ऊपर ही निर्भर करता है कि कब खर्च करें, कहां खर्च करें, और किस प्रकार खर्च करें, उन्हीं सब चीजों की रोकथाम के लिये और उस सारे रुपये को एक जगह रख कर सारे प्रदेश के मजदूरों के कल्याण करने के लिये यह बिल बना है और इसी लिये जहां तक कि मैं समझ पाया हूं यह बिल पेश किया गया है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या इस बिल से वह कार्य पूरा हो जायगा जिसके लिये कि यह बिल पेश किया गया है? उत्तर यह है कि शायद हो जाय, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि मैं और पीछे का इतिहास बतलाऊं तो सन् १९३७ में जब कांग्रेस सरकार ने शासन भार सम्भाला था तभी इस तरीके का कार्य शुरू किया गया था और उस समय केवल १० हजार रुपया सरकार ने इस कार्य के लिये दिया और यह कार्य कानपुर से शुरू हुआ लेकिन वह बढ़ते बढ़ते आज ८ लाख ३५ हजार रुपया सालाना इस कार्य पर खर्च हो रहा है और सारे सूबे में यह कार्य किया जा रहा है। तो इस बिल के लाने के बाद मुझे अन्देशा है कि कहीं डबल काम तो नहीं हो जायगा? क्योंकि इस बिल से जो कार्य किया जायगा उस रुपये से वही कार्य सरकार द्वारा संचालित श्रमहितकारी केन्द्र भी कर रहा है। ऐसी दशा में आवश्यकता तो इस बात की थी और है कि उस कार्य को जो सरकार कर रही है, इसी निधि के सुपुर्द कर दे। इस निधि के सुपुर्द कर देने से एक अच्छे ढंग से इस कार्य का संचालन होता माननीय श्रम मंत्री जी ने इशारा किया कि धीरे धीरे उसे यह दे दिया जायगा लेकिन वास्तव में आप यह देखें कि अब से पांच छः वर्ष पहले इसी सदन की स्टैन्डिंग कमेटी ने यह रेज्योलूशन पास किया था और साथ ही साथ ऐडवाइजरी कमेटी में भी कहा था कि इस तरह का एक बिल लाकर इस रुपये को आप अपने कब्जे में करें। आप किन्हीं आर्डर से उस रुपये को अपने कब्जे में कर लीजिये जिनकी संख्या आपने १० लाख बतलायी है लेकिन लगभग तीन वर्ष हो गये, इस तरफ कोई प्रगति नहीं हुयी है। मुझे अन्देशा है कि आप की यह शर्त कि धीरे धीरे देते जायेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बढ़ते-बढ़ते तीन वर्ष से तेरह वर्ष हो जायं और यह बिल अधूरा साबित हो?

इस बिल में कुछ खास खास और भी धारायें हैं। पहली बात तो यह मैं कहूंगा कि कुछ धारायें ऐसी हैं जो बार बार आई हैं। लेकिन चूंकि श्रममंत्री जी ने कहा कि जब विधेयक पर धारावार विचार होगा उस समय वे उस पर विचार करेंगे, इसलिये उसको न कहकर मैं

कुछ सैद्धान्तिक बातें ही करूं। दूसरे प्रदेशों में इस तरीके के जो ऐक्ट बने हैं उसमें उन्होंने कम से कम खर्च करने की कोशिश की है। मैं इस समय एक बड़े इंडस्ट्रिअल सिटी का ही नाम लूंगा। दूसरी जगह का नाम लेकर सदन का समय खर्च नहीं कहूंगा। वह बम्बई प्रदेश है जहां मजदूरों की संख्या हमारे प्रदेश से अधिक है, कल कारखानों की संख्या भी अधिक है, और अगर यह कहा जाय कि वहां की सरकार बड़े ही वैधानिक ढंग से कार्य को चला रही है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहां पर इस तरीके का एक कानून पेश हुआ और वह पास हुआ। उस कानून के द्वारा वहां की सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि कम से कम खर्चा सरकारी अधिकारियों पर किया जाय और इसीलिये उसने बजाय दो बोर्ड बनाने के एक ही बोर्ड बनाया। बोर्ड बनानेके बाद किन अधिकारियों की नियुक्ति की जाय, हालांकि बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति तो उसने अपने हाथ में जरूर रखी कि उनके सदस्यों को सरकार नामजद करेगी लेकिन उसके बाद उसने उनको पूरा अधिकार दे दिया कि वे अपने चेयरमैन को चुनें, अपने लेबर वेलफेयर कमिश्नर को चुनें, अपने आफिसर को चुनें, और इस कार्य का संचालन करें। हमारी सरकार तो बहुत ही पीछे चली गयी है। हमारी सरकार ने बजाय एक बोर्ड के दो बोर्ड बनाया है। एक एक्जीक्यूटिव बोर्ड और दूसरा सलाहकार बोर्ड। तो जहां तक एक्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें भी उतने ही आदमी रखे गये हैं। उसमें मालिक भी होंगे, मजदूर भी होंगे, सरकार भी होगी और उसके सेक्रेटरी श्रम विभाग के सेक्रेटरी होंगे। जो परामर्श दात्री समिति होगी उसको भी नामजद सरकार ही करेगी और उसके सेक्रेटरी भी लेबर वेलफेयर कमिश्नर होंगे, कमिश्नर होंगे या जो भी हों। नतीजा यह है उस का कि आप ने जो दोनों बोर्ड बना रखे हैं कहने के लिये तो आपने छूट दी है लेकिन सारी शक्ति आपने अपने ही हाथ में रखी है। आप अगर थोड़ा सा अवसर उन लोगों को दें जो इस प्रकार का सोशल काम करते हैं तो ज्यादा सुविधा हो हालांकि मेरे दिमाग में यह बात आ रही है कि हमारे सूबे में, बाहर की बात करना,तो बेकार है, हरिजन वेलफेयर बोर्ड, लेबर वेलफेयर बोर्ड, महिला वेलफेयर बोर्ड, सोशल वेलफेयर बोर्ड तमाम तरह के अलग अलग बोर्ड बने हुये हैं और वह एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे के कार्यों का विरोध कर रहे हैं और जिसके कारण आपस में मतभेद और शंकायें पैदा होती जाती हैं और कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है।

इसमें सन्देह नहीं कि अगर उन वेलफेयर बोर्डों में काम करने वाले सरकारी अफसर न हों तो एक दिक्कत आयेगी और वह यह कि अभी एक स्टेट इंश्योरेन्स स्कीम चालू की गई, उस का डायरेक्टर बनाने के लिए एक सज्जन कटियार साहब इंगलेंड से बुलाये गए, वह आये और एक स्कीम चलाई गई और उन्हों ने तमाम गालियां सुनीं और परेशानियां उठायी लेकिन जब स्कीम चल गयी तो सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि अब उन को निकाला जाय, उनकी जरूरत नहीं है और नतीजा यह हुआ कि वह अलग कर दिये गये। ऐसी दशा में इस तरह के कार्य सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों के बीच में कैसे चलें, यह प्रश्न सरकार के सामने हो सकता है, और है लेकिन इस का भी समाधान हो सकता है। यह बोर्ड २ प्रकार के हैं, एक तो वह है कि कि जो एक्जिक्यूटिव कार्य करेंगे और एक सलाहकार बोर्ड होंगे, अच्छा हो कि एग्जिक्यूटिव काम को मंत्री जी अपने हाथ में, अपने कर्मचारियों के हाथ में लें, और जो सलाहकार बोर्ड है जिस का काम केवल सलाह देना है उस को वह गैरसरकारी या नान आफिशियल लोगों के हाथ में दें ताकि वह आजादी के साथ अपनी राय दे सकें और यह तो सरकार के अधिकार में है कि वह सलहकार बोर्ड की राय माने या न मानें और इस तरह से आप उनकी बातों पर विचार कर सकेंगे। तो एक तरफ तो जो काम आप खुद कर रहे हैं वह इस निधि के द्वारा आप करेंगे। ऐसी हालत में वह सलाहकार बोर्ड, आप की ऐसी संस्थाओं को भी जिन को आप चला रहे हैं दोनों के लिये, अगर राय दे, कार्य विभाजन कर सके तो बड़ा उपयोगी काम होगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे शंक है कि यह रुपया उस ८ लाख रुपया में बिलकुल समाप्त हो जायगा, क्योंकि सरकारी कार्य जहां शुरू हुए वहां उसके साथ स्कीम बनी और इतने कर्मचारी आ जाते हैं कि जिनकी संख्या और वेतन बताना इस समय असम्भव है। यह बात मैं केवल अपने विचार से ही नहीं कह रहा हूं बल्कि माननीय श्रम मंत्री जी की

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और अध्यक्ष की हैसियत से आपने उसमें अपनी यह राय दी है कि श्रमहित कारी कार्य बाहरी लोगों के द्वारा गैरसरकारी लोगों के द्वारा ज्यादा अच्छा हो सकता है, उसमें आपने यह भी बताया था कि किन किन लोगों को उसमें शरीक किया जाय लेकिन आज उन के इस बिल के लाने पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप ने उस अपनी रिपोर्ट को ध्यान में नहीं रखा और सिफारिश नहीं की कि इस बोर्ड का जो सभापति होगा वह एक गैर सरकारी व्यक्ति होगा ।

इसी तरह से एक दूसरी बात और है कि बम्बई प्रान्त ने यह किया कि हमारा जो बोर्ड है इस का चेयरमैन वह चुन ले---और इसका जो लेबर वेलफेयर कमिश्नर है उसको भी चुनें ताकि प्लान्ड ढंग से काम चल सके ।

हमारे इस बिल में यह व्यवस्था नहीं की गयी । इस बिल में कहा यह गया है चेयरमैन हमारा, मेम्बर हम नामजद करेंगे, सेक्रेटरी हमारा और इस निधि को खर्च करने में कौन-कौन बात करेंगे, उसके डाइरेक्शन हम देंगे और इसका जो लेबर वेलफेयर कमिश्नर होगा वह भी हमारा होगा और यही नहीं उसके इंस्पेक्टर भी उन्हीं के होंगे । इस तरह से जब सारी चीजें उन्हीं की हैं तब मेरा ख्याल है कि इस बिल की सारी धाराओं को निकाल कर एक छोटा सा बिल आना चाहिये जिसमें यह हो जाय कि यह निधि इन इन चीजों से प्राप्त होगी उसे भी जो श्रमहितकारी कार्य सरकार के द्वारा होता है उसमें शामिल कर दिया जायगा और उन्हीं कार्यों में और बढ़ोत्तरी कर दी जायगी । इतना कह देनें से सदन का समय बच जायगा इतना कह देने से सरकार के सामने इस बिल में रखने से जो गलतफहमी होगी वह दूर हो जायगी और सरकार की मंशा भी जाहिर हो जायगी । इसके साथ ही साथ इस बिल में यह भी कहा गया है और मेरे जैसे श्रमिकों में कार्य करने वालों के दिल में बड़ी शंका है इस बिल में एक जगह यह कहा गया है इस बिल की धाराओं को पूरा या आधा सरकार जिस उपयोग में चाहेगी उसमें लागू करेगी और जिसमें चाहेगी उसमें नहीं करेगी यानी ऐसे उद्योगों को एग्जेम्पट भी किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, अब तक जितने श्रम सम्बन्धी कानून बने हैं वे गैर सरकारी कारखानों पर तो लागू किये गये हैं लेकिन सरकारी कारखानों पर एक तो लागू ही नहीं किये गये और अगर लागू किये गये तो उनको एग्जेम्प्शन दिये गये हैं, इतनी छूट दी गयी है कि वह वहां के लिये बिलकुल व्यर्थ हो गये । हमें शक है कि कहीं इस कानून का भी यही तो मंशा नहीं है, उन सरकारी कारखानों को जिनमें इसे लागू होना चाहिये उन पर वह छूट दे दी जाय और छूट दे कर इस रकम को भी उन्हीं के हाथ में रख दी जाय । कहा यह जायगा कि साहब वे तो सरकारी कारखाने हैं, सार्वजनिक सम्पत्ति है । उसमें यह खर्चा होता है तो हर आदमी का उसमें हिस्सा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, नेशनलाइजेशन के बाद एक बड़ी भारी शंका शुरू हो गयी और कम से कम मेरे जैसे श्रमिकों के बीच कार्य करने वाले के अन्दर तो जरूर है और वह यह कि हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे नेशनलाइजेशन करके सरकार में भी ऐसा दल बनता चला जा रहा है जिसका काम है इन कारखानों को चलाना और उनका एक डाइरेक्ट इंफ्लुएंस होता चला जा रहा है । मिलमालिक किन-किन कारणों से कारखानों को नहीं चला पाते हैं वह विधेयक से एक अलग चीज होगी लेकिन कारण है यहां का फाइनेन्स डिपार्टमेंट। उसका कारण हो सकता है यहां के अधिकारी तथा दूसरे डिपार्टमेंटस से क्लेश लेकिन यह न कह कर जो एक ही रास्ता रह जाता है उसे कहा ताता है कि मजदूर की गल्ती नहीं है मजदूर नहीं काम करता है, मजदूर भड़काया जा रहा है इत्यादि इत्यादि बातें । तो मैं यह कह रहा था कि नेशनलाइजेशन के साथ-साथ वह फिर मालिकों का सा संघ बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो सरकारी कारखाने होंगे उनकेसम्बन्ध में भी बहस होगी, सदन में भी सदस्य जानना चाहेंगे क्या कारण हैं, तब दूसरे रास्ते हैं बचाने के लिये इस ऐक्ट से उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाय । जब समय मिलेगा और इस बिल पर धारावाइज में बोलूंगा उस समय में बताऊंगा.....

श्री जगन्नाथमल्ल--कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था इसमें यह क्लाज जो है यह भी श्रमिकों के लिये और इस बिल के लिये हानिकारजक है। इसी प्रकार इस बिल में एक बात यह भी कही गयी है और कुछ जगह तो यह कहा गया कि कुछ चीजें जैसे कि प्रावीडेंट फंड यात्रा भत्ता या ग्रेच्युटी। इन चीजों को इसमें नहीं लिया जा सकता है। लेकिन उसीके बाद यह कहा गया है कि इन चीजों को भी लिया जा सकता है। यह मेरी समझ में नहीं आयी कि क्यों नहीं लिया जा सकता है अगर लिया जा सकता है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन अगर नहीं लिया जा सकता है तो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। एक मजदूर एक जगह काम करता है और उसको किसी ऐसे कार्यवश निकाल दिया जा सकता है जिसकी वजह से उसको बोनस नहीं मिल सकता। वह मुकदमा लड़ता है और हार जाता है तो क्या उस रुपये को जो यह धन उसको मिलना चाहिये उस मालिक के पास ही रहने दिया जायगा। अगर उस मालिक के पास रहने दिया जायगा तब फिर यह ऐक्ट बेकार हो जाता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस तरीके के रुपये को, चाहे प्राविडेंट फंड हो या बोनस का रुपया हो, चाहे अन्य सुविधाओं के बदले में जो धन की शक्ल में मिलता हो, जैसे यात्रा का भत्ता या जैसे चपरासियों को मकान के बारे में वेतन के तरीके से धन मिलता है कि अगर आप को कोई मकान नहीं मिला तो इस रुपये को उस मकान के किराये के एवज में दिया जायगा। मान लीजिये कि उस चपरासी की तनख्वाह तो आपने ले ली। लेकिन उसके पांच रुपये जो उसके किराये के थे क्या आप उनको छोड़ देंगे? मैं समझता हूं कि हमारे श्रम मंत्री जी इसको देख लेंगे और ठीक कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

इसी तरीके से इसमें अभी अध्यक्ष महोदय आपने टोक दिया। लेकिन इसलिये कि हमारे मित्रों को गलतफहमी न हो जाय, सीताराम जी ने कहा था कि चौगुनी तनख्वाह हो गयी है लेकिन यह भूल गये कि मंहगायी भी चौगुनी हो गयी है। सिर्फ मुझे इतना ही अर्ज करना है और कुछ नहीं। इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बजकर १४ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५६

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से आगरा युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५६ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६७-६८ पर)

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

***श्री जगन्नाथमल्ल** (जिला देवरिया)--श्रीमन्, आज जो विधेयक इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत है मैं उसके उद्देश्यों का तो समर्थन करता हूं लेकिन मेरा ऐसा निश्चित मत है कि इस विधेयक में बहुत सी खामियां हैं। जहां तक समर्थन का सवाल है, इस बिधेयक के द्वारा वह रक़म जो कि मिल मालिकों के यहां पड़ी हुई है जिसे कि मजदूर कई कारणों से नहीं ले पाया उस रक़म को लेबर वेलफेयरफंड में ले लेने की बात इस बिल में कही गयी है। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को यह भ्रम है कि यदि वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथमल्ल]

रकम इस बिल के द्वारा न ली जाय तो मजदूरों को मिल जायगी। मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि वह ऐसी रकम है जो कि मजदूरों को नहीं मिल सकती। उस रकम में बहुत सी ऐसी तनख्वाहें हैं जिनका कि क्लेम नहीं हो सका। जैसे कि किसी मजदूर ने काम किया और इत्तफाक से वह मर गया। वह मजदूर पचास साठ रुपये के करीब तनख्वाह पाता है। उसके जो सक्सेसर हैं उन्होंने मिल मालिक के पास एक दरख्वास्त दी कि यह रकम हम को मिल जानी चाहिये। हमीं उसके सक्सेसर हैं। तो मिल मालिक ने उससे कह दिया कि जाओ सक्सेशन सर्टिफिकेट ले आओ तब रुपया मिल सकेगा। श्रीमन्, सक्सेशन सर्टिफिकेट लाने ही में ५०, ६० रुपये खर्च हो जाता है तो वह बेचारा कहां से इतनी परेशानी मोल ले सकता है। खाली परेशानी ही परेशानी रह जायगी। जितना मिलेगा नहीं उससे ज्यादा खर्च हो जायगा। इस तरह से बहुत सी रकमें पड़ी हुई हैं जो कि मिल मालिक अपने काम में ला रहे हैं और अगर्चे हम इस विधेयक के द्वारा कानून बना देते हैं जैसा कि इसमें लिखा गया है तो वह रकम जो है वह एक फंड तैयार हो जायगा और जिससे कि मजदूरों के वेलफेयर का कुछ काम हो सकेगा। इस कारण मैं समझता हूं कि उस रकम को लेलेना और एक लेबर वेलफेयर सेंटर खोलना, एक लेबर वेलफेयर फंड खोल देना, यह उचित ही होगा। लेकिन जहां तक मुझे तजुर्बा रहा है आज तक जो सरकार काम इस लेबर फेलफेयर की तरफ करती रही है वह बिलकुल वैसा ही रहा है कि कहीं खेल कूद हो गया या कहीं इसी तरह का कोई काम और हो गया, बस इससे ज्यादा और कुछ काम नहीं हुआ। जहां तक इस बिल का सवाल है श्रीमन्, जो इसकी खामियां हैं उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो इसमें मजदूरी की परिभाषा दी गई है, खंड २ के उपखंड (१०) में, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी रख दी गयी हैं जिससे कि कन्फ्यूजन सा पैदा होता है, जैसे कि उसमें यह लिख दिया गया है कि कोई पेंशन होगा तो वह मजदूरी में नहीं आ सकेगा, गृह का आवास नहीं आ सकेगा, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि इससे कंफ्यूजन क्रियेट हो। या तो इतनी ही दूर तक रहे कि यह मजदूरी की परिभाषा जो है इसमें से यह शब्द निकाल दिये जायं—परन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है। अगर्चे इसमें से यह सारी चीजें निकाल दी जायं तो मैं समझता हूं कि यह बिल और स्पष्ट हो जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि जिसमें किसी को कन्फ्यूजन न पैदा हो, मजदूरों के सामने भी जाय तो भी न समझें कि इस तरह की चीजें उस में न आ सकेंगी तो अच्छा होगा। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि इसमें का जो यह अंश है इसको निकाल दें क्योंकि इसमें झूठ-मूठ में एक कन्फ्यूजन पैदा होता है।

दूसरी चीज जो इस बिल में है अनपेड अक्युमुलेशन, अदत्त संचय, यानी वह धनराशि जो मजदूरों को नहीं दी गयी और वह मालिक ही के पास पड़ी हुई है। उसमें जो यह डेफिनिशन दी हुई है उस में कुछ चीजें छोड़ दी गयी हैं। जैसे, अगर्चे कोई मजदूर यात्रा करता है तो उसका जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वह भी उसमें शामिल होना चाहिये। अगर्चे किसी कारण से मिलमालिकों ने उस ट्रैवलिंग अलाउंस को मजदूरों को नहीं दिया है और जब्त किये बैठे हैं तो वह भी इस अकाउन्ट में शामिल हो जाना चाहिये क्योंकि अगर मजदूर ने यात्रा की और उसकी यात्रा का भत्ता मजदूर को नहीं मिला तो वह जरूर इसमें आ जाना चाहिये। मिल-मालिकों को कोई अख्तियार नहीं है कि अगर्चे मजदूर ने अपने पास से यात्रा कर ली है तो उस को हज्म कर लें। इसलिये जो अनक्लेम्ड रुपया हो वह भी इसकी परिभाषा में आ जाना चाहिये।

इसी प्रकार मकान का भाड़ा। बहुत सी मिलों में ऐसा नियम है कि वह मकान न होने के कारण मजदूरों को भाड़ा देते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, कोरम की कमी है।

(घंटी बजायी गयी)

[श्री राजनारायण---श्रीमन्, लंच के बाद १२ मिनट के बाद सदन बैठा और कोरम की घंटी अभी से बजने लगी। तो जब इस तरह से इंटेरेस्टेड लोग यहां पर हैं तो उसको स्थगित ही कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---लंच-आवर के बाद इतनी सख्ती हो भी नहीं सकती।]

(कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगन्नाथमल्ल---तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि शुगर फैक्टरीज में ज्यादातर मजदूर क्योंकि वह देहात में होने से मकान नहीं पा सकते और मिल वालों ने इतने मकान बनवा नहीं रखे, इसलिये शुगर फैक्टरीज में ज्यादातर मजदूर मकान का भाड़ा पाते हैं। तो, अगर उनके मकान का भाड़ा भी किसी कारण रुका हुआ है, मजदूर नहीं पाता तो उसको भी इस फंड में लाना जरूरी होगा।

दूसरी चीज यह है कि और जगह की तो मैं नहीं जानता, लेकिन शुगर फक्टरीज में लकड़ी और तेल का पैसा मिलता है। ज्यादातर फ़ैक्टरीज में लकड़ी और तेल का पैसा मिलता है। अगर उनको पैसा मिलता है और वह किसी कारण से मजदूर को नहीं दिया गया तो वह भी रुपया इसी फंड में शामिल होना चाहिये।

इसी तरह से सर्वेन्ट्स अलाउन्स मजदूरों को मिलता है जो ऊपर के ग्रेड के हैं। श्रीमन्, मैं जानता हूं कि एक एक आदमी को तीन-तीन सर्वेन्ट्स अलाउन्स मिलता है। इसलिये अगर किसी प्रकार से मजदूर को यह अलाउन्स नहीं मिला तो वह भी रुपया इसी फंड में शामिल होना चाहिये क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर उसको नहीं मिला है जो उस को मिलना चाहिये था। तो मेरा स्पष्ट मत है कि मिल मालिकों को पैसा किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिये क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं है, इसको भी उसी फंड में शामिल कर दिया जाय ताकि वह मजदूरों के काम में ही व्यय हो।

श्रीमन्, मैं जानता हूं कि पेमेंट आफ़ वेजेज ऐक्ट के मातहत यह कानून बना हुआ है और वह यह है कि अगर किसी मजदूर पर जुर्माना वगैरा होता है तो इस रकम से लेबर वेलफेयर का काम होना चाहिये। लेकिन मैं जानता हूं कि जो जुरमाना होता है उससे लेबर वेलफेयर का काम नहीं किया जाता है तो इसको भी बिल में आ जाना चाहिये।

श्रीमन्, इस बिल में एक धारा सरकार ने यह भी रख दी है। खंड ३ के उपखंड ५ में लिखा हुआ है कि :---

> "(५) राज्य सरकार निधि में से किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर ऐसे आदेश (directions) देगी जिन्हें वह उचित समझे।"

मैं इसकी सख्त मुखालफत करता हूं। अगर्चे आप दरअसल में कोई बोर्ड बनाना चाहते हैं तो बोर्ड बना कर काम करें। फिर उसके साथ खिलवाड़ क्यों करते हैं? आगे चल कर आप देखेंगे कि जो बोर्ड है उसको कोई भी अधिकार नहीं है। सरकार ने सब जगह सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले रखा है। सरकार की मनोवृति यही रहती है कि सारी ताकत अपने हाथ में ले लें, वही इस बिल में भी रखा गया है। जब चाहे उसको सुपरसीड कर दें, यहां तक कि बोर्ड को कर्मचारी या चपरासियों तक को रखने का अधिकार नहीं दिया गया है। वह कोई क्लर्क या चपरासी रखता है तो वह भी सरकारी आज्ञा से रखेगा। मैं समझता हूं कि इस तरह से बोर्ड को खिलौना बना कर सरकार प्रदर्शन करे कि हमने बोर्ड बना रखा है और उसको अधिकार दे रखे हैं, मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है। यह बोर्ड तो मजदूरों की सेवा का कार्य करेगा और जहां-जहां उचित समझेगा लेबर वैलफेयर सेंटर्स खोलेगा। मैं समझता हूं कि ऐसे काम के लिये जिसमें सेवा का काम हो, उस में सरकार का हस्तक्षेप करना उचित मालूम नहीं होता है। उसको अधिकार दिये जांय और उसको स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिये। इस बोर्ड में मजदूरों के प्रतिनिधि रहेंगे, मिल मालिकों के प्रतिनिधि रहेंगे और भी आदमी रहेंगे।

[श्री जगन्नाथमल्ल]

इसमें किसी भी सरकारी आदमी को नहीं रहना चाहिये। यह बोर्ड बिलकुल इंडिपेंडेंट बनाया जाय। इसमें सरकारी नौकर न रहें तो अच्छा है। अगर सरकारी नौकर रखे जायेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं निश्चित मत का हूं कि यदि बोर्ड बनता है तो उसको पूरे अधिकार होने चाहिये कि वह जो चीज अच्छी समझे लेबर वेलफेयर के लिये उस तरह की कार्यवाही करे। मैंने तो, श्रीमन्, अर्ज किया कि नौकरों को रखने के बारे में भी कहा कि बस, हमारी इजाजत के बिना नहीं रह सकते। हर जगह का नियम यह है कि आधे से ज्यादा हो तो वह बात मानी जाय। इसमें तीन चौथाई मेजारिटी की बात रख दी गयी है कि अगर तीन-चौथाई से कम मेजारिटी होगी तो सरकार का ही हुक्म चलेगा। मैं समझता हूं कि तीन-चौथाई मेजारिटी वाली बात आदमियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में रखना अनुचित सा है और सरकार को इसे हटा देना चाहिये।

जहां तक किसी कर्मचारी को निकालने का प्रश्न है, उसमें भी सरकार बीच में आ जाती है। बोर्ड का कर्मचारी है, वह ठीक काम नहीं करता है और मेजारिटी यह समझती है कि इसको नहीं रखना चाहिये तो फिर बोर्ड को अक्तियार होना चाहिये कि उस कर्मचारी को निकाल दे। लेकिन वहां भी सरकार चाहती है कि उसी के हुक्म से निकले। तो इन सब चीजों से मैं समझता हूं कि बोर्ड का काम ठीक से चल नहीं सकता है। कोई कर्मचारी चाहे कितना ही खराब काम करता हो, बोर्ड के फंड को नुक्सान पहुंचाता हो, अगर उसने १/३ से ज्यादा मेम्बरों को अपने पक्ष में कर लिया तो उस को कोई निकाल नहीं सकेगा। इस तरह की चीज इसमें रखना मैं समझता हूं अनुचित होगा।

दूसरी चीज इसमें एक मंत्रणा-समिति बनायी गयी है। यह मेरी समझ में नहीं आया कि यह समिति किस लिये बनायी जा रही है। आप बोर्ड बना रहे हैं, ठीक है। वह सारा काम करेगा। वह जिससे मंत्रणा लेना चाहेगा ले लेगा। अब एक बोर्ड होगा, एक मंत्रणा-समिति होगी और एक होगा लेबर वेलफ़ेयर कमिश्नर। तो इस तरह तीन-तीन और चार-चार अथारिटीज के बीच में कोई काम हो नहीं सकता। अगर आप को काम कराना है तो एक ही अथारिटी रखिये और वह बोर्ड को रखिये। उस में हर एक के प्रतिनिधि आ रहे हैं। जो मन्त्रणा-समिति बनेगी उसमें भी उसी किस्म के मेम्बर हैं। इससे पैसे का दुरुपयोग इस माने में होगा कि जब मन्त्रणा समिति की बैठक आप बुलायेंगे तो उसका भी किराया देना पड़ेगा। तो एक खर्चा और बढ़ा इस फंड के ऊपर। इसलिये मैं समझता हूं कि इस मंत्रणा समिति को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसमें एक चीज और रखी गयी है कि कोई भी सरकारी अफसर अगर वह समझे कि उसे किसी फैक्टरी वगैरह का इंसपेक्शन करना है तो वह उसमें घुस सकता है। ठीक है, यह अधिकार उसे होना चाहिये। लेकिन इसमें यह कहीं प्राविजन नहीं है कि उसको यह भी अधिकार होगा कि वह कागजों को भी जांच पड़ताल करे। खाली फ़ैक्टरी में घुस कर ही वह क्या करेगा जब तक आप उस अफसर को यह अधिकार नहीं देते हैं कि कागजों की छानबीन करे? मान लीजिये किसी ने कम्प्लेन्ट दिया कि फलां फलां मजदूरों का रुपया पड़ा हुआ है तो वह घुस कर ही क्या करेगा जब तक उस को यह अधिकार न हो कि वह काग़ज वगैरह भी देख सके।

इसलिये मैं समझता हूं कि जांच की बात इसमें आनी चाहिये क्योंकि घुसना तो कोई बड़ी बात नहीं है असल बात तो जांच की है।

श्रीमन्, एक चीज और मेरी समझ में नहीं आयी कि वह इस विधेयक में क्यों रखी गयी है। इसमें एक क्लाज यह है कि सरकार जिस कम्पनी को चाहे मुक्त कर देगी। अब मैं यह कैसे कहूं कि किसी कम्पनी का सरकार से दोस्ताना हो या एलेक्शन में उससे उसे मदद मिलने की उम्मीद हो, लेकिन फिर भी यह चीज रखना गलत है। किस कारण से आप यह चाहते हैं,

सरकार ने इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं किया है। माननीय मंत्री जी जब बोलने के लिये खड़े हों तो यह समझाने की कृपा करें कि कैसे यह परिस्थिति पैदा होगी कि यह फंड उसके वहां से वसूल न किया जाय। अगर वे नहीं समझाते हैं तो सरकार को यह ताकत नहीं मिलनी चाहिये कि जिसको चाहे मुक्त करे। मैं साफ-साफ इस विचार का हूं कि इससे कोई भी मुक्त नहीं होना चाहिये, सब के ऊपर प्रतिबन्ध होना चाहिये कि जितना भी मजदूरों का उनके ऊपर बाक़ी है वह इसमें आ जायगा। श्रीमन्, यह तो मैंने विधेयक की खामियां बतलायीं।

लेकिन लेबर वेलफेयर में जैसा मैंने देखा है कोई सेंटर खोल दिया गया, रेडियो या किताबें रख दीं गईं या ड्रामा हो गया, सिर्फ इतनी एक्टीविटीज़ लेबर वेलफेयर में चल रही हैं। इससे ज्यादा वहां होने की संभावना नहीं है। इसके लिये बहुत सी चीजें और जरूरी हैं अगर मजदूरों का कुछ रुपया बाकी है और वह जब्त हो गया है तो जब वे इस कानून के जरिये से उस फंड को लेते हैं तो वहां सरकार का यह भी फर्ज है कि जो तनख्वाह मजदूरों की बाक़ी है या कोई रुपया मजदूरों का है उस को भी दिलवाने का प्रबन्ध होना चाहिये। मैं जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि पडरौना मिल में ९ लाख रुपया मजदूरों का बाक़ी है। उसके लिये हड़तालें हुईं, कई दफे फैसले भी हुये लेकिन किसी को अभी तक पैसा नहीं मिला। इसके लिये मैंने सजेशन्स भी दिये कि जिस तरह से केनग्रोअर्स का कुछ पैसा बाक़ी होता है तो केन कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह आर्बिट्रेशन कर दे और उसका पैसा वसूल हो जाता है, उसके बाद जब्ती हो सकती है नीलाम हो सकता है। लेकिन मजदूरों के लिये इस किस्म का कोई कानून नहीं है। उनके लिये सिर्फ अदालत में आने का ही चारा रहता है और एक एक मजदूर अदालत में मुकदमा लड़े तो यह बड़ी झंझट की बात है। तो जिस तरह से केनग्रोअर्स के लिये होता है उसी तरह से इस कानून में या किसी दूसरे कानून के जरिये अगर किसी मजदूर का कुछ रुपया बाक़ी है तो वह ट्रेड यूनियन के जरिये लेबर कमिश्नर के यहां दरख्वास्त दिलवाये और उनको आर्बिट्रेशन और रुपया वसूल करने का अख्तियार मिल जाये ताकि उनको दिक्कत न पैदा हो। ताकि उनको जा कर कचहरी की धूल न फांकनी पड़े और वकीलों में रुपया न खर्च करना पड़े। तो यह अधिकार उन को भी मिलना चाहिये। यह भी एक बड़ा लेबर बेलफेयर है। आप ही सोचें कि जब इतनी तनख्वाह बाक़ी है तो वह मजदूर किस परिस्थिति में होगा। यह मैं समझता हूं कि लेबर वेलफेयर का बड़ा अंग है और इस बिल में उसका प्राविजन होना चाहिये।

दूसरी चीज मैं बताऊं, श्रीमान्। लेबर वेलफेयर के लिये आप को जो लेबर के पक्ष में कानून हैं उन पर ठीक-ठीक अमल भी कराना होगा, तभी जा कर पूरी तरह से लेबर की भलाई हो सकती है। कई बार देखा गया है कि अगर मजदूर कानून तोड़ता है तो सरकार की पुलिस, कानून और अधिकारी सब उस पर टूट पड़ते हैं और उस को तुरंत सजा हो जाती है, लेकिन अगर मिलमालिक तोड़ता है तो उस को कोई पूछने वाला नहीं है। इसके एक नहीं पचासों दृष्टांत मौजूद हैं। मैं आप को बताऊं। सरकारी कानून है कि जब कोई मुकदमा किसी इजलास में हो तो सरकारी नोटीफिकेशन निकल जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की धारा ३ के मातहत कि जब मुकदमा मजदूरों का इजलास में हो तो मिल मालिक बिना उस अदालत से पूछे हुये किसी की नौकरी नहीं खत्म कर सकता। आज सबेरे यहां एक मामला आया हुआ था। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस पर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिये और मैं तो चाहता हूं कि सदन को बता दूं क्लियर कि उस मिल मालिक ने कानून तोड़ा है। स्टेट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में बोनस का मामला चल रहा है जिसके कारण जितनी हमारी शुगर मिलें हैं उन पर पेंडेंसी है और उसमें वह किसी मजदूर को निकाल नहीं सकतीं। मैं कहता हूं कि अगर नीलाम में खत्म हो गई तो इस कारण उन्होंने मजदूरों को निकाल दिया। ठीक है, अगर निकाल दिया तो उनका फर्ज था और उनके लिये लाजमी था कि वह स्टेट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल से इजाजत ले लेते। यह तो ठीक था और उनको इजाजत मिल जाती, लेकिन यह जरूरी था कि वह इजाजत लेते। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो इजाजत नहीं ली और जो सरकारी विज्ञप्ति निकली हुई है उस को ओवर रूल किया उस में सरकार ने क्या कार्यवाही की? क्या यही लेबर वेलफेयर हो रहा है? क्या इसी तरह से लेबर की भलाई होगी कि मिल मालिक चाहे जो

[श्री जगन्नाथमल्ल]

कानून तोड़ कर मजदूरों को तंग कर रहें और आप बैठे रहें ? मेरे पास इस वक्त तीन-तीन नजीरें हैं, बाम्बे हाई कोर्ट की और मद्रास हाई कोर्ट की, जिनमें उन्होंने साफ-साफ कहा है कि अगर प्रोप्राइटरशिप कारखाने को एक हाथ से दूसरे आदमी के हाथ में जाती है तो मजदूरों की नौकरी पर इससे कोई एफेक्ट नहीं पड़ेगा। उनको जो चीजें अब तक मिलती रही हैं वह मिलती रहेंगी, लेकिन उस के बाद भी वहां मनमाना हो रहा है। उन्होंने मन में मान लिया कि इतने आदमी सुपरवाइजरी स्टाफ के हैं। जबकि क्लीयर फैक्टरी मैनुअल का क्लेरिफिकेशन है कि फलां जगह के लोग सुपरवाइजरी स्टाफ में आ सकते हैं लेकिन फिर भी उसमें यह चल रहा है कि उन्होंने उनको वहां से निकाल कर बाहर कर दिया है। जहां तक कुछ आदमियों को लेने की बात है मैं समझता हूं पहले ३ आदमियों को डिसमिस किया था उनको तो नहीं निकाला लेकिन फिर भी ३ आदमियों को मिल वालों ने जो छांटा है उनकी बाबत सरकारी स्टैंडिंग आर्डर में यह दिया हुआ है कि इन्क्वायरी की जाय और शुगर की रिपोर्ट जब तक न निकल जाय तब तक मिलमालिक कोई किसी को निकाल नहीं सकता। लेकिन तब भी वह ऐसा करते हैं। उसकी सर्विस के समय में वह बदल भी नहीं सकते हैं। अगर उस दरमियान में किसी की तनख्वाह को वह काटते हैं तो सरकार ने इसके लिये क्या किया है ? इस तरह से लेबर वेलफेयर नहीं हो सकता। मैं समझता हूं जब सरकार कानून बनाती है तो उसका यह भी फर्ज हो जाता है कि उनका ख्याल रखे। लेकिन सरकार का इतना रुपया व्यय हो जाता है और कानून बनता है फिर भी कानून के मुताल्लिक अमल नहीं ठीक तरह से किया जाता है और वह मिलमालिक के लिये अप्लाई नहीं किया जाता है। हम इतना रुपया लगाकर यहां पर बैठते हैं तो क्या उसका यही नतीजा होना चाहिये कि उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाय और उस पर अमल न किया जाय ? इस तरह से काम, मैं समझता हूं, कि चलने वाला नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कभी वह समय दें तो उनको यह सारी फाइल दिखायी जाय। मैं समझता हूं कि जो लोग इस तरह से कानून तोड़ते हैं और कानून की पाबन्दी नहीं करते हैं उनको अवश्य सजा मिलनी चाहिये।

मैं एक बात कहना भूल गया और वह यह है कि अगर कोई अफसर कुछ आदमियों को लेकर मिल में घुसना चाहता है वह किसी कागज की जांच करना चाहता है और वह मिल मालिक किसी तरह से जांच नहीं करने देता है तो उसके लिये भी इसमें प्राविजन होना चाहिये कि उसको यह सजा मिलेगी। यह ठीक है कि आपने फंड के लिये यह रखा है कि अगर कोई नहीं देता है तो उसको मालगुजारी की तरह से वसूल किया जायगा। इसी तरह से अगरचे कोई अफसर को घुसने नहीं देता है तो इसमें आपका कौन सा प्राविजन है जिससे उसको सजा दी जायगी ? इसलिये मैं चाहता हूं कि जहां वह प्राविजन लिखा हुआ है वहां पर यह भी होना चाहिये कि अगर मिल मालिक घुसने नहीं देगा तो उसको यह सजा होनी चाहिये और वह सजा इसमें रखी जाय तभी उस पर अफसर की भी सेफ्टी हो सकती है। नहीं तो वह वहां नहीं जा सकता है। किस धारा के मुताबिक आप उसको सजा देंगे। यह जरूरी चीज है और उसमें यह होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं और इसमें जो खामियां हैं उनको माननीय मंत्री जी ठीक करने की कृपा करें। जैसा कि शुक्ल जी का ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजने का प्रस्ताव था उसकी आवश्यकता नहीं है वह तो यही संशोधन के जरिये से हल हो सकती है और वहां जाने से इसमें देर भी हो जायगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर माननीय मंत्री जी ध्यान दें और बिल में जो खामी रह गयी है उनको दूर करने की कृपा करें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—श्रीमन्, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। विरोधी दल के भाषणों से भी पता चला कि इस विधेयक के उद्देश्यों से उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि इस बिल में बहुत सी कमियां हैं जिन्हें ठीक करना चाहिये।

यह ठीक है कि इसके अन्दर कुछ खामियां हैं और कोई भी बिल हो उसके अन्दर कुछ कमियाँ हो हो सकती हैं। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी कि अगर सचमुच कमियां हैं और उन्हें मजदूरों के हित में दूर होने की आवश्यकता है तो दूर होना चाहिये। एक आपत्ति उनकी ओर से यह उठायी गयी कि इसमें बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जिन्हें आप वसूल नहीं कर सकते परन्तु वह इस फंड में जमा होनी चाहिये। जगन्नाथमल्ल जी ने यह बतलाया कि जब मजदूर को उसका भत्ता नहीं मिला हो वह भी अनपेड एक्यूमुलेशन में शामिल होना चाहिये। उन्होंने कहा कि बहुत सी फैक्ट्रियों में यह कायदा है कि वह मजदूरों को हाउसिंग का कुछ भत्ता देते हैं। अगर इस तरह का भी कोई अनपेड भत्ता हो तो उसे भी इस फंड में शामिल किया जाय। मान्यवर, मैं उनसे बिलकुल सहमत हूं। मैं भी चाहता हूं कि जिस प्रकार की कोई आमदनी मजदूर को फैक्टरी से होती हो, अगर उसका पैसा फैक्टरी के पास बाकी हो तो यह उचित ही है कि वह पैसा इस फंड में आजाय ताकि उससे श्रमकल्याण की बात आगे को चल सके बजाय इसके कि मजदूर का पैसा मिलमालिक के पास पड़ा रहे। उन्होंने यह भी आपत्ति की कि बोर्ड को कोई अधिकार नहीं दिया गया है और सरकार को बोर्ड के मामलात में इन्टरफियर करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इस धारा में यह है कि—

"The State Government may from time to time give such directions as it thinks fit in respect of the expenditure from the fund."

यानी राज्य सरकार कुछ आदेश दे सकती है। लेकिन वह कहते हैं कि इसके होने से बोर्ड के पास कोई अधिकार नहीं रह जाते हैं। मैं समझता हूं कि इसका होना उचित है क्योंकि जब गवर्नमेंट लाखों रुपया बतौर डोनेशन या ग्रान्ट के इस बोर्ड को देगी तो उसके इस्तेमाल के बारे में कुछ डाइरेक्टिव्ज देने का सरकार को अधिकार होना चाहिये। यह भी कहा गया कि इस बोर्ड को अपने कर्मचारियों को रखने व हटाने का अधिकार नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इसमें उन्हें थोड़ा भ्रम है। अगर वह खंड १२ को पढ़ने का कष्ट करेंगे तो वह देखेंगे कि खंड १२ में यह है कि आम तौर से बोर्ड अपने स्टाफ को मुकर्रर कर सकेगा। शब्द ये हैं, मैं हिन्दी में पढ़ दूं "निधि में से जिन कार्यों को वित्तीय सहायता मिल रही है उनके संचालन एवं निरीक्षण के निमित्त बोर्ड को आवश्यक लिपिक तथा कार्यपालक कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

यह इसके अन्दर है और डिसमिसल का भी अधिकार उनको है। किसी कर्मचारी के विषय में एक तिहाई मेम्बर की यदि यह अपोनियन हो कि उसको न हटाया जाय, तो उसको न हटाया जायगा। मैं समझता हूं कि बोर्ड को इसके अन्दर पूरा अधिकार है।

एक बात यह कही गयी कि एडवाइजरी कमेटी का होना आवश्यक नहीं है। मेरा अपना मत है कि एडवाइजरी कमेटी न बनायी जाय तो उससे कोई हानि होने वाली नहीं है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि गवर्नमेंट के पास आज भी एक एडवाइजरी बोर्ड है। जो ८ लाख ३८ हजार की धनराशि गवर्नमेंट देती है श्रमकल्याण के सम्बन्ध में यह बोर्ड उसको सुपरवाइज करता है। मेरी राय यह है कि इस बोर्ड के बनने के बाद उस एडवाइजरी बोर्ड को खत्म कर दिया जाय। उसके भी तमाम काम उसको ही सौंप दिये जायं और वह ८ लाख ३५ हजार की जो धनराशि है वह भी इसी फंड में शामिल कर दी जाय। उस वक्त तक जब तक कि यह धनराशि शामिल न की जाय उसको भी देखने का अधिकार इस बोर्ड को दिया जाय।

यह भी एक आपत्ति की गयी कि सरकार को इस बात का अधिकार नहीं होना चाहिये इस ऐक्ट के अनुसार कि वह किसी खास कारखाने को एक्जेम्पशन दे दे। मैं समझता हूं कि उसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि यदि कोई कारखाना ऐसा है जो मजदूरों के हित में ऐक्टीविटीज पर अब भी बहुत सा पैसा खर्च कर रहा है, उसके लिये अपनी स्कीम व योजनायें हैं तो उसको सरकार एक्जेंप्ट कर दे और जो इस प्रकार से अनपेड पैसा है उसको वह जिस प्रकार से खर्च करता चला आया है, उसी प्रकार से खर्च करता रहे। यदि गवर्नमेंट की इस प्रकार की मंशा है तो ऐसी फैक्ट्रीज को ऐक्जेम्प्ट किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये लेकिन शर्त इस बात की हो कि वह भी इस बोर्ड के मशविरे से होना चाहिये। इस तरह का कोई भी फैसला बोर्ड के

[श्री नवलकिशोर]

सामने पेश होना चाहिये, ताकि बोर्ड को यह देखने का मौका मिले कि उस फैक्टरी की क्या ऐसी ऐक्टीविटीज हैं और बोर्ड यदि इस बात से संतुष्ट हो जाय कि वह अपना काम ठीक कर रही है और काफी रूपया श्रम कल्याण में खर्च कर रही है तो उसको ऐक्जेम्प्ट कर दिया जाय ।

एक बात यह भी कही गयी कि पडरौना मिल के अन्दर मजदूरों का ९ लाख रुपया वेतन का बकाया है तो इसमें ऐसा भी प्रावीजन होना चाहिये कि लोगों को वेतन का रुपया आसानी से मिल सके । मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत से ऐक्ट्स हैं । जहां तक उनकी मंशा का सवाल है मैं उनसे सहमत हूं कि जहां तक उनका यह कहना है कि इसमें इस प्रकार का एक खंड बना दिया जाय, मैं समझता हूं कि यह इस बिल के स्कोप के बाहर की बात है । इसमें कोई शक नहीं कि यदि मौजूदा कानूनों में ऐसी कमियां हैं तो सरकार को नये कानून बनाना उचित है लेकिन यह चीज इस कानून के स्कोप के बाहर है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने सहजनवां मिल के बारे में भी कहा । लेकिन उसका भी इस बिल से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है । मेरा ख्याल है इसके द्वारा वे, श्रम मंत्री जी ने जो सुबह स्टेटमेंट दिया था, उस पर कुछ टीका करना चाहते थे और इसकी आड़ में उन्होंने उस चीज को उठाने की कोशिश की ।

एक चीज मुझे इसमें और कहनी है । खंड १५ में लिखा हुआ है कि "दि स्टेट गवर्नमेंट में एप्वाइन्ट ए लेबर वेलफेयर कमिश्नर" (The State Government may appoint a Labour Welfare Commissioner) उस धारा को देख कर मैं कुछ परेशान हुआ इस माने में कि हमारे पास आलरेडी एक लेबर कमिश्नर मौजूद है और लेबरकमिश्नर के नीचे काफी स्टाफ है । मैं यह देखता हूं कि यह एक टेंडेंसी हमारे यहां हो गयी है कि जब हमने कोई नया कानून बनाया छोटा कानून बनाया या बड़ा कानून बनाया तो इस बात की कोशिश की जाती है कि इस विधेयक के साथ-साथ दो चार नये सरकारी अफसरों की नियुक्ति भी कर दी जाय । मैं समझता हूं, कि मैंने इसको ठीक समझा है कि जो मौजूदा स्टाफ लेबर कमिश्नर का है और उनके नीचे जो डिप्टी वगैरह हैं, वे काफी हैं और वे इस काम को भी अंजाम दे सकेंगे । तो इस विधेयक की आड़ में कुछ स्टाफ अधिक बढ़ाने की बात मैं समझता हूं कि कुछ उचित नहीं है । इसलिये कि हमने एक फंड बनाया और उस फंड का काफी हिस्सा यदि इसमें खर्च कर दिया जाय कि बड़े आफिसरों की नियुक्ति कर दी जाय और उनके साथ कुछ और कर्मचारी जोड़ दिये जायें तो मैं समझता हूं कि उस फंड का जो परपज है वही खत्म हो जाता है । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि जितने आफिसरों की उचित रूप में उनको आवश्यकता हो उतने आफिसर उनको मिलने चाहिये । लेकिन इस विधेयक में इस बात को रखने की आवश्यकता नहीं थी कि सोशल वेलफेयर कमिश्नर का एप्वाइन्टमेंट हो । और भी बहुत सी बातें कही गयी हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूं कि जब क्लाज बाई क्लाज हम विचार करेंगे तब उन बातों पर सोचने का समय आवेगा । और अधिक न कह कर इन शब्दों के साथ मैं फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के दो मुख्य अंश हैं । पहला यह है कि औद्योगिक श्रमिकों के कल्याण के लिये एक निधि की स्थापना की जाय और दूसरा यह है कि इस प्रकार की जो निधि स्थापित हो उसके जरिये से कल्याण का कार्य किया जाय और इन दोनों बातों की व्यवस्था हो ।

जहां तक इस प्रकार की निधि की स्थापना की आवश्यकता है, कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । इससे सदन के सभी सदस्य पूर्णतया सहमत होंगे । लेकिन निधि की स्थापना की जो व्यवस्था विधेयक में की गयी है उसके सम्बन्ध में कुछ बातें विचारणीय हैं और कुछ संशोधन की आवश्यकता मालूम पड़ती है । उदाहरण के लिये एक बात मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि धारा ३ (४) में दिया हुआ है--"निधि के खाते में निम्नलिखित जमा होंगे--राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायक अनदान, स्वेच्छा से किये गये दान" इसके अलावा और सब बातें

ऐसी हैं जो श्रमिकों के कमाये हुये धन के रूप में उसमें आता है। तो ऐसी दशा में क्या राज्य सरकार के लिये यह बेहतर नहीं होगा कि वह इस बात का एक अनुपात रखे कि राज्य सरकार जो सहायता या अनुदान बोर्ड के लिये देगी श्रमिकों का बाकी धन या सम्पिति जो आये उससे उसका यह अनुपात होगा ? यानी उदाहरण के तौर पर श्रमिकों का धन जितना आता है उसका दुगुना राज्य सरकार सहायता या अनुदान देगी। ऐसी व्यवस्था होने की आवश्यकता मालूम पड़ती है। इस तरह से सरकार श्रमिकों के प्रति अपनी हितैषिता सिद्ध करने के लिये जनकल्याण कारी सरकार के स्वरूप का सही परिचय दे सकेगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे।

दूसरी बात जो व्यवस्था की गयी है, कार्य के संचालन के लिये बोर्ड की, उस बोर्ड का नाम तो दिया गया है कि एक प्रकार से वह गैर सरकारी एजेंसी होगी। लेकिन शुरू से आखिर तक आदि से अन्त तक वह बोर्ड सरकारी बोर्ड सा है। बोर्ड के सभापति नाम-निर्दिष्ट होंगे, बोर्ड के सभी सदस्य नाम निर्देशित होंगे उस में ऐसी व्यवस्था है और ऐसे बोर्ड को भी जो पूरे का पूरा सरकार की ओर से नाम निर्देषित होगा, पूरा सरकार के द्वारा नामजद होगा, उसको भी सरकार की ओर से समय-समय पर आदेश दिये जायेंगे जिन का कि उसको पालन करना होगा। इसके अलावा बोर्ड के जितने अधिकारी और कर्मचारी होंगे वह सब के सब सरकारी कर्मचारी ही माने जायेंगे और बोर्ड का अवक्रमण करने का भी अधिकार सरकार को है। खास तौर से धारा १० में जो बोर्ड की स्थापना की गयी है वह तो सरकार द्वारा नाम निर्देषित लोगों का संगठन होगा और उस में नामनिर्देषित सदस्यों के अलावा एक भी अन्य सदस्य नहीं होगा और साथ ही धारा १८ में बोर्ड के अवक्रमण का अधिकार भी सरकार को है और अन्त में जो धारा २४ है जिस में नियम बनाने का अधिकार है उस में भी ध्यान देने की बात यह है कि वे सब नियम भी सरकार द्वारा ही बनाये जायेंगे। और इस में इस बात तक की व्यवस्था नहीं है कि उन नियमों को सदन के सामने भी रखा जा सके और सदन को उनमें संशोधन का अधिकार हो। इन सब बातों के अतिरिक्त मुझे एक बात सब से अधिक खटकती है और वह यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि वह गैर सरकारी जरिये से कार्यसंचालन करना चाहते हैं उनकी वह बात इस से पूरी नहीं होती।

इसके अलावा मैं तो यह भी देखता हूं कि विकेन्द्रीयकरण का जो माना हुआ सिद्धान्त है उसकी भी इससे अवहेलना होती है, उस नीति की पूर्ण अवहेलना होती है चूंकि समस्त सत्ता सरकार ही के हाथ में केन्द्रित है। कोई अधिकार किसी गैरसरकारी जमात के हाथ में नहीं छोड़ा गया है। यह सब विकेन्द्रीयकरण की नीति और सिद्धांत के विरुद्ध है। तो मुझे मंत्री महोदय यह कहने के लिये क्षमा करेंगे कि यह जो ऐसी व्यवस्था शुरू से आखिर तक रखी गयी है उस से मुझे शंका होती है कि क्या यह चीज हमें टोटेलीटेरियनिज्म की ओर नहीं ले जा रही है या उस ओर नहीं ले जायगी ? इस तरह की व्यवस्था करना कहां तक ठीक है ? क्या यह सही नहीं होता कि एक गैर सरकारी जमात का यह बोर्ड होता और उसके जरिये यह काम कराया जाता स्वयं महात्मा गांधी भी इसी सिद्धांत को मानते थे। वे इस को इस हद तक मानते थे कि उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस को भी यह अधिकार नहीं दिया कि वह अपनी सत्ता खादी बोर्डों और ग्रामीण बोर्डों पर रख सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन में सिवा ग्रान्ट देने के और रुपये के उपयोग पर निगाह रखने के और कोई दखल नहीं दे सकती उनके कामों में। सत्ता के विषय में कांग्रेस तक के विषय में उन का ऐसा ख्याल था तो हमारी सरकार क्यों इस सिद्धांत को नहीं जानती कि गैरसरकारी जमात के द्वारा यह कार्य कराया जाय और क्यों सरकार के हाथ में यह सत्ता सौंपी जा रही है ? सरकार को जनहित के कामों में तो जनता का सहयोग लेना ही चाहिये और जनता के स्वाभिमान की रक्षा करते हुये ही जनता का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। जब अंग्रेज सरकार कांग्रेस से सहयोग की आशा करती थी और आग्रह करती थी तो हमारी ओर से यह कहा जाता था कि हमसे सहयोग के नाम पर आत्मसमर्पण के लिये कहा जा रहा है वास्तव में यह सहयोग का तरीका नहीं है यह तो आत्म समर्पण का तरीका है। इस बोर्ड के बनाने से तो ऐसा दिखलाई देता है कि यह केवल आत्मसमर्पण की

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

बात है। बोर्ड शुरू से लेकर आखीर तक उसका पैदा होना, उसकी स्थापना, उसकी मृत्यु सब कुछ सरकार के हाथ में है जैसे मानव का जीवन और मृत्यु परमात्मा के हाथ में हुआ करता है। मैं समझता हूं यह सिद्धांत का अवघात है इस पर श्रम मंत्री विचार करें। मैं जो बात कह रहा हूं वह मेरी केवल अपनी बात नहीं है। मैं सदन के सामने और माननीय श्रम मंत्री महोदय के सामने अभी हाल में इसी महीने के भीतर जो बात माननीय पं० हृदयनाथ कुंजरू ने कही है वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। गत १४ जूलाई को अम्बाला में पंजाब प्रान्तीय सेवा समिति में बोलते हुये पं० हृदयनाथ कुंजरू ने कहा "राजनीति और समाजसेवा अलग-अलग चीजें हैं। बिना समाज सेवा के राजनीति निकम्मी है। पर आजकल तो समाज सेवा भी एक राजनीति बन गयी है। सच तो यह है कि सरकार की ओर से होने वाले समाज सेवा के कार्यों में समाज की सेवा कम और राजनीति अधिक रहती है। इसीलिये स्वेच्छा से होने वाले गैर सरकारी सेवा कार्यों की तरह सरकारी कार्यों में उत्साह या प्रेरणा नहीं रहती। सरकार भारत सेवक समाज, सामूहिक विकास योजना और ग्रामीण सहयोग समितियों पर जो खर्च कर रही है, वह सब बेकार जा रहा है। अच्छा हो यही धन इन क्षेत्रों में काम करने वाली विश्वस्त सार्वजनिक संस्थाओं को दिया जाय।

जो बात माननीय पं० हृदयनाथ कुंजरू ने कही केवल इसी बात की ओर मैं श्रम मंत्री महोदय और सदन का ध्यान दिलाने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और एक बात फिर सरकार को याद दिलाता हूं कि अंग्रेजी राज्य के सामने और उसके बाद भी हमने कुछ योजनायें प्रारंभ कीं इस आशा से कि हम उनसे जनता का भला कर सकेंगे और इस आशा से कि जनता का भला तभी हो सकता है जब हम जनता का सहयोग प्राप्त कर सकें। मैं माननीय श्रम मंत्री महोदय को याद दिलाऊं कि जो सन् ३७ में योजना ग्राम सुधार की बनी थी वह योजना उस दिन से खत्म हो गयी जिस दिन से उसका गैर सरकारी रूप खत्म करके उसको सरकारी अधिकारियों के हाथ में दिया गया और ४७–४८ में जो पी० आर० डी० कायम हुआ उसका भी यही फेट रहा। ज्यों ही वह सरकारी नियंत्रण में दिया गया त्यों ही उसका नाम शेष रह गया है और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, बेकारों की संख्या को वे न बढ़ावें इसलिये उसको जारी रक्खा जा रहा है, नहीं तो पी० आर० डी० स जैसी आशा उससे की गयी थी वह सब नष्ट हो गई है। इसलिये मैं केवल यही बात सदन से और माननीय श्रम मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें कि बोर्ड की स्थापना का जो रूल उन्होंने रक्खा है, जो मंत्रणा समिति रक्खी है और जितने सब अधिकार सरकार के हाथ में रक्खे हैं उनके बारे में वे सोचें कि ऐसा करना कहां उचित होगा।

श्री राजनारायण——श्रीमन्, मैं बहुत पहले ही चाहता था कि अपना एक प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत कर दूं। मेरा ऐसा खयाल है कि इस विधेयक को इसके प्रकोप को बढ़ाने के लिये प्रवर समिति में जाना चाहिये और एक हफ्ता का समय भी निर्धारित कर देना चाहिये कि प्रवर समिति ७ दिन के अन्दर ही सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे ताकि इस विधेयक को हम कानूनी शक्ल दे सकें। मैं आपकी आज्ञा से अपना यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "इस विधेयक को प्रवर समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार देते हुये सात दिन के अन्दर सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये निर्दिष्ट किया जाय।"

श्रीमन्, जैसा कि हमारे पूर्ववक्ताओं ने कहा है इस विधेयक के उद्देश्य से किसी का मतभेद नहीं हो सकता। मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। क्योंकि उद्देश्य और कारण में यह लिखा हुआ है और इस विधेयक का नाम भी है "उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक"। तो श्रम के कल्याण के लिये कोई व्यवस्था की जाय उसका विरोधी तो वही हो सकता है जो पूंजीवादी मनोवृत्ति का हो या जो ऐंटी शोसल एलीमेंट्स हों। कोई भी समाज का सुधारक या कोई भी नयी दुनिया बनाने वाला व्यक्ति ऐसा उद्देश्य रखने वाले विधेयक का विरोधी नहीं हो सकता।

मगर सारी दिक्कत यहां पर खड़ी हो जाती है जबकि उद्देश्य तो अच्छे वर्णित हों और उसी उद्देश्य की पूर्ति के बिलकुल विपरीत विधेयक की धारायें जाती हों। मैं अब तो यहां तक कहने का साहस कर रहा हूं कि एक प्रकार से यदि कहा जाय जो इस समय इस विधेयक में धारायें हैं उसको देखते हुये कि इस तरह से विधेयक रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार केवल एक विधेयक रख सकती थी एक लाइन का कि यह सरकार उन तमाम अधिकारों को प्राप्त करना चाहती है, कि श्रम कल्याण के लिये समय-समय पर नियम और उपनियम बना सके। मैं समझता हूं कि हमारे इस मत से हमारे पूर्व वक्ता महोदय श्री अवस्थी जी जो सरकारी पक्ष में हैं वह भी सहमत होंगे। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी और माननीय पालीवाल जी का तो कुछ कहना ही नहीं है। और मुझे यह भी आशा थी कि अगर मेरी बात पहले सुन ली होती, मुझे पहले बोलने का मौका मिला होता तो माननीय नवलकिशोर जी भी हम से सहमत हुये होते। आखिर इसमें है क्या जितनी कमेटियां बनेंगी, जितनी समितियां बनेंगी, जो बोर्ड बनेगा वह सब राज्य सरकार बनायेगी। तो एक लाइन का विधेयक रख दिया जाय कि राज्यसरकार को वह तमाम अधिकार प्राप्त हों कि जब-जब सरकार चाहती जाय तब तब राज्य सरकार नियम उप-नियम बनाती जाय श्रम कल्याण के लिये। सारा मामला साफ चाहे वह श्रमिक का वेलफेयर हो, चाहे उनके वेलफेयर का फेयरवेल हो। हमारा ऐसा कहना है कि माननीय मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह देखेंगे कि उद्देश्य और कारण में यह बात लिखी है कि श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य से और श्रम कल्याण निधि की स्थापना करने का विचार सरकार के सामने बहुत दिनों से विचाराधीन था। यदि मैं गलती नहीं करता हूं तो मैं जो माननीय मंत्री जी को सुन रहा था तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सरकार की ख्वाहिश रही है कि वह एक गैर सरकारी तौर पर इसका संचालन कराये। कहीं मुझे दिखलायी नहीं पड़ता कि इस निधि के संचालन लिये गैर सरकारी तौर की मनोवृत्ति कहां छिप गयी।

इस विधेयक की किसी भी एक धारा की एक लाइन को खोज कर इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य बता तो दे कि ऐसी कौन सी धारा है जो सरकार के नियंत्रण में नहीं है, ऐसा कौन सा कार्य है जो सरकार के नियंत्रण में नहीं है? सब कार्य तो यह सरकार करेगी। तो, श्रीमन्, मुझे यह भय है क्योंकि आप देखेंगे कि इसी सरकार ने अपने प्रदेश के उद्योग को विकसित करने के लिये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनायी जिसके चेयरमैन श्री बिड़ला साहब हैं। यदि देखा जाय तो परसों के समाचारपत्र, नैशनल हैराल्ड और नव जीवन में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। श्रीमन्, माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो बात कही है, माननीय अवस्थी जी और पालीवाल जी ने जो बात कही है उसकी पुष्टि हो रही है। विधेयक के नवें पृष्ठ पर आप देखेंगे कि इसमें मुक्तियों का एक क्लाज है, इक्कीसवां। इस क्लाज के मुताबिक राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें निर्दिष्ट हों, किसी भी वर्ग के साथ औद्योगिक अधिष्ठान को अधिनियम के समस्त अथवा किन्हीं भी उपबन्धों से मुक्त कर सकती है? यह इस धारा में लिखा हुआ है। अब जो कमेटी की रिपोर्ट उद्योग के बारे में है श्रीमन्, वह चाहती है कि ५० परसेंट प्राइवेट हैन्ड्स के द्वारा जो उद्योग खोले जायं उसमें सरकार पैसा दे। रिपोर्ट जो अखबार में निकली उसमें यह भी बात कही गई है कि उत्तर प्रदेश में जो लेबर लाज हैं वह और ढीले किये जायं मिल-मालिकों के पक्ष में। उस रिपोर्ट में यह भी बात कही गई है....

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं यह जानना चाहता था कि जो कमेटी की रिपोर्ट अभी तक न तो सदन के पास आयी है और न अस्तित्व में ही है, उस कमेटी की रिपोर्ट का इस तरह जिक्र किया जा सकता है क्या?

श्री उपाध्यक्ष—मैं तो समझता हूं कि माननीय सदस्य को उसका जिक्र नहीं करना चाहिये और साथ ही साथ इसका इस विधेयक से कोई संबंध भी नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपने बिलकुल सही बात कही और मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इसीलिये मैंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं

[श्री राजनारायण]

कि इसके उद्देश्य और कारण का स्कोप बढ़े, इसका दायरा विस्तृत हो, क्योंकि जब श्रमिक का कल्याण करने का विधेयक आया है तो क्यों न वह अपनी पूर्णावस्था में आये? इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करना चहता हूं अपने प्रस्ताव की पुष्टि के लिये, मैं उसके तर्क के लिये कहना चाहता हूं कि क्यों सरकार आज इस विधेयक की धाराओं में ऐसी बातों को रखना चाहती है वह रिपोर्ट कोई छिपी नहीं है। वह अखबार में शाया है पब्लिक और पब्लिक चीज को मैं जहां खोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रस्तुत विषय से अलग हटकर भाषण करने की इजाजत मैं नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण--ठीक है श्रीमन्, इसीलिये मैं निवेदन कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज पूर्ण रूप से श्रमिक का कल्याण इस विधेयक के द्वारा नहीं हो पायेगा। क्या माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो शंकायें उपस्थित की हैं आपकी उपस्थिति में और आपने उन बातों को यहां कहने का मौका दिया, आपने अनुमति दी कि वह तमाम बातें इस सदन में आ जायं तो क्या इस उद्देश्य की पूर्ति या उनकी शंकाओं का समाधान इस विधेयक के द्वारा होगा? फिर उसकी पूर्ति क्यों न की जाय? जब इस सदन का समय नष्ट हो रहा है, सदन का समय लग रहा है, सदन के सम्मानित सदस्य बैठे हुये हैं विचार विनिमय करने के लिये और श्रमिक के कल्याण के लिये एक बढ़िया सुन्दर विधेयक प्रस्तुत करने के लिये तो क्यों न उसमें उन सारी बातों का समावेश किया जाय? क्यों न उन बातों को लेकर एक सुन्दर विधेयक प्रस्तुत किया जाय जिससे सही माने में श्रमिकों का कल्याण हो सके? इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं चाहे कोई कमेटी कहे या न कहे, चाहे किसी का भी प्रयत्न हो वर्क लोड को बढाने का, इसके बारे में भी आया है, तो इससे कैसे श्रमिक का कल्याण होगा? सवाल है श्रीमन्, यह कि कोई विधेयक प्रस्तुत होता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। इसलिये उद्देश्य और कारण विधेयक में लिखा जाता है। उद्देश्य और कारण का रहना इसलिये आवश्यक होता है कि उसी के अन्दर संशोधन आयें और उसी के अन्दर संशोधन को स्वीकार किया जाय। यह सारी मान्यतायें, मालूम होता है कि हमारे सम्मानित सदस्य भूले हुये हैं, तभी इस तरह की बातें प्वाइन्ट आफ आर्डर के रूप में आती हैं। इसी लिये मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि मैं इसके स्कोप को बढ़ाना चाहता हूं। जिस कारण से यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसका दायरा भी बढ़ाना चाहता हूं ताकि श्रमिक का कल्याण समुचित मात्रा में हम कर पायें।

हमारा कहना है श्रीमन्, कि आज हमारे प्रदेश में श्रमिक पर बड़ी भारी आफत आयी हुई है और इसके लिये मैं पुनः साक्षी देना चाहता हूं माननीय अवस्थी जी को। अपने भाषण के दौरान में उन्होंने इस बात की ताईद की थी कि सरकार, सरकारी नियंत्रण में जो कल कारखाने चल रहे हों कहीं उनको मुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था तो नहीं कर रही है? उन्होंने इस बात को कहा था। मैं भी कहना चाहता हूं कि अवस्थी जी की यह शंका नहीं है, हमारा पुष्ट मत है। जब मैं अपने नियोजन मंत्री को सुनता हूं, जब दूसरे माननीय सम्मानित सरकार के मंत्रिगण को अक्सर सुनने का मौका मुझे मिलता है और मिलता रहता है तो बराबर ही यही बातें आती रहती हैं कि पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के मानी क्या? क्या किसी पब्लिक सेक्टर के मानी यह होते हैं कि वहां मजदूरों के काम का बोझा बढ़े, मजदूरों की मजदूरी कम हो, मजदूरों को बोनस न मिले, मजदूरों को मीटिंग करने का मौका न हो, उनको सभा सोसाइटी करने का मौका न हो? मैं समझता हूं कि वह पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से भी बदतर है, प्राइवेट सेक्टर से भी बुरा है। पब्लिक सेक्टर नाम लेकर भावनाओं को उकसाकर के आज जनहित के साथ खेल नहीं किया जा सकता। यदि कोई भी सरकार और कोई भी सरकारी मंत्री जनभावनाओं और जनहित के साथ खेल करने का प्रयत्न करेगी तो हमारा एक विरोध पक्ष में रहने के कारण एक सोशलिस्ट के नाते यह कर्त्तव्य होता है कि हम उनकी मंशा को

अच्छी तरह से व्यक्त करें। इसीलिये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि निधि हो। मगर वह निधि होगी कैसी? क्यों नहीं ऐसा विधेयक कर दिया जाय कि जिनकी तनख्वाह का पैसा न मिला हो मजदूर का जिसका पैसा न मिला हो, जिनका बोनस बाकी हो उन तमाम का पैसा यह सरकार लेकर के उनके परिवार को दे दे, उन मजदूरों को दे दे? ऐसी व्यवस्था इसमें क्यों नहीं होती है, जब श्रमिकों के कल्याण के लिये कोई निधि खोली जा रही है? मगर नियम तो है कि श्रमिकों के कल्याण के लिये निधि हो और उसमें सारा पैसा केवल श्रमिकों का हो। जो जुरमाना है, पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट जो सन् ३६ का है उसमें यह व्यवस्था थी कि जुरमाने में वसूल की गयी धनराशि का प्रयोग ऐसे अनुमोदित प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो उनके लिये लाभप्रद हों। माननीय मंत्री जी कह रहे थे सरकार का कहना है कि जुरमानों में जो रकम वसूल हुई उसको नियोजक अपने पास रखे हुये हैं, उसका समुचित प्रबन्ध नहीं हो रहा है, समुचित इस्तेमाल श्रमिकों के लाभ में नहीं हो रहा है। आगे लिखा है, "जुर्मानों" के अतिरिक्त, अदा न की गयी मजदूरी, बोनस, अनुग्रह धन इत्यादि की धनराशियां भी नियोजकों के पास संचित पड़ी रहती हैं और उनका कोई भी उचित प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिये ये धन भी इस निधि में आ जायेंगे। इसमें ऐसा कौन सा धन है जोकि मजदूरों के प्रयत्न से नहीं आया, जो श्रमिकों ने पैदा नहीं किया।

आज मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस सरकार की पालिसी क्या है उद्योग की? इस सरकार की वैल्यू की, सरप्लस वैल्यू की परिभाषा क्या है? किस सिद्धांत के मुताबिक यह सरकार चल रही है? आज इसमें श्रम और कैपिटल का मतलब क्या है? इतने दिनों तक तमाम समाज वादी सिद्धांत का अवलोकन करने के पश्चात् भी अगर आज यह सरकार अपने दिमाग को अच्छी तरह से साफ नहीं कर पायी है कि जो सरप्लस वैल्यु क्रिएट होती है उसका पूरा पूरा श्रेय लेबर को जाना चाहिये तो इस विधेयक को यहां लाने की क्या आवश्यकता थी जबकि श्रमिक को उसके श्रम का पूरा पूरा लाभ न पहुंचे? "व्हेयर इज दि क्रिस्टिलाइजेशन आफ लेबर पावर?" जरा मार्क्स के लेबर के सिद्धांत को पढ़ डालिये जिसने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि जो कुछ वैल्यू क्रिएट होती है, जो कुछ उसमें श्रम-शक्ति लगती है उसके मुताबिक लेबर वैल्यु क्रिएट होती है। मैं देख रहा हूं कि सरकार इस सिद्धांत को अच्छी तरह से नहीं समझ पाई और विधेयक में उन बातों को रखने की चेष्टा नहीं कर पायी है। इसलिये इसके उद्देश्य और कारण को व्यापक किया जाय। अब अपने को हम महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाला कहते हैं। गांधी जी ने क्या कहा है? गांधी जी ने बराबर इस बात को महत्ता प्रदान की है कि श्रम का महत्व पूंजी पर है। अगर श्रम के महत्व को सरकार मानती है तो श्रमिकों के हित की बात को सरकार को मानना चाहिये। इस निधि के बन जाने से और एडवाइजरी बोर्ड के बन जाने से कभी भी श्रमिकों का कल्याण होने वाला नहीं है। वह तभी होगा जबकि सरकार अच्छी तरह से अपने दिमाग को साफ करके इस सिद्धांत को अपना करके चलेगी कि श्रमिक जो है वह मूल है और वह अपने श्रम को लगाकर, अपनी श्रम शक्ति को लगा कर वैल्यू पैदा करता है, तभी सही माने में श्रमिक के हित की सुरक्षा होगी वरना इस प्रकार के विधेयक अनेकों मंत्री जी के जीवन काल में प्रस्तुत होते रहेंगे और लेबर का शोषण और दलन होता रहेगा, श्रमिक ठोकर खाते रहेंगे और दर दर के भिखारी होते रहेंगे।

तो श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि आपको शायद मालूम हुआ होगा कि यहां पर एक उद्योग मंत्री थे। उद्योग मंत्री का कहना है कि जिस तरह से आज उद्योग मंत्री सोच रहे हैं। लेबर के प्रतिनिधि अगर कहीं उत्पादन के बढ़ाने की बात कहें तो उनकी बातों में उनको यकीन नहीं रह गया है। वह कहते हैं कि हमारे हाईली पेड जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होंगे उनके सहारे चलकर हम सही माने में अच्छा अच्छा उत्पादन करा सकते हैं यह भी दृष्टिकोण की बात है। इसी दृष्टिकोण में सफाई करने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं और आज मैं उनसे कहूंगा कि श्रमिक का कल्याण कहां और कैसे है? क्या आज जिन मजदूरों को अनुचित तरीके से निकाल दिया जाता है उनकी इस वर्तमान विधेयक से सुरक्षा होगी क्या आज जो मजदूरों की छटनी हो रही है उनकी इस विधेयक से सुरक्षा होगी, जिनको

[श्री राजनारायण]

बोनस नहीं मिलता है उनकी सुरक्षा होगी और बैठकी का प्रबन्ध नहीं है उनकी सुरक्षा होगी ? कानपुर के रहने वाले श्री अवस्थी जी हैं, मजदूरों के रहने के जो निवासस्थान हैं उनके बारे में सरकार बतलाये कि उनका क्या किराया लिया जाता है। मजदूर इतना किराया देने में असमर्थ हो रहा है इसलिये वहां नहीं रह रहा है और मैं अवस्थी जी को साक्षी बनाऊंगा और कहूंगा कि वहां पर मजदूरों के नाम पर मकान ले लिये गये हैं और दूसरे बड़े बड़े लोग उनमें रह रहे हैं। मजदूर इतना पैदा नहीं कर पाता है कि जो मकान उसके हित के लये बने हैं, मजदूरों की कमाई से बने हैं, उनमें रह नहीं पाता है। खाता में मजदूरों के नाम मकान हैं लेकिन आज सरकार पता लगाये कि उनमें मजदूर नहीं रह रहे हैं और दूसरे सरकारी कर्मचारी रह रहे हैं। वह सोचते हैं कि लेबर कालोनी है किसी मजदूर के नाम मकान ले लो। यह फ्राड चल रहा है।

श्रमिकों के नियमों के अन्तर्गत सरकार जिन उद्देश्य की पूर्ति करना चाहती है वह पूरी नहीं हो पा रहा है और मजदूरों के हित में बड़े बड़े फ्राड यानी जाल किये जा रहे हैं और सरकार को जानकारी नहीं हो रही है इसको मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह बात सरकार के नोटिस में पहली बार आ रही है। हमने इस बात को पहले भी रखने का प्रयत्न किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करती है मजदूरों को सस्ते मकान मिलते। यह लिखा गया है कि गणतंत्र के छठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है। आज मजदूर क्यों नहीं फुल सोशल जस्टिस प्राप्त कर पाता है ? फिर भी सरकार कहती है कि इस विधेयक से सारी मजदूरों की दिक्कतें दूर हो जायेंगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल जी चले गये। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं और जानना चाहता हूं कि इतने मुकदमे मजदूरों के ट्रिब्युनल में नहीं जा पा रहे हैं। उसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? कोई व्यवस्था नहीं है, मनमाना है। इतना मनमानापन इस विभाग में फैला हुआ है कि कहीं भी मजदूर अपने हित की सुरक्षा नहीं पा रहा है। जब चाहे तब मजदूर को निकाल दो चाहे तमंचा चला दो, चाहे अभिनवीकरण के नाम पर तमंचा चला दिया जाय, चाहे नई इंडस्ट्री के नाम पर चला दिया जाय और मजदूरों के हकों की हिफाजत नहीं हो रही है। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं सम्मानित सदस्यों से कि हमारे प्रस्ताव को जरूर मानें और इसको प्रवर समिति में भेजें और रिपोर्ट के लिये सात दिन का समय नियुक्त करें और प्रवर समिति से कहें कि ऐसा व्यापक विधेयक सदन में प्रस्तुत करें जिसमें सारी बातें आ जायं।

श्रीमन्, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर इस विधेयक में चौथा क्लाज है उसको देखेंगे तो मालूम होगा कि 'निधि, किस विधि के उपबंधों के अधीन नियोजकों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से भिन्न ऐसे कार्यों के संबंध में उपयोग में लाई जायगी जिन्हें राज्य सरकार औद्योगिक अधिष्ठानों में नियुक्त श्रमिकों के कल्याण के लिये समय समय पर निर्दिष्ट करे इसका क्या मतलब है? चार पेज की चौथी धारा में सरकार सारा अधिकार अपने हाथ में सुरक्षित रखना चाहती है। वह कहती है कि जो कुछ भी प्रचलित प्रथा हो उसके अतिरिक्त भी राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करेगी, समय-समय पर व्यवस्था देगी कि श्रमिक के कल्याण के लिये क्या-क्या बातें हो सकती हैं ? इतने दिनों से लेकर मूवमेंट चल रहा है हिन्दुस्तान के अन्दर, इतने अच्छे-अच्छे मजदूर नेता यहां पर हैं। क्या सरकार के पास आज तक इस बात की सूची नहीं आ पायी है कि मजदूर के लिये हितकारी क्या-क्या कार्य हो सकते हैं ? कुछ एक्सेप्शनल केसेज हो सकते हैं मगर नियम में पूरी ऐसी व्यवस्था का दे देना कि सरकार जिस बात को समझे कि यही मजदूर के लिये कल्याणकारी बात है और जिस बात को यह निर्दिष्ट कर उसी में निधि का पैसा खर्च हो, मैं समझता हूं कि यह बड़ा मनमाना अधिकार सरकार अपने हाथ में ले रही है। यह उस बोर्ड के अन्दर भी नहीं है, अन्दर भी नहीं है, सलाहकार समिति के अन्दर भी नहीं है बल्कि सरकार स्वयं अपने हाथ में यह ले रही है कि सरकार जो निर्दिष्ट

करेगी श्रमिकों के हित के लिये कार्य उसी में निधि का पैसा खर्च किया जायगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था आज उस मत की पुष्टि हो रही है इस विधयक की इस धारा से। इसलिये मैं इसका घोर विरोधी हूं। मैं कत्तई यह अधिकार सरकार के हाथ में देने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो यह सरकार समझे वही श्रमिक का कल्याण माना जायगा। श्रमिक अपने कल्याण को अच्छी तरह से जानता है।

जाके पैर न जाय बेवाई,
सो क्या जाने पीर पराई?

सरकार क्या जान सकती है कि श्रमिक को क्या पीड़ा है? आज श्रमिक अपने घर में करवटें भी नहीं ले पर रहा है, रातें बीतती चली जा रही हैं और उसकी आतें भूख से तड़फड़ा रही हैं फटे चिथड़ों में लिपट कर वह अपना जीवन बिता रहा है और दूसरी तरफ कुछ लोग चैन की बंशी बजा रहे हैं और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

श्रीमन्, अब जो चीज विशेष रूप से इसके उद्देश्य से संबंधित है उसी की ओर मैं संकेत करना चाहता हूं। आप छठे पेज पर १० वीं धारा देखें। उसमें उत्तर प्रदेश लेबर वेलफेयर बोर्ड का निरूपण किया गया है।

"राज्य सरकार इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र एक बोर्ड की स्थापना करेगी जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक श्रम कल्याण बोर्ड कहलायेगा।"

शीघ्रातिशीघ्र की भाषा बड़ी गोल है। शीघ्रातिशीघ्र की कभी परिभाषा नहीं हो पायी कि इस कानून के बनने के बाद एक महीने के अन्दर, दो महीने के अन्दर, साल भर के अन्दर, वह बनेगा या नहीं बनेगा। यह बिल्कुल गोल भाषा है। सरकार को निश्चित रूप में इस बात को लाकर आना चाहिये था इस सदन के सम्मानित सस्यों के सामने कि जब यह विधेयक कानून की शक्ल में आयेगा तो कितने दिन के बाद यह सरकार एक बोर्ड की स्थापना करेगी, क्योंकि उसी बोर्ड के मातहत यह सरकार निधि करने जा रही है। इसलिये सकार को विधेयक की भाषा को गोल न रख कर डेफिनिट करना चाहिये। मगर यह सरकार तो हमेशा ऐब्सट्रैक्ट में भ्रमण करने की आदी है, कभी डेफिनिट नहीं हो सकती। यह कह देना तो बड़ा सरल है कि हम समाजवाद चाहते हैं, विश्व बन्धुत्व चाहते हैं। मगर क्या समाजवाद के माने हैं, क्या विश्वबन्धुत्व के माने हैं उसमें जब कुछ पहनाना होता है तो सब मामला सामने आ जाता है। आज वही बात सरकार के सामने है। सरकार डेफिनिट नहीं होना चाहती।

बड़े-बड़े शब्दों में यह कह देना कि लेबर का कल्याण हो जायगा, उनकी किस्मत जग जायगी, ऐसे सुन्दर शब्दों के प्रयोग से अब किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी स्वतः गौर करें, मैं उनसे निहायत अदब से निवेदन करना चाहता हूं, कि बोर्ड निम्नलिखित से मिल कर बनेगा। यह निम्नलिखित बोर्ड होगा ऐसी भाषा न लिखकर निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, यह नई भाषा हम देख रहे हैं, किस में मिलेगा यह पता नहीं है। यह ज्वाइन करगा किसको शायद माननीय मंत्री जी को ज्वाइन करेगा इस बोर्ड से मिलकर जो बनेगा उसका एक सभापति चेयरमैन होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जायगा तथा कर्मचारियों और नियोजकों के प्रतिनिधियों की बराबर बराबर संख्या जो नियत की जाय और यह प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाय अब मैं माननीय अवस्थी जी तथा मजदूरों के प्रतिनिधि नेताओं से कहना चाहता हूं कि यह सरकार लेबर लीडर्स को एक्स्प्लायट करना चाहती है। अब यदि इसका विरोध कोई मजदूर नेता नहीं करता तो मैं यही कहूंगा कि वे चाहते हैं कि सरकार मजदूरों का शोषण करे। अब इसमें लड़ाइयां होंगी, सरकार के पास अरजियां आयेंगी और माननीय मंत्री जी का दरबार खुलेगा कि फलाने मजदूर प्रतिनिधि को ले लीजिये, फलाने यूनियन के सभापति हैं, सेक्रेटरी हैं। मैं इस सदन में कई बार विवाद उठा चुका हूं कि बिना मजदूर प्रतिनिधियों के पूछे हुये भी माननीय सम्पूर्णानन्द जी जब श्रम-मंत्री थे मनमाने तरीके से मजदूर प्रतिनिधियों

[श्री राजनारायण]

को नियुक्त कर दिया गया जिसके बारे में कानपुर के मजदूरों ने आवाज उठाई कि यह हमारा प्रतिनिधि नहीं है लेकिन सरकार की कमेटी में उसका नाम है ? मैं कानपुर के मजदूर नेता अवस्थी जी के सामने यह बात कह रहा हूं। अगर कहीं गलती हो तो वे खड़े हो जायं। मैं एक डेमोक्रेट के नाते यह कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ही बोलता रहूं सब लोग श्रोता रहें। माननीय अवस्थी जी खड़े हो जायं मैं यील्ड करूंगा। लेकिन वह बतायें। तो मैं कह रहा था कि जो सभापति होगा और जो बराबर बराबर प्रतिनिधि होंगे उनकी संख्या का निर्देशन सरकार द्वारा किया जायगा। यह कहीं नहीं लिखा कि मजदूरों की जो संस्थायें हैं वह सरकार को रिकमेंड करेंगी और उनमें से ही सरकार नामजद करेगी मैं समझता हूं कि जो मोस्ट रिएक्शनरी गवर्नमेंट्स हैं और कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं उनके जो लेबर लाज हैं उनमें मजदूर संस्थाओं को मान्यता प्रदान है। परन्तु यह सरकार जो अपने को गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने वाली कहती है और अपने को जो सोशलिस्ट पैटर्न वाली कहती है वह आज मजदूर संस्थाओं को इतना अधिकार भी देने के लिये तैयार नहीं है। मजदूर संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने का काम सोशलिस्ट पैटर्न वाली सरकार का हो सकता है या तानाशाही हुकूमत का हो सकता है, यह सम्मानित सदस्य स्वयं निश्चय करें।

अब क्लाज (ग) को देखिये "एक या अधिक महिला जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाय। "इसमें महिला प्रतिनिधि की क्या जरूरत है ? कहीं अगर महिला कर्मचारी हों जिसमें महिलायें काम करती हों ऐसा कारखाना हो उनकी कोई यूनियन हो तब तो बात थी मगर क्यों ऐसी व्यवस्था की गई है, यह नहीं बताया गया है। मैं यह नहीं कि महिलाओं का किसी कमटी में होने का विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि महिलायें अपने हक को अच्छी तरह से प्राप्त करें और बिना किसी डर के अपनी आवाज बुलन्द करें लेकिन एक या अधिक महिला कितना गोल और भ्रामक शब्द है। एक या अधिक से से मतलब है एक से अधिक दस भी, पांच भी, बीस भी चार भी। यह क्या खिलवाड़ हो रहा है या कोई विधेयक समुचित रूप से समझ बूझ कर हमारे सामने रखा गया है। एक या एक से अधिक महिला प्रतिनिधि। धन्य है। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किये जायं। मैं आप के द्वारा निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि इतनी अनर्गल भाषा का प्रयोग, इतनी मनमानी भाषा का प्रयोग, इतने मनमाने भावों का प्रक्टीकरण किया गया है कि जो और कहीं नहीं है। मैंने मजदूर कानूनों को अच्छी तरह से पढ़ा है कि अमरीका का क्या है, इंगलैन्ड का क्या है। वहां आज अच्छी तरह से मजदूर संस्थाओं को मान्यता प्राप्त हो चुकी है और वहां उनके राइट्स पर कोई पर कोई अटैक नहीं होता। लेकिन यह रामराज्य की सरकार एक या एक से अधिक महिला प्रतिनिधियों को नियुक्त करेगी। इसके क्या माँने हैं माननीय मंत्री जी बतायें। इसमें अगर कोई कहता कि सरकार के दिमाग में पहले से यह था, तो मैं मान सकता हूं। आप श्रीमन्, देखें कि बहुत सी नियुक्तियां हो आया करती हैं और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। जब लोग अरजियां देते हैं और दौड़ धूप करते हैं तो पता चलता है कि वहां तो पहले से ही नियुक्ति की जा चुकी है। सरकार के दिमाग में दो एक महिलायें होंगी और उन को किसी कमेटी में बैठोना होगा इसलिये यह रख दिया। यह हो सकता है और मैं इसको मानता हूं।

अब इसका जरा (घ) पढ़ें हमारे सम्मानित सदस्य, "राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले ऐसे अन्य व्यक्ति जिन की संख्या ५ से अधिक न होगी"। क्या जो यह लेबर वेलफेयर बोर्ड बन रहा है, जो कि मेरे नुक्ते नजर से लेबर वेलफेयर को फेयरवेल करेगा, उसमें क्या एक भी सदस्य ऐसा आ रहा है कि जो मजदूरों का प्रतिनिधि हो, श्रमिकों का प्रतिनिधि हो, मजदूरों की संस्था का प्रतिनिधि हो या जो कारखाने में काम करने वाली महिलायें हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आया हो ? जितने भी इस बोर्ड के सम्मानित सदस्य होंगे उनको राज्य सरकार निर्देशित करेगी चाहे वह चेयरमैन हो या मेम्बर हो या महिला मेम्बर हो या अन्य व्यक्ति हो। इस अन्य व्यक्ति के लिये कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं रखी

गयी है कि इस लेबर वेलफेयर बोर्ड में वह ५ अन्य व्यक्ति कौन होंगे जिनको कि सरकार नियुक्त करेगी क्या वे कारखाने के पुराने मजदूर होंगे या मजदूर कानूनों को समझने बूझने वाले एक्सपर्ट होंगे या विख्यात नेता होंगे ?

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

कोई इसको अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सरकार हमको समझाये और बताये कि जो इस लेबर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना सरकार के द्वारा हो रही है उसमें सरकार उन मजदूरों को मान्यता क्यों नहीं देती, सरकार उन मजदूर संस्थाओं को मान्यता क्यों नहीं देती, सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि जो मजदूर नियम, उपनियम के जानकार होंगे या जो विख्यात मजदूर नेता होंगे, ऐसे लोगों को ले कर ही बोर्ड बनाया जायगा ? श्रम का नाम लेना और श्रम-कल्याण की बातें कहना, इससे श्रमिक का कल्याण नहीं होता । इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि इस विधेयक की जितनी भाषा मैंने यहां प्रस्तुत की वह सब गोल है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वह निरर्थक रूप में जा रही है और इसलिये उसको हमें देखना चाहिये और अच्छे तरीके से हमको उसका और अन्य तमाम बातों का विवेचन करना चाहिये कि जो यह बोर्ड बनाने की व्यवस्था हो रही है वह ठीक हो । मैं समझता हूं कि इसके बारे में मैंने सदन के सम्मानित सदस्यों का काफी हवाला दिया कि सरकार जिस व्यक्ति को चाहेगी वही उसमें जा पायेगा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाने पायेगा जाहे वह मजदूरों के शुभचिन्तक के रूप में हो, उनमें रह कर ख्याति प्राप्त कर चुका हो अथवा वह मजदूरों के लिये अपनी जिन्दगी भी देने के लिये तैयार रह चुका हो। फिर, मैंने आरम्भ में ही एक बात निवेदन की थी तो माननीय मंत्री जी ने कुछ सिर हिलाया था कि सरकार तमाम अधिकारों को ले ले। एक धारा लिख कर कि सरकार समय-समय पर नियम, उपनियम बना कर श्रमिकों का कल्याण करती रहेगी, इससे ही काफी कार्य होता रहेगा। तो फिर इस १२ पेज वाले विधेयक की आवश्यकता नहीं है । सारी बातें उसमें आ जातीं क्योंकि सरकार उन सब कामों को करती ।

अब सातवें पेज को देखा जाय । इसके उद्देश्य को देखा जाय तो उसमें लिखा है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई भी नियुक्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना न की जायगी जिसके बारे में बोर्ड के एक तिहाई से अधिक सदस्य सहमत न हों।" यह क्या है ? आज तक जो भी नियुक्ति का सिद्धांत अपनाया गया है यह उन तमाम नौकरियों के सिद्धांत के विपरीत जाता है या नहीं जाता है । अब जो कर्मचारी बोर्ड द्वारा लिपिक तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था यह सरकार कर रही है वह कितनी अनोखी व्यवस्था है ? इस अनोखी व्यवस्था के साथ अगर कोई यह समझता है कि वहां अच्छी तरह से कोई कर्मचारी अपना काम करता रहे, मैं समझता हूं यह असंभव हो जायगा। कर्मचारियों को बराबर इस प्रयत्न में रहना पड़ेगा कि बोर्ड के एक बटा तीन मेम्बरों को अपने पक्ष में रखें। यह नहीं रखा गया है कि वह कर्मचारी ईमानदार हो या उस कर्मचारी के लिये यह विशेष विशेषता हो। जो धारा यहां पर रखी गयी है वह अनावश्यक धारा है । बोर्ड ऐसे कर्मचारियों को रखेगा किन्तु अगर बोर्ड के सदस्य किसी कर्मचारी को न रखना चाहें तो उस कर्मचारी की नियुक्ति सरकार कर देगी।

इसके अलावा एक मंत्रणा समिति का संगठन यहां पर किया जा रहा है । मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस मंत्रणा समिति का संगठन क्यों किया जा रहा है और क्या कारण है ? सरकार के पक्ष के जितने वक्ता यहां पर बोले उन सब माननीय सदस्यों ने इस मत को साफ नहीं किया कि इस मंत्रणा समिति की बनाने की क्या आवश्यकता है। एक तो पहले से ही सरकार ने बोर्ड बनाया हुआ है। उस बोर्ड में एक भी कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो किसी जन-प्रतिनिधि के रूप में उसमें हो । उसमें सब सरकार के निर्देशित होंगे चाहे वह महिला हों या गैर महिला हों। तो फिर इस मंत्रणा समिति की क्या आवश्यकता है ? इस विधेयक में दो समितियां बनी हैं। एक को तो एक्जिक्यूटिव पावर दी गयी है और दूसरी उसको मंत्रणा देने के लिए बनी है। श्रीमन्, आप देखें आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे

[श्री राजनारायण]

और सदन के सदस्य भी जानते होंगे कि अपने प्रदेश में उद्योगधंधों को विकसित करने के लिये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना रखी है। उस कमेटी का सलाह देना काम है कि कहां-कहां कारखाने खोले जायं और कहां-कहां न खोले जायं, चाहे उस रिपोर्ट को सरकार माने या न माने। मगर अब सवाल यह आता है कि इस मंत्रणा का क्या काम है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। यह जो निधि है और जो निधि आयेगी उसमें मजदूरों के बोनस का रुपया भी आयेगा। मजदूरोंकी तनख्वाह का पैसा भी उसमें आयेगा और श्रमिकों का पैसा भी उसमें आयेगा। तो इस तमाम पैसे का दुरुपयोग ही तो होगा जो इस कमेटी के सदस्यों को भत्ते के रूप में आने जाने का जो उनको दिया जायगा। इससे श्रम कल्याण नहीं हो सकेगा बल्कि सही मायने में कुछ व्यक्तियों का कल्याण इससे हो जायगा। इस विधेयक को बनाया तो जा रहा है लेकिन इससे कुछ व्यक्तियों का लाभ हो जायगा। इसलिये मैं तो इस मंत्रणा कमेटी के बनाने का घोर विरोधी हूं और यदि किसी प्रकार से मंत्रणा समिति की आवश्यकता हो तो मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्रणा समिति कैसे बनायी गयी। एक तो बोर्ड बनाया गया जो पूर्ण रूप से सरकार के हाथ का बोर्ड है और दूसरे मंत्रणा समिति जो निम्नलिखित को मिलाकर बनेगी:

"एक सभापति जिसे राज्य सरकार नाम निर्देशित करेगी"। इस मंत्रणा समिति के लिये जो सभापति होगा उसको राज्य सरकार नियुक्त करेगी। "राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित किये जाने वाले ऐसे अन्य व्यक्ति" और ऊपर है कर्मचारियों और नियोजकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की संख्या भी राज्य सरकार निर्देशित करेगी। तो सब अधिकार राज्य सरकार ने अपने ही हाथ में रखे हैं। इस विधेयक में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है कि मंत्रणा समिति में जनता का या मजदूरों का कोई प्रतिनिधि कहीं से आ पावेगा। जिसे सरकार चाहेगी उसे रखेगी। जो लोग सरकार की नजरों में इधर-उधर के घूमनेवाले होंगे उन्हें वह रखेगी। माननीय मंगला प्रसाद जी, श्रीमन्, इशारा कर रहे हैं कि उन्हें रखवा दिया जाय।

इसके बाद आठवें पेज पर देखें, इसका सेक्रेटरी सरकार का लेबर वैलफेयर कमिश्नर होगा, वह सरकारी आदमी है। मैं माननीय पालीवाल जी से कतई सहमत हूं कि सरकार को इस बात को अच्छी तरह से समझना सोचना चाहिये कि सभी संस्थाओं को अपने हाथ में लेने के लिये वह क्यों लालायित होती है। अब तो निश्चित रूप में इस बात को मान लेना चाहिये कि गैरसरकारी संस्थायें सरकारी संस्थाओं के मुकाबले में अधिक सफल हो सकती हैं। मैं अक्षरशः इस वाक्य से सहमत हूं। और मैं पंडित हृदयनाथ कुंजरू की इस बात से भी सहमत हूं कि तमाम संस्थायें एक तरह से सरकारी हाथों में चली गई हैं चाहे वह समाज कल्याण विभाग हो, भारत सेवक समाज उसे कहा जाय चाहे भूदान समिति कहा जाय। सभी समितियों के चेयरमैन कोई मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं। इससे सब डिपार्टमेंट किंकर्तव्य विमूढ़ होकर यथास्थित सिद्धांत को लेकर काम कर रहे हैं और यह सरकार चारों तरफ छापा मारना चाहती है।

इसके आगे ९ वें सफे पर है कि राज्य सरकार किसी भी वर्ग के साथ औद्योगिक अधिष्ठान को अधिनियम से मुक्त कर सकती है। आखिर, सभी अधिकार यह सरकार अपने हाथ में क्यों लेना चाहती है? जिस उद्योग को चाहें, जिस मिलमालिक को चाहे यह सरकार कह सकती है कि यह विधेयक या कानून वहां लागू नहीं हो। क्या वहां के श्रमिक श्रमिक नहीं हैं? क्या उनके लिये फैक्टरी ऐक्ट लागू नहीं होगा? क्या वहां के मजदूर पर जुरमाने नहीं होंगे? क्या उनके बोनस का पैसा नहीं होगा या उनकी मजदूरी बाकी नहीं होगी? निश्चय ही लोगों के मनों में पक्की धारणायें हैं कि उसमें पक्षपात होगा। सरकार के पास अर्जियां आवेंगी कि हमको तो मुक्ति प्रदान की जाय और मुक्ति का प्रमाण-पत्र लेने की होड़ लगेगी जिसमें कुछ लोगों के साथ पक्षपात होगा। हम सब लोग सही मानों में इस बात को कहते ही हैं कि श्रमिक का कल्याण होना

चाहिये। अब तो बात यह है कि श्रमिक का कल्याण हो कैसे? क्या जो बोर्ड बनाये जा रहे हैं उन्हीं से श्रमिकों का कल्याण होगा या कोई नयी बात होनी चाहिये? इसलिये हम चाहते हैं कि इस बिल का स्कोप उद्देश्य और कारणों में बढ़ा दिया जाय और यह कर दिया जाय कि मजदूरों का बकाया रुपया बोनस के रूप में किसी बोर्ड या किसी निधि के अन्दर जाय तो केवल मजदूरों को यह अधिकार होगा वह उसको चाहे जैसे खर्च करें। अपने मन के मुताबिक उनको खर्च करने का हक होगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि यह सरकार एक बहुत बड़ा कांक्रीट स्टेप उठायेगी। लेकिन आज जिस तरह से सरकार १९३६ के ऐक्ट की दुहाई दे रही है और कह रही है कि १९३६ में मजदूरों के लिये विधेयक बनाया गया था लेकिन नियोजकों के पास सारा धन पड़ा रह गया उसी तरह से इस विधेयक के द्वारा जो स्टेप सरकार लेने जा रही है उसके द्वारा सारा का सारा रुपया कर्मचारियों के भत्ते और तनख्वाहों में खर्च होकर रह जायगा। कुछ बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन जायंगी और कुछ हाल्स बन कर रह जायेंगे लकिन मजदूरों का भला न हो पायगा। जिस प्रकार से ३६ में मजदूरों के हित में कोई कारगर व्यवस्था न हो पायी उसी प्रकार से इसके अनुसार भी न हो पायेगी। मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार हमारे इस प्रस्ताव को माने कि यह प्रवर समिति को भेज दिया जाय और ७ दिन का समय निश्चित किया जाय और जो शंका माननीय अवस्थी जी, जगन्नाथ मल्ल जी और पालीवाल जी ने बतायी उन तमाम शंकाओं को निर्मूल किया जा सके। तमाम लोग कमेटी में बैठकर ७ दिन के अन्दर एक व्यापक विधेयक तैयार करें जिससे जो मजदूरों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है, जो कुठाराघात सरकार की लचर नीति से हो रहा है, उससे मजदूर लोग त्राण पायें। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य हमारी बातों का समर्थन करे।

श्री अध्यक्ष--चूंकि अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिये अब १०-१० मिनट का समय मैं उन्हें दूंगा।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि इसमें प्रवर समिति को देने का जो सुझाव है उसका विरोध करूं और विधेयक का समर्थन करूं। अभी मुझसे जो पूर्व वक्ता भाषण दे रहे थे, मेरा ख्याल यह है कि अपनी बहस में उन्होंने सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी से लेकर सरकार की सारी श्रम नीति के संबंध में जो अपने विचार प्रदर्शित किय उनके लिये यह मौका नहीं था। यह तो एक ऐसा विधेयक है जो इसलिये प्रस्तुत किया गया है कि श्रमिकों का जो पैसा है, चाहे वह जुर्माने की शक्ल में हो, चाहे वह बोनस की शक्ल में हो, चाहे वह अनपेड सैलरी की शक्ल में हो, कारखानेदार के पास उसका जो रुपया रह जाता है तथा दान की मद का जो रुपया होता है अथवा सरकार की ओर से जो अनुदान मिलता है, उस सब रुपये का सदुपयोग हो सके और मजदूरों के हित में उसका उपयोग किया जा सके। उसके लिये एक निधि का निर्माण हो और उस निधि का संचालन कैसे किया जाय मैं समझता हूं यही विषय इस विधेयक का है। जनतंत्र की व्याख्या, मैं समझता हूं इस समय उनको नहीं करना चाहिये थी। मैं उस विषय को नहीं लेना चाहता लेकिन उसके विषय में केवल यह कह देना चाहता हूं कि जनतंत्र का जो प्रयोग इस देश में हो रहा है वह एक सफल प्रयोग हो रहा है और अन्य देशवासियों ने भी उसकी सराहना की है तो मैं समझता हूं कि उसके सम्बन्ध में मैं अधिक क्या कहूं? सरकार के जो प्रतिनिधि यहां आये हैं, मुझे सख्त अफसोस हुआ, माननीय पालीवाल जी से यह सुन कर जब उन्होंने वर्तमान सरकार की तुलना ब्रिटिश सरकार से की। वह ब्रिटिश सरकार जिसने स्वच्छन्दता से अपनी नीति निर्धारित की थी, जिसमें किसी को अधिकार नहीं था उसकी तुलना जब हम जनतंत्र के आधार पर, बालिग मताधिकार के आधार पर चुनी हुई सरकार और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित सरकार से करें तो मैं समझता हूं कि यह एक विषय को बिलकुल उल्टा दूसरी ओर गलत तरीके से ले जाना होगा।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

अब प्रश्न यह आता है कि मेरे ख्याल से कोई भी जो जरा भी श्रमिकों का हित चिन्तक होगा, वह इस विधेयक में जो उसका आशय है और उद्देश्य है, वह सरकार की प्रोग्रेसिव नीति का समर्थक होगा। एक धन है, रुपया है जिसका उपयोग श्रमिकों के लिये होना है, उस रुपये को वहां से निकाल कर, उन लोगों के कब्जे से निकाल कर श्रमिकों के उपयोग में लाना, मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार हो, उसके श्रमिक कल्याण भावना को ही प्रदर्शित करता है। तो अब रहा उसके संचालन की विधि, मैं एक वक्ता से इस बात में सहमत हूं कि समाज के कल्याण के कार्य सरकार के द्वारा नहीं बल्कि गैर सरकारी साधनों से ही होने चाहिये। मैं कभी-कभी जब इस बात को देखता हूं कि आज हमारे देश में यह प्रवृत्ति होती जा रही है कि जितनी भी समाज कल्याण की चीजें हैं, जितनी भी देश के कल्याण की चीजें हैं, हर एक व्यक्ति आज इस बात की आशा लगाये बैठा है कि सरकार इस काम को करे। परन्तु इसमें भी हमारी जो वस्तुस्थिति है उसको सच्चाई के साथ ग्रहण करें। हमारा एक देश है जो हजारों वर्ष तक गुलाम रहा, वह आज स्वतंत्र हुआ। आज प्रत्येक मनुष्य की बड़ी बड़ी भावनायें हैं। इस स्वतंत्रता ने और हमारे देश के निर्माताओं ने हमको बहुत सी बातें ऐसी दी हैं जैसा कि आज कहा गया है कि निर्वाचन किया जाय मजदूर संस्थाओं का। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव है जबकि आज एक-एक कारखाने में कितनी-कितनी यूनियनें बनी हुई हैं और वे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं? किस तरह से संभव है कि उसमें आप एक समुचित रूप से निर्वाचन करके एक ऐसी बाडी बना सकें जो कि उचित रूप से काम कर सके? और यह तो पैसे का मामला है, मैं समझता हूं कि उसका उपयोग होना चाहिये श्रमिकों में। अगर जनता की चुनी हुई सरकार उसका हिसाब ले और उसके इस कार्य में वहां उपयुक्त व्यक्ति जायें तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी आपत्ति की बात नहीं है जिसको रिएक्शनरी कह सकें।

अब सरकार ने इस विधेयक में सूची दी है, काफी लम्बी सूची है जिसमें श्रमिकों के कल्याण के लिये कार्य निर्धारित किया गया है। तो उन सूचियों में उस धन का उपयोग होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे विरोधी दल के मित्र बतलावें कि जो सूची निर्धारित की गयी है उसमें एक काम भी तो ऐसा बतलावें जो श्रमिकों के कल्याण के लिये न हो? वह धन भी श्रमिकों के कल्याण के लिये उपयोग होने वाला है। उसके हिसाब किताब पर अगर सरकार का नियंत्रण रहे, जनतंत्रीय सरकार का नियंत्रण रहे, इस बात का नियंत्रण रहे कि वह कमेटी उपयुक्त रीति से कार्य करे तो मैं समझता हूं कि कोई भी कारण नहीं है जिसकी वजह से हमें सरकार को शक की दृष्टि से देखना चाहिये। सरकार के ऊपर यह शक करना कि वह पार्टीबन्दी के तौर पर काम करती है उनके लिये ही संभव और उपयुक्त हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है कि सरकार के ऊपर कोई सन्देह होना चाहिये। जिस पवित्र और पावन भावना से यह बिल सदन में लाया गया है मेरा खयाल है कि उसका तो विरोधी दल के मेम्बरान को समर्थन करना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि आगे चल कर जब हम देखेंगे कि कार्यरूप में इसके प्रयोग में कोई कठिनाई है तो हम इसमें संशोधन ला सकते हैं और जब हम देखेंगे कि अब संस्थायें अच्छी हो गई हैं तो हम निर्वाचन की पद्धति से भी अच्छे लोग ला सकते हैं। उसमें कोई कठिनाई नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बिल के लाने के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं उनको इस लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आज से २० साल पहले मैं ५ वर्ष तक मटियाबुर्ज की केशोराम काटन मिल में एक मजदूर की हैसियत से और उसके बाद ५ साल तक जुग्गी लाल कमलापति मिल में भी एक मजदूर की हैसियत से काम कर चुका हूं और मैं ने वहां ग्राइन्डिन्ग, स्लेबिन्ग, इन्टर रोबिन्ग, वाइन्डिन्ग, वार्पिन्ग, साइजिंग, वीविंग, हैवी लाइट वगैरा के सब प्रकार के कार्य

किए हैं जो कपड़े के मिलों में होते हैं और इन्हीं मशीनों के द्वारा होते हैं। यह जो बिल है वह इतना सुन्दर बिल है कि इस प्रकार की नीति आज से पहले कभी किसी ने मजदूरों के हित में सन् ३६ से पहले नहीं सुनी थी।

मुझे माननीय राजनारायण जी के भाषण पर ताज्जुब हो रहा है उन्होंने कभी स्वयं मिल मजदूर होकर मजदूरों में काम किया नहीं और मालूम नहीं कि वह मजदूरों की दुख दर्द की दिल हिलाने वाली बातें भी जानते हैं या नहीं। मैं, अध्यक्ष महोदय, वाकई वह बात कह रहा हूं जो मेरे ऊपर स्वयं बीती हुई है और बिलकुल ठीक बात है कि जहां पर मशीनों पर मजदूर काम करते हैं वहां पर अगर इस सदन के कोई माननीय सदस्य चले जायं तो बेहोश हुए बगैर नहीं रह सकते क्योंकि वहां इतनी ज्यादा गर्मी और गन्ध होती है कि वहां रुकना बहुत मुश्किल है, वहां पर मजदूर किस तरह से कपड़े बनाते हैं, कैसे बाबिन पर काम करते हैं, कैसे ताना होता है, कैसे माढ़ी चढ़ाते हैं वह सब काम जो वहां मजदूर करते हैं और जो तकलीफ वहां उनको होती है उसका मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं। मैंने सन् ३६ से पहले का वह जमाना भी देखा है कि अगर किसी मजदूर को जरा दो एक मिनट की भी देर हो जाय या उससे कोई गलती हो जाय, गाली, मार भयंकर जुर्माना देना था। और वह गलती भी क्या वह मैं माननीय सदस्यों को बतलाऊं, जो ताना या वीविंग का मिलों का काम जानते हैं वह जानते होंगे कि ताना चल रहा है उस पर वार्पर काम कर रहा है और सैकड़ों बाबिन लगा हुआ है और ताने से एक बाबिन गिर जाता और तो उससे २० ताने के तागे टूट गए और नतीजा यह होता है कि बीम में गांठें पड़ जाती हैं और उसका अन्जाम यह होता है कि बीच में अगर वह सूत पड़ गया तो उससे सारा कपड़ा खराब हो जाता है और इसी तरह की चीजें वीविंग में, ग्राइन्डिन्ग अथवा अन्य विभागों में गलतियां कहिए या जो भी कहिए, हुआ करती हैं। लेकिन ऐसी कोई भी जरा सी गलती हो जाय, जरा सा क्वालिटी या बार्डर में इधर उधर फर्क हुआ तो सारा भार उसका मजदूर पर ही आता है, हालांकि मशीन के काम में ऐसी बात हो जाती है लेकिन कसूर सारा मजदूर पर ही आता है जैसे पटरा अपने आप चलता है, कुछ ढिलाई हो गई तो तार टूट जाता है और अगर दुर्भाग्य से वह सांचे से निकल गया तो बस मजदूर के मत्थे जाती है और वह इतने जोर से चलता है कि अगर लग जाय सीने में तो बिना मरे आदमी नहीं रह सकता। तो होता यह था कि इस तरह से जितना कपड़ा खराब होता था वह सब मजदूर के हिसाब से जुरमाने में काटा जाता था। उस कपड़े को उस कारीगर पर थोप देते थे और ऐसा होता था कि बहुत से कारीगर तनख्वाह के बजाय पूरा कपड़ा पाते थे और बकिया दूसरी तनख्वाह में कटता था, यह दशा पहले थी। इस के बाद श्रीमन्, यह हुआ जब सन् ३६ में ऐक्ट बना उसमें मजदूरों के लिये जुर्माने के बाबत या कल्याण की बाबत जो पैसा है वह मजदूरों पर खर्च किया जाय। यह उसमें है और उसमें यह हुआ कि उन पूंजीपतियों ने बहुत किया तो जुर्माने में से उनको सिनेमा दिखा दिया या कुछ और कर दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपनी सरकार को कि पहली मर्तबा आज यह हुआ कि मजदूरों के उस पैसे को जो उनके जुर्माने का पैसा होता था जो सारा का सारा मिल या पूंजीपति के पेट में चला जाता था उसको निकाल कर मजदूरों के हित में खर्च किया जायगा। इस तरह से, श्रीमन्, आज यह बिल जो है कितने अच्छे ढंग से सरकार मजदूरों के कल्याण के लिये ला रही है। ऐसी दशा में, श्रीमन्, मैं तो यह कहूंगा कि मजदूरों की हालत जो है चाहे वह मिल के मजदूर हों, चाहे क्लर्क लोग हों इस तरह से कोई भी मजदूर हो उनकी हालत जो है इस तरह से दयनीय हो रही है। मैं यह कहूंगा कि जो मजदूरों की तनख्वाह में से जुर्माने का पैसा होता है वह उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा होता है। उस पर हमको सोचना चाहिये।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह निधि जिस कल्याणकारी कार्य में खर्च करना चाहते हैं उसमें शैक्षिक दान भी आना चाहिये क्यों कि आप देखिये कि कांग्रेस का सन् ३६ का नारा यही था मजदूर संघर्ष करें, गरीब संघर्ष करें अमीरों से और किसान संघर्ष करें जमींदारों से और जीवन की यही समानता की बात थी। आज मजदूरों

[श्री नारायणदास]

का प्रश्न मामूली प्रश्न नहीं है। इस तरीके से श्रीमन्, मैं अनुरोध करूंगा कि इन पूंजी पतियों के पास जो बड़ी-बड़ी मिलें हैं, जिसके पास काफी पैसा पड़ा हुआ है जो बहुत कुछ अनाप-सनाप खर्च करते हैं अपने मजदूरों को अपने लाभ का दसवां हिस्सा दें---दसवां हिस्सा जो हमारे हिन्दू धर्म में और दूसरे धर्मों में है। अगर दसवां हिस्सा कर दें तो बहुत बड़ा मजदूरों का लाभ हो जाय।

एक बात की ओर और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। वह है बोर्ड के चुनाव की बाबत। बोर्ड के चुनाव की बाबत लिखा है कि एक महिला प्रतिनिधि होगी और ५ मजदूर और होंगे जो नामजद होंगे। इसमें सरकार के नामजद करने की बात कही है। लेकिन मैं श्रीमन्, बतलाना चाहता हूं राजनारायण जी को वहां महिलायें जो हैं वाईंडिंग डिपार्टमेंट में सारी हैं जैसे मेहतरानियां सारी म्युनिसिपैलिटीज में काम करती हैं। कहने का मतलब यह है कि मोमिन और हरिजन जो दो तिहाई मिलों के अन्दर मजदूरों के रूप में काम करते हैं ऐसी दशा में श्रीमन्, मेरी यह प्रार्थना है आचार्य जी से कि वे कम से कम इस बात पर ध्यान रक्खें, चाहे वे नामजद करें, चाहे चुनाव करके ले आयें लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि चुनाव पद्धति इसमें हो और इसमें जो यूनियन्स बनी हैं, मजदूरों की जो संस्थायें बनी हुई हैं उनमें से चाहे वे कुछ नामजद कर दें, चुन लें। यह लोकतंत्रात्मक तरीका है और इस तरह से, श्रीमन्, मोमिन और हरिजनों को मौका मिलना चाहिये ताकि वे अपनी बात उस बोर्ड के सामने रख सकें, क्योंकि उनका पैसा है, उनकी चीज है---उनके भाइयों का पैसा है, उनके जुर्माने का पैसा है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि आचार्य जी इस पर ध्यान देंगे। जहां तक कल्याण की बात है इसमें यह बात नहीं आ पाई है कि कोई बुड्ढा हो जाता है काम करते-करते तो उसको सिवा बोनस के कुछ नहीं मिलता, उसके लिये भी कुछ इन्तजाम होना चाहिये। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि विधेयक, १९५५ जो हमारे सामने सरकार ने प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्यों से तो सभी सहमत हैं। क्योंकि यह उचित ही है कि जो पैसा मजदूरों का है, जो उनका देय है वह मिल मालिकों के पास न पड़ा रहे बल्कि मजदूरों की बहबूदी के लिए काम में लाया जाय। इसलिए इस निधि की स्थापना तो हर तरह से ही स्वागत करने योग्य है। जो शंकायें पैदा हुई हैं और जिनको यहां व्यक्त किया गया है वह इसके प्रबन्ध और प्रशासन के सम्बन्ध में हैं। यह सब चाहते हैं कि जो पैसा इस निधि में संचित हो उसका ज्यादा से ज्यादा सदपयोग हो। ऐसा न हो कि जो मशीनरी उसके प्रशासन के लिए बनायी जाय वह इतनी भारी हो जाय कि वही बहुत सा रुपया इस निधि का स्वयं अपने ऊपर ही खर्च कर ले। ऐसी सम्भावना इसमें अधिकांश में दिखायी भी पड़ती है क्योंकि जो दो बोर्ड इसमें रखे गये हैं उनकी उपयोगिता समझ में नहीं आती है। पहली बात यह है कि इन दोनों का कम्पोजीशन और कांटीट्यूशन एक सा ही है और फिर क्या-क्या उनकी अलग-अलग ड्यूटीज होंगी, यह भी तो इसमें स्पष्ट नहीं है। जब सरकार स्वयं ही बोर्डों के सदस्यों की नियुक्ति कर रही है तो उन पर उसको पूरा-पूरा भरोसा भी करना चाहिए और उनको इस काम में ज्यादा से ज्यादा अटोनामी भी देनी चाहिए ताकि वह अपना काम अच्छी तरह से कर सकें और हर दफा सरकार के मुखापेक्षी न हों या उसकी तरफ से उनको तरह-तरह के आदेश मिलते रहें जो कि उनकी अपनी स्वतंत्रता से भिन्न हों। इसलिए यह आवश्यक है कि जो भी प्रबन्ध करने की मशीनरी हो वह सिम्पिल होनी चाहिए।

हमारे देश में, जैसा कि अभी अवस्थी जी ने कहा था, इतने वेलफेयर बोर्ड्स बन चुके हैं, वीमेन वेलफेयर बोर्ड, हरिजन वेलफेयर बोर्ड, सोशल वेलफेयर बोर्ड, लेबर वेलफेयर बोर्ड, सभी तरह के बोर्डस् हैं। उनका एक दूसरे का काम कई जगह पर ओवर लैप भी करता है। कहीं-कहीं तो काम के विषय में इनसे तो भ्रम भी होता

हैं। काम एक हुआ और उसकी चार रिपोर्टें चार बोर्डों ने भेज दीं। तो मैं चाहता हूं कि यह लेबर वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड है और यह जो नया बोर्ड इस बिल के अन्दर बनाया जा रहा है कम से कम इनकी मशीनरी अलहदा-अलहदा न रहे। उसके सभापति स्वयं माननीय मंत्री महोदय हैं और उसके सेक्रेटरी लेबर कमिश्नर हैं। तो यह संस्थाएं अगर अलहदा-अलहदा काम करती रहेंगी तो यह किसी प्रकार उचित नहीं होता। इस निधि का जो कुछ भी रुपया है, उसके कांस्टीट्यूशन को बदल कर उसी को दे दिया जाय ताकि जो रुपया सरकार अभी खर्च कर रही है उसमें यह सम्मिलित हो जाय। ज्यादा हमको आडम्बर करने और अधिकारियों की संख्या में वृद्धि रखने की जरूरत न पड़े। उस रुपये का ज्यादा से ज्यादा उपयोग मजदूरों के हित में होता रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि रैशनलाइजेशन इसमें होना चाहिए, सिम्पिलीफिकेशन होना चाहिए बजाय इसके कि एक बड़ी भारी मशीनरी स्थापित कर दें और बाद में हमें रुपया पर्याप्त मात्रा में न मिले और इसलिए काम ज्यादा न हो सके क्योंकि मेरा ऐसा खयाल है कि इस बिल के पास होने के बाद जो मजदूरों का देय धन है वह बहुत ज्यादा इस निधि में प्राप्त नहीं होगा क्योंकि उसको जब इस निधि में जाना है तो मिल मालिक यह सोचेंगे। कि क्यों न अपने मजदूरों को दे दें। इस लिए जो अभी हम को दस लाख की धनराशि प्राप्त हुई है तीन साल के अन्दर, लेकिन जितना आ गया है उसके अनुपात से आगे प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि इसका अच्छा ही परिणाम होगा।

हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इसमें कोई ऐसी चीज होती है कि जिससे वह रुपया जो कि मजदूरों को पावना है वह मजदूरों को सरकार दिला देती, मैं समझता हूं कि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव यह ही होने वाला है। मिल मालिक बजाय उस रुपये को बकाया रखने के और सरकार द्वारा लिए जाने के वह स्वतः उस रुपये को अपने मजदूरों को देंगे ताकि उनका गुडविल हासिल हो सके। तो इस वजह से मैं समझता हूं इसका सबसे अच्छा परिणाम जो होने वाला है वह यही होगा। इसलिए मैं दोनों बातें चाहता हूं कि एक तो इसकी मशीनरी सिम्पल रहे और दूसरी बात यह कि यह रुपया ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के हित में खर्च हो। इसी सम्बन्ध में जो दो एक बातें कही गई हैं एग्जम्पशन की बात कही गई है मैं समझता हूं कि जब मजदूरों का रुपया है और मजदूरों के हित के लिए वह काम में आने वाला है तो उसमें एग्जम्पशन का सवाल तो पैदा ही नहीं होता चाहे वह सरकारी कारखाना हो चाहे कोई कारखाना हो, चाहे वह ऐसा ही कारखाना क्यों न हो जो मजदूरों के वेलफेयर के उपर काफी रुपया खर्च कर रहा हो। अगर कर रहा है तो यह प्रशंसनीय है लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि जो मजदूरों का रुपया है उसको देने से वह मुक्त कर दिया जाय।

इसमें एक बड़ी भारी त्रुटि यह भी मालूम हुई कि इसमें लिखा हुआ है कि--

"The Management, administration, control and custody of the fund and the application and payment therefrom shall be in the manner prescribed."

मैं नहीं जानता कि इतनी महत्वपूर्ण चीज मैनेजमेंट....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि हिन्दी में विधेयक आपके पास मौजूद है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्षमा कीजियेगा। "निधि का प्रबन्ध, प्रशासन, नियंत्रण तथा सुरक्षा और उसका प्रयोग तथा उसमें से भुगतान नियत रीति से होंगे।" यह सब चीजें इतनी महत्वपूर्ण थीं कि इनको रूल्स में डालना उचित नहीं, ऐडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार तो उस नये वेलफेयर बोर्ड को दे दिया गया है, लेकिन यह नहीं लिखा कि कंट्रोल और कस्टडी किसकी होगी। मैं समझता हूं कि इससे इस बिल में ही आना चाहिये था न कि रूल्स में। इस तरह का इसमें अमेंडमेंट होना आवश्यक है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब सरकार स्वतः उस बोर्ड को नियत कर रही है तो उसको पूरे अधिकार मिलने ही चाहिए ताकि उसका कार्य अबाध रूप से और अच्छी तरह से चल सके।

श्री अध्यक्ष--अब आपका समय समाप्त हो गया।

[आचार्य जुगलकिशोर]

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर के साथ जो कुछ भाषण आज इस विधेयक के सम्बन्ध में इस सदन में दिए गए, सुने।

मैं इस बात का भी आश्वासन माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं कि यह जो कुछ भी ऐसे सुझाव उनकी तरफ से आये हैं उनके ऊपर पूरे तौर से गौर किया जायगा। जहां तक कि यह प्रस्ताव था कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाय, उसकी मैं मुखालिफत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस विधेयक के केवल २४ खंड हैं और उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं कि अगर हम सैद्धान्तिक रूप से मान लेते हैं तो उनके ऊपर कुछ संशोधन हाउस में पेश होंगे और उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से पूरा विचार किया जायगा। इसके ऊपर समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

माननीय राजनारायण सिंह जी ने कुछ प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन समर्थन करते हुए उन्होंने इस बिल को निकम्मा कह करके और इस बिल की कोई उपयोगिता न समझ करके कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे मालूम नहीं कि उनके इस प्रस्ताव के समर्थन करने का क्या मतलब था कि प्रवर समिति में इसको भेजा जाय, जब कि वह सैद्धान्तिक रूप से इसकी नीति को, इसकी उपयोगिता को ही नहीं मानते हैं तो प्रवर समिति तो इसके सिद्धान्त को और ज्यादा नहीं बदल सकेगी। उन्होंने अपने भाषण के दौरान में कुछ ऐसी बातें भी कहीं जो कि मेरी दृष्टि में आपत्तिजनक हैं। उन्होंने गवर्नमेंट की नीति के ऊपर आक्षेप करते हुए यह कहा कि गवर्नमेंट की हमेशा यह नीति रही है कि जब कभी भी श्रमिकों के प्रतिनिधियों को किसी संस्था में, किसी कमेटी में, चुनने की बात होती है तो गवर्नमेंट, जो सच्चे प्रतिनिधि हैं उनको नहीं चुनती है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि यह उनका बहुत बड़ा भ्रम है। जितनी कमेटियां अभी तक बनी हैं, मेरे सामने और पहले, जहां तक हो सकता है उनमें ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि चुने गये हैं जिनकी मान्यता है। यह तो हो सकता है कि एक छोटी सी कोई यूनियन हो, उसके रिप्रेजेन्टेटिव न आ सके हों, लेकिन यह कि गवर्नमेंट की तरफ से इस विधेयक में जो यह बात रखी गयी है, एक धारा में कि जो बोर्ड बनेगा उसमें कुछ प्रतिनिधि श्रमिकों के होंगे, हमारा तो ख्याल यह है कि वही उसमें सदस्य होंगे जो किसी न किसी श्रमिक संघ के प्रतिनिधि हों। तो इस सिलसिले में उन्होंने शंका जाहिर की कि यह तीन रिप्रेजेन्टेटिव या जितने रिप्रेजेन्टेटिव लेबर के रखेंगे वह गवर्नमेंट के मनोनीत होंगे, लेकिन उसमें कोई खयाल इस बात का नहीं रखा जायगा कि श्रमिकों के भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं हैं। मैं समझता हूं वह मुझे माफ करेंगे कि उनकी कुछ गलतफहमी भी है कि गवर्नमेंट इस तरह से ऐसे प्रतिनिधियों को जो कि श्रमिकों के हों, अपनी कमेटी में नहीं रखती है और यह भ्रामक बात है कि गवर्नमेंट की ऐसी नीति है कि वह सच्चे श्रमिकों के प्रतिनिधियों को नहीं रखती।

बाकी कुछ संशोधन ऐसे आये हैं जिनके ऊपर थोड़ा-सा मैं यहां पर कह देना अपना फर्ज समझता हूं। सम्भव है उसमें कुछ भ्रम भी हो और यह भी संभव है कि उसमें कुछ सुधार की भी आवश्यकता हो। यह पहला सुझाव है कि यह जो खंड २ में अनपेड अक्युमुलेशन, अदत्त जो रुपये जमा होते हैं उनके बारे में कौन सी रकमें होंगी, तो जहां तक इस विधेयक में लिखा है उसमें साफ बतला दिया गया है कि प्रावीडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी ये सब रकमें---सिवाय हाउस अकमोडेशन के---जो किराया और टी० एज० हैं उनके बारे में भी हम विचार करने के लिए तैयार हैं कि वह शामिल कर लिए जायं। लेकिन यह जो भ्रम है कि प्रावीडेंट फंड, पेंशन और ग्रेचुइटी के बारे में कि वह भी रिक्त होंगे इस फंड में आने से, यह गलत खयाल है और मैं आपको धारा देख कर बतला भी सकता हूं कि उसी धारा में यह दिया गया है। खंड २ (११) "अदत्त संचय'

का तात्पर्य उन समस्त मजदूरियों से है जो किसी कर्मचारी को देय हो परन्तु उसे दी न गई हो, इसमें निम्नलिखित है :—

(क) प्रावधायी निधि (provident fund) में नियोजक का पूर्ण अथवा आंशिक अंशदान; और

(ख) किसी सेवा मुक्त (discharged) कर्मचारी को देय कोई अनुग्रह धन (gratuity); तथा

(ग) किसी कर्मचारी को देय कोई बोनस" ।

यह सब एक्युमुलेटेड अनपेड वेजेज मानी जायंगी और इस निधि में इनका आना लाजमी रहेगा और यह चीजें इनमें शामिल हैं । उनका सुझाव है कि हाउसिंग एकोमोडेशन का जो किराया देते हैं नियोजकों की तरफ से, तो जहां पर नियमित रूप से दिया जाता है उसको शामिल किया जाय तो कोई हानि नहीं होगी । लेकिन इसके बारे में मुझे विभाग से पूछना है कि कहां पर नियमित रूप से दिया जाता है । बाकी जो टी० ए० दिया जाता है वह संभव है बहुत ही कम हो और मुश्किल से एक आध केसेज होते होंगे । जो टी० ए० मिलता होगा और अनपेड रह जाता होगा । अगर ऐसी रकम हो तो इस विधेयक में लाई जानी चाहिये और उनका सदुपयोग श्रमिकों के कल्याण में किया जाय । इसके बारे में आवश्यक समझा जायगा तो विचार करने के लिए इसको शामिल करने के लिये मैं तैयार हो जाऊंगा ।

इसके बाद बोर्ड के कांस्टीट्यूशन के बारे में काफी आपत्तियां आई हैं इसमें खास तौर से यह कि इसका जो चेयरमैन होगा वह मान लिया गया है कि नान-आफीशियल नहीं होगा यद्यपि इसके शब्द यह हैं कि चेयरमैन गवर्नमेंट नोमीनेट करेगी । यह जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट किसी आफीशियल को ही करेगी और मैं समझता हूं कि बहुत सम्भव है चेयरमैन नान-आफीशियल ही होगा इस चीज को देखते हुये कि जिस नीति के आधार पर इस बोर्ड की नियुक्ति करने का फैसला किया गया है । इसमें यद्यपि कोई रुकावट इस बात की नहीं होगी कि आफीशियल की जरूरत पड़ जाय तो वह नहीं होगा, लेकिन जहां तक हमारा खयाल है यह विचार था कि नान-आफीशियल हो ।

हमारे मित्र अवस्थी जी ने मुझे याद दिलाई कि लेबर इंक्वायरी कमेटी जिसका अध्यक्ष मैं था उसने एक सिफारिश की थी कि अध्यक्ष जो होगा वह लेबर मिनिस्टर होगा और इसके सेक्रेटरी लेबर कमिश्नर होंगे । जो प्रबन्धक कमेटी होगी उसका प्रेसीडेंट , जहां तक मेरा ख्याल है, नान-आफीशियल होगा और इसका सेक्रेटरी जो इस विधेयक के खंड में दिया गया है, संभव है कोई संशोधन आ रहा हो, उसके ऊपर विचार किया जायगा । सेक्रेटरी हमारे सचिव हों और सम्भव है कोई और आफीशियल हो और मेरे मित्र तो मानते हैं कि आफीशियल ही रखा जाना चाहिये, क्योंकि वह कहते हैं कि आफीशियल चेयरमैन हो तो काम ज्यादा अच्छा हो सकेगा । खैर, यह तो मेरी और उनकी बात है लेकिन वह इस चीज के खिलाफ नहीं हैं कि आफीशियल न हो । हो सकता है कि वह समझते हों कि पब्लिक में इसके प्रति सहानुभूति पैदा करने के लिये यह जरूरी हो कि नान-आफिशल ही हो । इस दृष्टि से वे नान-आफिशल का जिक्र करते हों । जो सेक्रेटरी होंगे चाहे वे लेबर कमिश्नर हों, चाहे हमारे सेक्रेटरी हों, मैं समझता हूं कि यह उचित ही होगा कि जब ऐसी कमेटी की शुरुआत की जा रही है तो उसका सेक्रेटरी अगर आफिशल हो तो ज्यादा आसानी से वह काम चल सकेगा । जहां तक संचालन कमेटी के अन्य सदस्यों का सम्बन्ध है, माननीय राजनारायण जी ने कहा कि उसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि होंगे या नहीं । उसकी उस शंका को दूर करने के लिये मैंने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यही हमारी नीति अब तक रही है कि जहां तक हो सकता है, जिन श्रमिक संस्थाओं को हम समझते हैं कि उनकी मेजारिटी है उन्हीं संस्थाओं

[आचार्य जुगलकिशोर]

से जहाँ लेबर प्रतिनिधियों की जरूरत होती है हम नाम मंगवाते हैं और जहां तक हो सकता है उनकी राय के मुताबिक ही उनकी नियुक्ति होती है।

जहां तक एम्पलायर्स का सम्बंध है, उनका भी एक एसोसियेशन है उससे नाम मंगा लेते हैं। तो बाकी ५ सदस्य संचालन कमेटी में सरकार से मनोनीत होंगे। मैं समझता हूं कि माननीय राजनारायण जी की यह राय हो सकती है कि यह सरकार देश के बहुमत को रिप्रेजन्ट नहीं करती है, मगर प्रत्यक्ष रूप से इस हाउस में देख लें और देश में देख लें और राजनारायण जी स्वयं भी अपने मन में यह समझते होंगे कि सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। सरकार किसी व्यक्ति को अगर किसी कमेटी में प्रतिनिधि बना कर रखती है तो यह कहना कि वह जनता का प्रतिनिधि नहीं है मैं समझता हूं कि यह उनके भ्रम की बात है। कहने के लिये वे भले ही कह दें लेकिन दिल में वे भी इस बात को समझते होंगे कि गवर्नमेंट किसी नान-आफिशल को अगर किसी कमेटी में रखती है तो वह एक उपयोगी व्यक्ति होगा और जनता का विश्वस्त होगा। तो यह ख्याल अगर मेरे मित्र राजनारायण जी अपने दिमाग से निकाल दें कि जो कुछ भी सरकार करती है वह जनता के अहित में ही करती है तब उनके सुझावों को सुनने और समझने में आसानी हो सकती है।

अब रही ऐडवाइजरी कमेटी। मैं मानता हूं कि इस कमेटी का बहुत उपयोगी स्थान इस फंड में नहीं दिखलायी देता इस ख्याल से कि एक बोर्ड के होते हुये ऐडवाइजरी कमेटी का क्या कार्य होगा। यह माननीय सदस्यों को पूरे तौर से नहीं मालूम पड़ा। यों तो जो इस धारा में है वह यह है कि एडवाइजरी कमेटी न केवल बोर्ड को ही ऐडवाइस करेगी बल्कि गवर्नमेंट को भी एडवाइस करेगी, उन सब मामलों में, जो श्रम कल्याण के हित में होंगे। आज भी एक लेबर वेलफेयर ऐडवाइजरी कमेटी बनी हुई है और उसकी मीटिंगें होती हैं। इसमें रखने का यह मतलब था कि वैधानिक रूप से उसकी मीटिंग हुआ करेगी और उसकी राय वैधानिक रूप से बोर्ड के सामने और गवर्नमेंट के सामने भी आयेगी। लेकिन अगर माननीय सदस्य इसको हटाने के पक्ष में हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और अगर वे कोई संशोधन इस सम्बन्ध में देंगे तो उस पर हम विचार करेंगे। लेबर वेलफेयर कमिश्नर की नियुक्ति सरकार द्वारा होगी, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह पूरे समय के लिये वेतन पर ही रखा जाय, वह बिना वेतन के एक्स-आफिशियो सेक्रेटरी भी बनाया जा सकता है। अभी इतना धन निधि के पास नहीं है कि उसमें से एक हाई आफिसर के लिये धन दे सकेंगे। इसलिये यह ख्याल था कि एक हाई आफिसर उस समय तक वेलफेयर आफिसर का काम करें जब तक उसमें बिना पूरा समय दिये हुये काम करना सम्भव हो। इसलिये सरकार ने सिर्फ इतना अधिकार अपने हाथ में रखा है।

एक आपत्ति धारा १७ पर की गई है कि गवर्नमेंट समय-समय पर डाइरेक्शन्स देगी। मैं समझता हूं कि ऐसी एक निधि स्थापित हो रही है उसको कुछ अधिकार दिये जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उसी समय ऐसा कोई आदेश दिये जायेंगे जब वह समझेगी कि इस आदेश से वह अपना काम अच्छी तरह से कर सकेगी। गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी निधि बने, एक कांस्टीटयूटरी बाडी बन जाय तो गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप करेगी ऐसी शंका यदि किसी के दिमाग में है तो मैं उसे हटाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप कुछ समय और लेना चाहते हैं?

आचार्य जुगलकिशोर--हां, मैं पांच मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अगर दस मिनट का समय बढ़ा दिया जाय पांच बजे के बाद तो किसी को आपत्ति तो नहीं होगी।

(कोई आपत्ति नहीं की गई।)

तो पांच मिनट में आप खत्म कर दीजिये और पांच मिनट में मैं प्रस्ताव रख लूंगा।

आचार्य जुगलकिशोर—तो मैं कह रहा था कि जो यह धारा है वह इसलिये है कि अगर किसी समय सरकार को कोई सुझाव देना हो तो आदेश के रूप में वह सुझाव भी उसको दे सकती है।

दूसरी आपत्ति, जो इसमें रखी गयी है कि गवर्नमेंट को अधिकार होगा कि कुछ इंडस्ट्रीज को इस कानून के बाहर निकाल सकती है ताकि वे इस कानून से बाध्य न हो जायं। यह मन्शा नहीं है कि जो धनराशि उनसे प्राप्त हो सकती है वह न ली जाय। यह मंशा है कि धनराशि उनसे ली जाय। यह हो सकता है कि कुछ कामों के लिये जो वे कर रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा वे अपने पास रख सकते हैं। तो यह इससे मतलब न निकाला जाय कि धनराशि जो फैक्ट्रियों से उस फंड में आने वाली है वह सब की सब इसी इंडस्ट्री के लिये छोड़ दी जायगी। मैं समझता हूं कि एक संशोधन आ रहा है जिसके बारे में यह बातचीत हुई कि वहां का जो बोर्ड होगा उसकी सलाह से किया जायगा। अगर वह सलाह नहीं देगी तो सम्भव है कि गवर्नमेंट इस तरह का एक्जेम्प्शन न दे।

रूल्स के बारे में यह आपत्ति की गई है कि प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का और बहुत से नियमों का पालन कराने के लिये, विधेयक में जो विधान है उनको कार्यान्वित करने के लिये इसमें कोई स्पष्ट तौर से जिक्र नहीं किया गया है। हर एक बिल के साथ साथ कुछ नियम बनने का विधान भी होता है। नियम जो कुछ भी बनेंगे वह हाउस की टेबिल पर रख दिये जायंगे। माननीय सदस्यों को पूरा अख्तियार होगा कि वे उनके ऊपर आलोचना करें और उनके बारे में अपनी राय जाहिर करें इसलिये जो रूल्स होंगे वह राज्य सरकार के बनाये हुये होंगे। लेकिन गवर्नमेंट उनको बनाकर सदन की मेज पर रख देगी और बिना उनके सदन द्वारा पास किये हुये अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया जायगा। इसका समय निश्चित नहीं किया गया है क्योंकि अधिनियम बनने में संभव है कि १५ दिन लग जायं, संभव है एक महीना लग जाय। लेकिन जब धारा २४ के अन्तर्गत, इसके नियम बन जायंगे उसके बाद यह कानून लागू हो जायगा।

मुझे एक दो बातें और कहनी हैं। माननीय पालीवाल जी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया है कि इस विधेयक में यह नहीं मालूम पड़ता कि गवर्नमेंट डिसेन्ट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है जब कि वह इतने अधिकार लेकर एक फंड के बारे में इस तरह का बोर्ड बना रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पालिसी विकेन्द्रीकरण की तरफ होनी चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे हमें अधिक सावधान होना पड़े। गवर्नमेंट समय समय पर और ज्यादा तादाद में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इसमें धनराशि भी अनुदान के रूप में दिया करेगी और यह जो बोर्ड बनाया गया है कि यह स्टैचुअरी बोर्ड है और इस नाते इस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। जहां तक फंड का मामला है वहां सरकार को कुछ न कुछ नियंत्रण रखना ही पड़ता है, लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि उसमें, उसके कामों में कोई रुकावट उन नियंत्रणों की बदौलत आयेगी, बल्कि वह तो सहूलियत के लिये होंगे तो मैं चाहूंगा कि उनके दिमाग से यह भ्रम हट जाना चाहिये। यह कदम भी डिसेन्ट्रलाइजेशन की तरफ ही है यद्यपि उतना तेज नहीं है जितना कि वह चाहते हैं और मैं समझता हूं कि जितनी तेजी वह चाहते हैं उसके लिये आज की परिस्थिति इजाजत भी नहीं देगी। लेबर वेलफेयर का जो काम है हमारे सामने उसके लिये गवर्नमेंट जिम्मेदार है। होना तो यह चाहिये था कि श्रमिक इसकी जिम्मेदारी लेते, लेकिन मुझे खेद है कि न श्रमिकों ने और न नियोजकों ने ही इस जिम्मेदारी को पूरा किया और गवर्नमेंट को इस जिम्मेदारी

[आचार्य जुगलकिशोर]

को लेना पड़ा है और इसलिये गवर्नमेंट चाहती है कि वह इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाये। इसके लिये जनता का सहयोग, नियोजकों का सहयोग और श्रमिकों का सहयोग वह प्राप्त करना चाहती है और इस काम को पूरा करना चाहती है।

उनका यह सुझाव और था जिसको स्वीकार करना असंभव सा ही है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा अनुपात निश्चित हो जाय कि जितना फंड फैक्ट्री से प्राप्त हो उसका इतना अनुपात गवर्नमेंट देगी। यह तो गवर्नमेंट के लिये स्वीकार करना असंभव सा होगा। संभव है कि उससे भी ज्यादा अनुदान सरकार दे, संभव है उतना न हो सके, लेकिन इसके लिये निश्चित वचन कुछ नहीं दिया जा सकता।

मैं इतना कह कर आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण इसकी अनुमति देंगे और आगे इसके खंडों पर विचार करने के लिये समय देंगे।

श्री अध्यक्ष—पहला संशोधन श्री सीताराम शुक्ल का है जो इस प्रकार है :—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५५ एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—दूसरा संशोधन श्री राजनारायण का है :—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५५ को प्रवर समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार देते हुये ७ दिन के अन्दर सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये निर्दिष्ट किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
८ अगस्त, १९५६।

मिट्ठनलाल
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

Month-wise production of cement during the period July 1, 1956 *to December* 31, 1955 *and January* 1, 1956 *to June* 30, 1956.

From July 1, 1955 *to December* 31, 1955.

		Tons.
July	7,038	,,
August	18,301	,,
September	13,019	,,
October	16,339·5	,,
November	18,810·5	,,
December	6,586	,,
Total	80,094	

From January 1, 1956 *to June* 30, 1956

January	14,352	,,
February	19,509.5	,,
March	22,246	,,
April	19,063	,,
May	15,529	,,
June	16,923	,,
Total	1,07,622·5	,,

अध्यक्ष पदेन

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर में उल्लिखित विवरण,

उत्तर प्रदेश की सामुदायिक विकास योजना दुद्धी, जिला मिर्जापुर में किये विशेष कार्यों की सूची

क्रम-संख्या	विवरण	वास्तविक कार्य के आंकड़े आरम्भ से मार्च ३१, सन् ५६ तक
	सिंचाई	
१	सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र ..	३६०३ एकड़
	कृषि	
२	वितरण किये गये उन्नतिशील बीज का परिमाण ..	४११६ मन
३	बीज जो खरीदा और उगाहा गया ..	२२४९ मन
४	प्रदर्शनों की संख्या	१५१६ मन
५	खाद जो वितरित की गई	२६१ मन
६	हरी खाद के बीज जो वितरित किये गये ..	६ मन
	उद्यान अथवा बागवानी	
७	नये उद्यानों का बढ़ा हुआ क्षेत्र एकड़ों में ..	७९ एकड़
८	बोये गये फलों के वृक्षों की संख्या	४१२५
९	बोये गये ईंधन के वृक्षों की संख्या	८९९
१०	आरम्भ की गई फल व तरकारी की पौधशालाओं की संख्या ..	१७
११	वितरित किये गये तरकारी के बीज की मात्रा ..	१९३ पौंड
१२	वितरित किये गये आलू के बीज की मात्रा ..	३० मन
१३	अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें तरकारी बोई गई ..	४२१ एकड़
	भूमि को कृषि योग्य बनाना	
१४	कृषि योग्य बनाई गई भूमि का क्षेत्र ..	११२ एकड़
	पशु-पालन	
	वितरित उन्नतिशील पशुओं की संख्या	
१५	गाय व भैंस	२
१६	सांड़	..
१७	अन्य	..
१८	पक्षी	२९५
१९	चिकित्सत पशुओं की संख्या	१६,९५७
२०	टीका लगाये गये पशुओं की संख्या	७०,५१३
	कृत्रिम गर्भाधान किये गये भैंसों की संख्या ..	७९

क्रम-संख्या	विवरण	वास्तविक कार्य के आँकड़े आरम्भ से मार्च ३१, सन् ५६ तक
	शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्य	
२१	शिक्षित किये गये प्रौढ़ों की संख्या	६२८
२२	चालू किये गये पुस्तकालयों की संख्या ..	६
२३	चालू किये गये सामूहिक केंद्रों की संख्या ..	१३६
	सामूहिक कार्य	
२४	निर्मित भवनों की संख्या	२८९
२५	सड़कों का निर्माण (मील फरलांग में)—	
	कच्ची	६७ मील १ फ०
	पक्की	१२ मील (निर्माणान्तर्गत)
२६	सड़कों की मरम्मत (मील फरलांग में)—	
	कच्ची	११९ मील ५ फ०
	पक्की	.. ..
	जन-स्वास्थ्य	
२७	निर्मित शुद्ध जल कूप "हैन्ड पम्प सहित (संख्या) ..	४४
२८	टीके (संख्या)	२४,६११
२९	मलेरिया निरोधक छिड़काव—	
	(अ) ग्रामों की संख्या	३१८
	गृह उद्योग	
३०	ईंट के भट्ठों की संख्या	१
३१	ईंटें जो पकाई गईं (संख्या लाखों में) ..	१०
	सार्वजनिक दान	
४२	श्रम का मूल्य (रुपयों में) ..	९६,२३२
३३	नकद तथा अन्य दान (रुपयों में) ..	१,२१,४९५
३४	कुल दान का मूल्य (रुपयों में)	२,१७,७२७
	सिल्क उत्पादन ..	७ सेर (२४ परिवार लगे हैं)
	खादी योजना (कताई में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या)	१००
	सूत उत्पादन ..	५८२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

प्रश्न संख्या ३४ में उल्लिखित विवरण

सामुदायिक योजना खंड दुद्धी (जिला मिर्जापुर)

मदों के नाम		लक्ष्य	पूर्ति
१—मेसनरी वेल्स का निर्माण	..	६५	१८
२—परशियन व्हील्स की स्थापना	..	६५	८
३—स्थापित किये गये पम्पिंग सेट	..	६	१
४—चिड़ियों की सप्लाई	..	१,३५०	२९५
५—अंडों की सप्लाई	..	३,७१०	७८८
६—उन्नतिशील पशुओं की सप्लाई	..	५५	२
७—स्नान-गृह निर्माण	..	२०	१८
८—पंचायत घरों का निर्माण	..	७	३
९—स्कूल भवनों का निर्माण	..	९	३
१०—बीज गोदामों का निर्माण	..	२	१
११—पक्की सड़क (दुद्धी विन्धनम गंज)	..	१२ मील	सिर्फ मिट्टी का काम हो सका।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३५ पर)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५६

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने का

विधेयक

एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) ऐक्ट, १९५३ में संशोधन करना इष्टकर है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और आरम्भ।

१—(१) यह अधिनियम आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

यू० पी० ऐक्ट सं० ३१, १९५३ की धारा १ का संशोधन।

२—आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (२) में शब्द "निश्चित करें" के पश्चात् अल्पविराम (Comma) के स्थान पर पूर्ण विराम रख दिया जाय और उसे सदैव ही रखा गया समझा जाय, तथा उसके प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिये जायं तथा सदैव से ही निकाले हुये समझे जायं।

यू० पी० ऐक्ट सं० ३१, १९५३ में नयी धारा १-क का बढ़ाया जाना।

३—मूल अधिनियम की धारा १ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १-क के रूप में रख दिया जाय और सदैव से ही रखा गया समझा जाय—

यूनिवर्सिटी अधिकारियों के संगठन आदि के संबंध में राज्य सरकार के अधिकार ।

"१-क—(१) इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय, राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के उपबन्धों को सामान्यतः प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक कोई भी कार्य करे, जिसके अन्तर्गत यूनिवर्सिटी प्राधिकारियों (authorities) का संगठन किसी भी नये परिनियम (statute) की रचना अथवा किसी परिनियम का संशोधन तथा उन दिनांकों को निश्चित करना भी है जिन पर वे परिनियम अथवा संशोधन प्रवृत्त होंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाये गये किसी भी परिनियम तथा किये गये किसी भी संशोधन का प्रवर्त्तन तथा प्रभाव (force and effect) वही होगा जो आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९३६ की धारा २७-क के अधीन तथा अनुसार बनाये गये किसी परिनियम (statute) या किये गये किसी संशोधन का होता है

(३) उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों को अवसरानुकूल कभी भी, किन्तु इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन से २४ मास समाप्त होने से पूर्व, प्रयोग में लाया जा सकता है।"

वैधीकरण।

४--(१) शंकाओं के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने से पूर्व था, की धारा १ अथवा किसी धारा के अधीन प्राप्त अधिकारों के अभिप्रेत प्रयोग के अन्तर्गत निर्मित कोई भी परिनियम (statute) या किया गया कोई भी संशोधन विधि की दृष्टि से इसी प्रकार वैध और उचित समझा जायगा मानो इस अधिनियम के उपबन्ध समस्त सारवान दिनांकों (material dates) पर प्रवृत्त थे तथा किसी भी विज्ञप्ति में, जिसके द्वारा परिनियम निर्मित या संशोधित हुआ हो, उपर्युक्त धारा के किसी भी अभिदेश (reference) के अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा ३ द्वारा रखी गयी (inserted) धारा १-क का भी अभिदेश होगा और समझा जायगा।

(२) मूल अधिनियम के अधीन, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व था, बने या संशोधित किसी परिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी भी अवधि में किये गये किसी कार्य या की गयी किसी बात, जिसके अन्तर्गत दी गयी कोई आज्ञा, किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही तथा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार भी है, जो यदि मूल अधिनियम इस अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम होता उपर्युक्त प्रकार से बने या संशोधित परिनियम के अधीन वैध तथा सम्यक् रीति से की गयी या करने से छोड़ दी गयी होती (done or omitted) के संबंध में यह समझा जायगा कि वह उसके अन्तर्गत वैध तथा सम्यक् रीति से की गयी, दी गयी, अथवा प्रयुक्त है अथवा थी।

निरसन।

५--आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अध्यादेश, १९५६, को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ और २४ के उपबन्ध इस पर इस प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निर्वतित विधायन था।

उद्देश्य और कारण

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५३, के पारित होने के पश्चात् सरकार ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के संगठन तथा सामान्य प्रयोजनों के निमित्त उक्त अधिनियम की धारा १ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धक के अधीन प्रथम परिनियम बनाये। इस बात पर संदेह प्रकट किया गया है कि उपर्युक्त प्रतिबन्धक के अधीन सरकार का परिनियम बनाने का अधिकार केवल विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के समुचित संघटन के लिये परिनियम बनाने तक ही सीमित था। किन्तु अन्य प्रयोजनों के निमित्त भी परिनियम बनाये गये हैं तथा इन्हीं परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य करता चला आ रहा है, अतएव यह आवश्यक है कि संदेहों को दूर किया जाय और विश्वविद्यालय द्वारा परिनियमों के अन्तर्गत किया गया कार्य वैध करार दिया जाय। अतएव यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत गिया जा रहा है।

हरगोविंदसिंह,
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १५३ एल० ए०--१९५६-७९६।